मंगलवार,
८ दिसंबर, १९५३

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

पांचवा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

* * *

भाग १—प्रश्न और उत्तर

Preservation 13.3.92

संसदीय वाद विवाद

(भाग १—प्रश्न और उत्तर)

शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

मंगलवार ८ दिसम्बर, १९५३

सदन की बैठक डेढ़ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

उच्च मूल्य वाले डाक टिकट

*६९७. **श्री एस० एन० दास** : क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि हाल ही में ऐसी घटनाएं देखी गई हैं कि सड़कों पर लगी हुई पत्रपेटिकाओं में जो विदेशों को भेजे जाने वाले पत्र डाले गये थे, उनके संप्रेषण के काल में उन पर लगे हुए उच्च मूल्य वाले डाक टिकट निकाल लिये गये थे ;

(ख) यदि ऐसा है, तो ऐसे कुल कितने मामलों की सूचना मिली है ; तथा

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच की जा रही है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) हां।

(ख) १९

(ग) हां।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि अब तक जितने मामलों का पता चला है, उनमें जो निधियां अन्तर्ग्रस्त हैं, उनका मूल्य क्या है ?

श्री राज बहादुर : हमें सूचना मिली है कि दिल्ली में ऐसे मामले सबसे अधिक संख्या में हुए हैं। इन मामलों की संख्या ग्यारह थी और कुल मूल्य केवल २८ रुपये था। बम्बई में ऐसे ६ मामले हुए थे परन्तु मूल्य बहुत नगण्य था। राजस्थान और पश्चिम बंगाल में ऐसे कई एक मामले हुए थे जिनका मूल्य तीन रुपये बारह आने था।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इसके लिये किन्हीं व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमे चलाये गये हैं और यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ?

श्री राज बहादुर : हम अपराधियों को पकड़ नहीं सके हैं।

खाद्य स्थिति

*६९८. **श्री एस० एन० दास** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) विभिन्न राज्यों में खाद्यान्नों की खड़ी फसलों से सम्पूर्ण रूप से क्या आशा की जाती है ;

(ख) क्या कुल क्षेत्र तथा उपज का कोई अनुमान लगाया गया है और क्या वह प्राप्य है ; तथा

(ग) जिन क्षेत्रों में बाढ़ आई थी, उनकी वर्तमान खाद्य स्थिति कैसी है और भविष्य में क्या संभावना है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) ऐसी सूचना मिली है कि कुल मिला कर विभिन्न राज्यों की अन्न की खड़ी फसलों की दशा संतोषजनक है ।

(ख) खरीफ के अन्न कितनी एकड़ भूमि में बोए गये थे, इस सम्बन्ध में प्रारम्भिक प्राक्कलन दिखाने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १**] उत्पादन के प्राक्कलन बनाने का अभी समय नहीं हुआ हैं ।

(ग) कुल मिला कर वर्तमान खाद्य स्थिति संतोषजनक है । बाढ़ के बावजूद फसलों के भविष्य असंतोषजनक नहीं हैं ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि मैसूर, बम्बई तथा मद्रास राज्यों के किन किन भागों में वर्षा अपर्याप्त हुई थी और क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या अब वर्षा पर्याप्त हुई है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : मैसूर, मद्रास तथा बम्बई राज्यों के इन भागों में इस वर्ष अभूतपूर्व वर्षा हुई है । केवल गत वर्ष उन क्षेत्रों में वर्षा का अभाव था ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या हथिया मौसम में उत्तर बिहार के कुछ क्षेत्रों में वर्षा कम हुई थी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : बिहार की दशाओं के विषय में माननीय सदस्य को मुझसे अच्छी जानकारी है ।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या मैं जान सकता हूं कि अनुमानतः इस वर्ष, गत वर्ष के उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : खेती के क्षेत्र में जो वृद्धि हुई है उसका अनुमान प्राप्य है । हम उत्पादन का अनुमान नहीं लगा सके हैं । इस वर्ष के उत्पादन का अनुमान लगाने में कुछ समय लगेगा ।

श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन : माननीय मंत्री ने अभी बताया कि कुछ भागों में इस वर्ष अभूतपूर्व वर्षा हुई थी । क्या मैं जान सकती हूं कि क्या वर्षा से फसल खराब हो जायेगी अथवा इस वर्ष अच्छी फसल होने की आशा है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : जब भी कभी बहुत या अत्यधिक वर्षा होती है, तो कुछ नुकसान भी होता है । परन्तु कुल मिला कर गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष उत्पादन अच्छी होगा ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या किसी राज्य में अन्न की खेती के क्षेत्र में कोई कमी हुई है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : बिहार में कुछ कमी हुई है । परन्तु अन्य सभी राज्यों में खेती के क्षेत्र में वृद्धि हो रही है । मैं आंकड़े दे सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम दूसरा प्रश्न लेंगे ।

ग्राम सेवक

*६९९. **डा० राम सुभग सिंह** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राज्यों में सामुदायक विकास कार्य के हेतु ग्राम सेवकों को प्रशिक्षित करने के लिये कितने केन्द्र खोले गये हैं ?

(ख) इन केन्द्रों में कितने प्रशिक्षार्थी अभी तक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं ?

(ग) क्या इन में से कुछ केन्द्रों में कृषि डिप्लोमा धारी व्यक्तियों को तैयार करने के लिये अधिक काल तक प्रशिक्षण देने का सरकार का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) ३४।

(ख) ३१, अक्तूबर, १९५३ तक २५८६ ।

(ग) हां, विद्यमान विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों में से २२ में बुनियादी कृषि में एक वर्ष के काल का प्रशिक्षण देने का विचार है।

डा० राम सुभग सिंह : अभी यह कहा गया है कि इनमें से कुछ संस्थाओं में कुछ बुनियादी केन्द्र खोलने का विचार है । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या कृषि-डिप्लोमा में प्रशिक्षण देने के लिये कोई नया बुनियादी कृषि स्कूल आरंभ करने का सरकार के सामने कोई प्रस्ताव है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हां। विद्यमान विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों में हम जो नई शाखायें जोड़ते हैं, उसके अतिरिक्त इस वर्ष हम २२ नए कृषि स्कूल स्थापित करने का विचार कर रहे हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि ये स्कूल कहां स्थापित किये जायेंगे और इन बुनियादी स्कूलों में कितने विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जायेगा ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : जैसा कि मैं ने बताया, संख्या २२ है । बम्बई में २; बिहार में २ ; मध्य प्रदेश में २ ; मद्रास में ३ ; उड़ीसा में १ ; पंजाब में २; पश्चिम बंगाल में २ ; हैदराबाद में एक ; मध्यभारत में एक; पेप्सू में एक तथा अन्य सभी राज्यों में एक एक ऐसे स्कूल आरंभ करने का हमारा विचार है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या इन संस्थाओं में विद्यार्थी प्रतियोगिता के आधार पर भर्ती किये जाते हैं अथवा प्रधान अध्यापकों की इच्छानुसार ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : कुछ न्यूनतम अर्हता निश्चित की जायेगी। यह राज्य सरकार का काम है ।

डा० राम सुभग सिंह : अर्हता क्या होगी ?

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगला प्रश्न लेंगे ।

रेलों की आय

*७००. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि इस वर्ष भारतीय रेलों की यात्रियों और माल से होने वाली आय में काफी कमी हुई है ; तथा

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या किरायों तथा भाड़ों से होने वाली आयों में इस वर्ष कोई वृद्धि हुई है ?

श्री अलगेशन : कोई वृद्धि नहीं हुई है, परन्तु थोड़ी कमी हुई है ।

श्री पुन्नूस : कुछ समय हुआ, सदन में कहा गया था कि इस में कुछ कमी हुई थी । क्या वह कमी अभी जारी है अथवा स्थिति में सुधार हुआ है ?

श्री अलगेशन : कुछ समय पूर्व ही नहीं, बल्कि अभी मैं ने कहा है कि इसमें कुछ कमी हुई है ।

श्री दामोदर मेनन : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह थोड़ी कमी वर्तमान किरायों की दर के कारण है ?

श्री अलगेशन : नहीं, श्रीमान् । इसका कारण यह नहीं कहा जा सकता ।

श्री केलप्पन : भाग (ख) के उत्तर में माननीय मंत्री ने पहले तो कहा कि "प्रश्न नहीं उठता" और फिर वह कहते हैं कि कुछ कमी हुई थी ।

श्री अलगेशन : प्रश्न यह पूछा गया था कि क्या "काफी कमी" हुई थी ।

अध्यक्ष महोदय अब हम अगला प्रश्न लेंगे ।

खली

*७०१. **श्री वी० पी० नायर** : (क) क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या १९४९ में सरकार ने घानी तथा बीज को दबा कर तेल निकालने के तरीकों से उत्पादित विभिन्न प्रकार की खली के पोषक-महत्व की जांच करने के लिये एक योजना स्वीकार की थी ?

(ख) अब तक इस योजना के विभिन्न प्रस्ताव कहां तक क्रियान्वित किये गये हैं, क्या इसको दिखाने वाला एक विवरण सरकार सदन पटल पर रखेगी ?

(ग) अब तक इस योजना में कुल कितना धन व्यय हुआ है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) हां ।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २]**

(ग) ३१ मार्च, १९५३ तक १,१५,८१० रुपये (वास्तविक) ।

श्री वी० पी० नायर : विवरण से यह पता चलता है, कि यह योजना मार्च, १९५५ तक के काल के लिये बढ़ा दी गई है । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य नहीं है कि इस योजना को क्रियान्वित करने में जो विलम्ब हुआ, वह कर्मचारियों की नियुक्ति, धन की अनुपलब्धता तथा नमूने की खली के समाहार में कठिनाई के कारण था ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हां, यह भी एक कारण है, क्योंकि यह बड़ा पेचीदा विषय है । यह अनुसंधान का प्रश्न है । विभिन्न प्रकार की खली का अपेक्षित मात्रा में प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है तथा हमें इस योजना को क्रियान्वित करने वाले जो कर्मचारी भर्ती करने थे, उन्हें भी बहुत योग्य होना था । अतः इसमें कुछ समय लग गया और इसीलिये इसकी अवधि बढ़ानी पड़ी ।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस अनुसंधान के द्वारा केवल पशुओं के लिये खली का पोषक महत्व पता लगाया जा रहा है अथवा मनुष्य के लिये भी ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : अभी तो पशुओं तक ही यह सीमित है ; उचित रूप से जांच हो जाने पर हम इसको अन्य सभी क्षेत्रों के संबंध में कर सकते हैं ।

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार को मालूम है कि विशेषकर त्रावनकोर-कोचीन में बहुत से लोग खली खाते हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : इस देश के बहुत से भागों में ग्रामीण लोग खली खाते हैं । मेरे गांव में भी लोग खली खाते हैं ।

मछली-उत्पादन

*७०२. **श्री वी० पी० नायर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत में मछली-उत्पादन

संबंधी आंकड़ों से यह पता चलता है कि १९५१ से इसमें बराबर कमी होती रही है, और यदि ऐसा है, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह तथ्य है कि पंचवर्षीय योजना के तीसरे वर्ष की समाप्ति पर, मछलियों का उत्पादन उससे बहुत कम है जितना कि वह योजना आरंभ होने के पूर्व था ; तथा

(ग) यदि ऐसा है, तो योजना का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये उत्पादन को बढ़ाने के हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० बी० कृष्णप्पा) : (क) नहीं।

(ख) योजना के तृतीय वर्ष अर्थात् १९५३-५४ के उत्पादन संबंधी आंकड़े अभी तक प्राप्य नहीं हैं।

(ग) अधिकांश राज्यों में जो सामान्य विकास कार्य हो रहा है उसके अतिरिक्त निम्नलिखित योजनाओं के आधीन मछलियों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये कार्यवाही की जा रही है :—

(१) 'अधिक अन्न उपजाओ' की मीन-क्षेत्र योजनायें।

(२) प्रविधिक सहयोग प्रशासन (टी० सी० ए०) कार्यक्रम के आधीन समुद्री मीनक्षत्रों का विस्तार।

(३) नावों के सहायता कार्यक्रम के अधीन मछली पकड़ने से संबंधित सामुदायक विकास परियोजना।

(४) कनाडा के सहायता कार्यक्रम के अधीन सहकारी मीनक्षेत्र विकास।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं जान सकता हूं कि पंचवर्षीय योजना के अनुसार अब तक जो काम हुआ है उसके आधार पर समुद्री साधनों से मछली पकड़ने के कार्य में कितनी विशेष वृद्धि हुई है ?

श्री एम० बी० कृष्णप्पा : जैसा कि मैं ने कहा है कि इसमें वृद्धि हो रही है। आंकड़े इस प्रकार हैं ; १९५१ में इसकी मात्रा ७,५१,००० टन थी और १९५२ में इसमें २,००० टन की वृद्धि हुई। किन्तु १९५२ में एक बात स्मरणीय है ; सारडीन मछली जो कि कुल पकड़ी गई मात्रा का बहुत बड़ा अंग थी इस वर्ष बिल्कुल भी नहीं आई, हमें यह मछली नहीं मिल सकी क्योंकि यह बड़ी पेचीदा बात है, कठिनाई यह थी कि पिछले दो वर्षों या अधिक में केवल एक बार ही ये मछलियां किनारे के निकट आई थीं।

श्री वी० पी० नायर : माननीय मत्री ने कहा है कि कमी का मुख्य कारण सारडीन मछली है। मैं जान सकता हूं कि क्या आपको इस बात का ज्ञान है कि सारडीन के मामले में हमें एक वर्ष मलावार तट से इन मछलियों के दूर रहने के कारण दस लाख मन की हानि उठानी पड़ी है।

श्री एम० बी० कृष्णप्पा : यह हानि उससे भी अधिक है, ९०,००० टन की हानि है।

श्री वी० पी० नायर : मैं जान सकता हूं कि क्या इसके कारण के विषय में सरकार ने कोई जानकारी की है ?

श्री एम० बी० कृष्णप्पा : यह मानव नियंत्रण के परे की बात है। यह एक विशेष प्रकार की मछली है जो कभी तो तट के निकट आ जाती है और कभी दूर चली जाती है। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है।

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि यह सारडीन मछली मलाबार तट से दूर शिकार खेलन वाले मछुओं के लिये नियमित आय का साधन है ?

श्री एम बी० कृष्णप्पा : यह तथ्य है।

पर्यटक

* ७०३. **श्री अमजद अली** : क्या **यातायात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या आसाम के काजीरेंगा जंगलों में शिकार के जो स्थान हैं वहां दुर्लभ प्रकार के पशुओं को देखने के लिये कोई विश्राम शिविर है; तथा

(ख) आसाम राज्य के विभिन्न रोचक स्थानों को देखने के लिये आजकल पर्यटकों को क्या सुविधाएं दी जाती हैं ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) काजीरेंगा के निकट बागुरी में जांच अधिकारियों के लिए एक सुसज्जित बंगला है। शिकार के स्थानों को जाने वाले पर्यटक भी वहां ठहर सकते हैं।

(ख) आसाम में पर्यटकों के लिए रोचक स्थान शिलांग है जहां कि अच्छे अच्छे होटल हैं, जंगली जानवरों के शिकार के लिए काज़ीरेंगा है जिसके निकट ही जांच अधिकारियों के लिए एक बंगला है, और मानास अर्थात उत्तरी कमरूप शिकारगाह है जहां कि ठहरने का उचित प्रबन्ध यदि राज्य जंगलात विभाग को पूर्व में ही सूचना दी जाय तो हो सकता है।

श्री अमजद अली : मेरे प्रश्न के भाग (क) में दुर्लभ पशुओं का उल्लेख है। आसाम के काज़ीरेंगा शिकार के स्थान में वे दुर्लभ पशु कौन कौन से हैं जिनको कि पर्यटक देखना चाहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि आप प्रश्न की सीमा से आगे की बात पूछ रहे हैं।

श्री शाहनवाज खां : मैं उन्हें बता सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप बता सकते हैं, किन्तु यह प्रश्न की सीमा में नहीं है।

श्री अमजद अली : मेरे प्रश्न में विशेष रूप से इसका उल्लेख है "दुर्लभ पशुओं को देखने के लिये।"

अध्यक्ष महोदय : इसका यह तात्पर्य नहीं है कि --जैसे कि मैं प्रश्न की भाषा को समझा हूं--सारी सूची एवं विवरण दिया जाय।

श्री अमजद अली : क्या मैं जान सकता हूं कि सूचना पुस्तिका, पुस्तकों और अन्य प्रचारार्थ इश्तहारों के रूप में आसाम राज्य में रोचक स्थानों को देखने के लिए तथा देश में पर्यटक प्रथा के विकास के लिए क्या क्या सुविधाएं जैसी कि काश्मीर तथा कूलू के विषय में दी गई थीं, दी गई हैं ?

श्री शाहनवाज खां : मेरा विश्वास है कि आसाम में शिकारगाहों के सम्बन्ध में कोई विशेष साहित्य नहीं छपवाया गया है किन्तु एक साधारण पुस्तिका विभिन्न रोचक स्थानों के सम्बन्ध में छपी है, और विशेष रूप से उनके लिए जो कि जंगली जानवरों को देखने में रुचि रखते हैं।

श्री अमजद अली : क्या देश के उस भाग में पर्यटक व्यापार को व्यवस्थित करने के लिए कोई प्रयत्न किया गया है ?

रेल तथा यातायात मंत्री ((श्री एल० बी० शास्त्री) : आसाम सरकार इसमें रुचि ले रही है। साहित्य के सम्बन्ध में यदि वे हमारी सहायता मांगते हैं तो हम सहर्ष सहायता करने को तैयार हैं।

नींद लाने वाली गोलियां

*७०४. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) किस प्रकार की नींद लाने वाली गोलियों का प्रयोग भारतवर्ष में होता है ?

(ख) उनमें से कितनी भारतवर्ष में बनती हैं एवं कितने प्रकार की गोलियों का आयात दूसरे देशों से किया जाता है ; तथा

(ग) क्या इन गोलियों के प्रयोग की आदत बढ़ रही है अथवा घट रही है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) प्राय साधारण रूप से निम्न प्रकार की नींद लाने वाली गोलियों का प्रयोग हमारे यहां होता है ?

(१) बारबीटूरेट्स और

(२) अफीम के आल्कलोइड्स

(ख) बारबीटूरेट्स का आयात किया जाता है और अफीम के आल्कालोइड्स भारत में बनते हैं ।

(ग) इस बारे में कोई निश्चत विचार प्रकट करना संभव नहीं है । यद्यपि आयात में निरंतर कमी है, और सरकार के पास भी इसकी कोई शिकायत नहीं है कि यह आदत वृद्धि पर है ।

श्री डी० सी० शर्मा : मैं जान सकता हूं कि क्या विश्व स्वास्थ्य संस्था नींद लाने वाली गोलियों के प्रयोग के सम्बन्ध में कोई जांच करने का विचार कर रही है जैसा कि उसने यूरुप में किया था ।

श्रीमती चन्द्रशेखर : मुझे कोई जानकारी नहीं है ।

श्री डी० सी० शर्मा : मैं जान सकता हूं कि क्या किसी अनुसंधान प्रयोगशाला में भारतवर्ष में प्रयुक्त नींद लाने वाली गोलियों का विश्लेषण किया गया है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : सभी दवाइओं का विश्लेषण किया जाता है ।

श्री डी० सी० शर्मा : मैं जान सकता हूं कि क्या माननीय मंत्री को इस तथ्य का ज्ञान है कि नींद लाने वाली गोलियों का प्रयोग एक प्रकार से दवाइयों के प्रति आसक्ति है, और क्या इन गोलियों के हानिकारक प्रभाव के विषय में मंत्रालय जनता को शिक्षा देने वाला है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : केवल डाक्टरी प्रमाणपत्रों के अधीन ही ये गोलियां जनता को दी जाती हैं ।

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार को इसका ज्ञान है कि गार्डीनल जैसी दवाई बिना किसी नियंत्रण के जनता को बेची जाती है एतदर्थ अधिक मात्रा में उसका प्रयोग करने से मृत्यु की कई घटनाएं हो चुकी हैं । विशेष रूप से जब मनुष्य आत्म हत्या करना चाहते हैं तो इसका प्रयोग करते हे ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

रेलवे कुली

*७०५. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली के रेल कुलियों ने ५ अगस्त १९५३ को जो अभ्यावेदन किया था उसके प्रत्युत्तर में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : माननीय सदस्य संभवतः उस अभ्यावेदन की ओर निर्देश कर रहे हैं जो रेलवे कुली संघ देहली ने, "संसद् सदस्यों के विचारार्थ देहली में काम करने वाले कुलियों की मांग सम्बन्धी ज्ञापन" शीर्षक के अन्तर्गत प्रस्तुत किया था, और जिसकी एक प्रति यातायात तथा रेल मंत्री को भेजी गई थी । दिल्ली जंकशन रेलवे कुली संघ की विभिन्न मांगों के बारे में की गई जांच के परिणाम द्योतक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है ; ७ सितम्बर १९५३ को तारांकित प्रश्न संख्या १०८८ के साथ पूछे गये अनुपूरक प्रश्नों में से इस सम्बन्ध में पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में दिया गया वचन भी इस में निहित है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३]**

श्री डी० सी० शर्मा : मैं जान सकता हूं कि क्या रेलवे कुली रेलवे कर्मचारी नहीं हैं, किस श्रेणी में आते हैं ?

श्री शाहनवाज खां : वे रेलवे कर्मचारी नहीं हैं, वे तो अनुमतिधर हैं ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि रेलवे कर्मचारी तथा अनुमतिधर में क्या अन्तर है जैसा कि माननीय मित्र अन्तर प्रकट करने का प्रयत्न कर रहे हैं ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : चूंकि कुली एक ठेकेदार का कर्मचारी है अतएव रेलवे कर्मचारी है। स्पष्ट रूप से रेलवे उसे वेतन नहीं देती।

श्री डी० सी० शर्मा : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को ठेकेदारी प्रथा की जिसके अधीन ये रेलवे कुली कार्य कर रहे हैं बुराइयों का ज्ञान है ।

श्री एल० बी० शास्त्री : हमें उसका पता है विभिन्न स्थानों पर विभिन्न संघों से हमने परामर्श किया है और ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने के और आवश्यक्तानुसार कुलियों की भर्त्ती करने के पक्ष में नहीं है ।

श्री डी० सी० शर्मा : ठेकेदारी प्रथा की बुराइयों को दूर करने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री एल० बी० शास्त्री पहले कुली इससे सहमत तो हों ;

श्री ए० एन० विद्यालंकार : मैं जान सकता हूं कि क्या इस प्रकार के अभ्यावेदन अन्य दूसरे स्टेशनों पर काम करने वाले कर्मचारियों की ओर से भी मिले हैं ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न केवल देहली रेलवे स्टेशन तक ही सीमित है ।

श्री सारंगधर दास : क्या मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना कर सकता हूं कि वह 'कुली' शब्द का प्रयोग न करके 'भारवाहक' का प्रयोग करें ।

रेलवे वैगनों की कमी

*७०६. **श्री डी० सी० शर्मा** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह तथ्य है कि उत्तर रेलवे में वैगनों की कमी काफी अनुभव की जा रही है; तथा

(ख) इस कमी को दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) उत्तर रेलवे में नवम्बर के अन्त तक मुश्किल से ही कोई कमी थी और लदान भी साधारणतया हाथ के हाथ होता था। अधिक काम वाले काल में --जो दिसम्बर से जून तक है ---यद्यपि वैगनों की सम्पूर्ण मांगों की पूर्ति करना संभव नहीं है ।

(ख) अधिक वैगनों एवं इंजनों द्वारा ।

श्री डी० सी० शर्मा : मैं जान सकता हूं कि क्या वैगनों की कमी के फलस्वरूप कोयला के कम संभरण के बारे में जनता ने शिकायत नहीं की है ?

श्री शाहनवाज खां : बहुत कम शिकायतें आई हैं। जो कुछ भी शिकायतें आई हैं उनकी भली प्रकार से जांच की गई हैं ।

श्री डी० सी० शर्मा : मैं जान सकता हूं कि क्या वैगनों की कमी के फलस्वरूप ही कुछ माल अन्य स्थानों को नहीं भेजा गया जिसके कारण ही ये शिकायतें आई हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : मैं नहीं समझ सका कि किन विशेष शिकायतों का माननीय सदस्य निर्देश कर रहे हैं । नवम्बर के अन्त तक जो भी माल हमारे पास आया उसका लदान हाथ के हाथ करते रहे हैं और शेष कुछ भी नहीं था। दिसम्बर से इस मात्रा में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है ।

श्री डी० सी० शर्मा : : मैं कहता हूं कि उत्तर देने का यह ढंग नहीं है, आप मुझे समय नहीं देंगे अन्यथा शिकायतों की एक सूची में प्रस्तुत कर सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस बात को समझ लें कि प्रश्न काल का उपयोग जहां तक संभव हो सके वहां तक कम से कम तर्क करके अधिक से अधिक ठीक जानकारी पाने के लिए किया जाय ।

श्री डी० सी० शर्मा : ठीक है श्रीमान् । मोज़ा बनियान आदि के विक्रेताओं ने क्या इस बात की शिकायत नहीं की थी कि अपना सामान भेजने के लिए वे आवश्यकतानुसार वैगन नहीं पा रहे हैं ?

श्री अलगेशन : मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि उत्तर रेलवे में अक्तूबर मास में हमें लदान के लिए जितना भी माल प्राप्त हुआ उस का हमने लदान कर दिया । इस से प्रकट होता है कि हाथ के हाथ लदान करने में हम समर्थ थे । मेरे पास आंकड़े हैं जिनकी सहायता से मैं विवरण दे सकता हूं ।

रेडियो फ्रीक्वेन्सीज

*७०७. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या संसार की वर्तमान सम्पूर्ण मांगों की अपेक्षा रेडियो के लिए प्राप्य "फ्रीक्वेन्सीज़" बहुत कम हैं ;

(ख) क्या विश्व में प्रत्येक रेडियो सरकेट को दी गई विशेष "फ्रीक्वेन्सी" बताने वाली विचाराधीन सूची पर समझौता हो चुका था और क्या ई० ए० आर० सी० जनेवा ने कोई "फ्रीक्वेन्सीज़" निश्चित करने की योजना तैयार की थी;

(ग) क्या हमारी "रेडियो योजना तथा सहयोग शाखा" हमारी वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार "फ्रीक्वेन्सीज़" पाने में समर्थ हुई है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) सन् १९५१ में जनेवा में होने वाले साधारण प्रशासनीय रेडियो सम्मेलन में भारतवर्ष ने भाग लिया था, और वहां जो समझौता हुआ उसमें से कुछ बातों को अनुमति न देते हुये भारत ने हस्ताक्षर किए थे । संसार के समस्त सरकेट सम्बन्धी "फ्रीक्वेन्सीज़" देने के लिए कोई योजना तैयार नहीं की गई थी । केवल कुछ रेडियो सेवाओं के लिये ही योजनाएं स्वीकृत हुईं थीं और कुछ बातों को छोड़ कर भारत ने उनके लिए सहमति दी थी ।

(ग) रेडियो योजना तथा सहयोग शाखा स्वीकृत योजना के अनुसार जो "फ्रीक्वेन्सीज़" दी गई हैं उनको लागू कर रही है ।

सरदार हुक्म सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या जिनेवा सम्मेलन में जो आवंटन किया गया था उसने हमें कठिनाई में डाल दिया है क्योंकि उससे हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकी हैं ?

श्री राज बहादुर : वास्तव में, जहां तक रेडियो-सेवाओं का सम्बन्ध है हम अन्य बड़े बड़े देशों की तरह उन्नत नहीं हैं । जिनेवा के असाधारण प्रशासनिक रेडियो सम्मेलन ने हवाई जहाज़ों और पानी के जहाजों की सर्विसों तथा १४ किलो साइकिल और २८५० किलो साइकिल के बीच की "फ्रीक्वेन्सी बैंडों" की सर्विसों के लिये "फ्रीक्वेन्सीज़" बांटने के बारे में ही योजनायें स्वीकृत की थीं । ३९५० किलो साइकिल और २७,५०० किलो साइकिल के बीच के क्षेत्र के शेष भाग के बारे में कोई समझौते नहीं हो सके; सारे देशों को यही स्थिति स्वीकार करनी पड़ी है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या हमारी संस्था ने अपनी "फ्रीक्वेन्सियों" को हानिपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय गड़बड़ से दूर कर दिया है ?

श्री राज बहादुर : यह रेडियो योजना तथा समन्वय विभाग के कामों में से एक है। हम अपनी सर्विसों को हानिपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय गड़बड़ से बचाने का प्रयत्न करते हैं। हम अपने लिये खाली "फ्रीक्वेन्सियों" को ढूंढ निकालने का भी प्रयत्न करते हैं।

सरदार हुक्म सिंह : चूंकि यह उसका काम है इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि वह इस काम में सफल हुआ है या नहीं; यदि हुआ है तो कहां तक ?

श्री राज बहादुर : यह विभाग १९५२ में स्थापित हुआ था। वह अपने एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य में यानी असाधारण प्रशासनिक रेडियो सम्मेलन के निश्चयों को क्रियान्वित करने में लगा हुआ है। वह हवाई जहाज़ों और पानी के जहाज़ों की तथा अन्य सर्विसों की जरूरतों को आवंटित "फ्रीक्वेन्सी बैंडों" से समन्वित करने का प्रयत्न करता रहा है। परन्तु जहां तक नई 'फ्रीक्वेन्सियां' ढूंढने का प्रश्न है उसने एक छोटा सा "मोनिटरिंग" विभाग खोला है। ज्यों ज्यों समय बीतेगा और हमारे उपकरण अच्छे होते जायेंगे हम उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या असाधारण प्रशासनिक रेडियो सम्मेलन की सी० सी० आई० आर० अध्ययन शाखा ने एक भारतीय की अध्यक्षता में गर्म क्षेत्रों में कम फ़ासले के 'हाई फ्रीक्वेन्सी' प्रसारण के लिए अधिकतम शक्ति के बारे में अध्ययन किया है ?

श्री राज बहादुर : यह भी एक विषय है जिस पर वहां विचार हो रहा है।

मनीआर्डरों का रुपया दिया जाना

***७०८. सरदार हुक्म सिंह :** क्या **संचरण** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ४ अगस्त, १९५३ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं० ३८ में निर्दिष्ट उन मनीआर्डरों के सम्बन्ध में, जो चांदनी चौक, दिल्ली और मेरठ सिटी डाकखानों से जारी किये गये बतलाये गये हैं और जिनका रुपया मार्च १९५३ में धनबाद मुख्य कार्यालय से दिया गया था, की जाने वाली पुलिस जांच पूरी हो गई है ; तथा

(ख) क्या जांच के फलस्वरूप कोई कार्यवाही की गई है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) मामले पर पुलिस की जांच अभी चल रही है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सरदार हुक्म सिंह : क्या कुछ डाक कर्मचारियों की जांच भी हो रही है ?

श्री राज बहादुर : बलवन्त सिंह नाम के एक सेवायुक्त डाक कर्मचारी का, जो गुरदासपुर के सरदार नाथा सिंह का लड़का है, इस अपराध से सम्बन्ध पाया गया है।

सरदार हुक्म सिंह : जांच पूरी करने में क्या क्या विशेष कठिनाइयां हैं ? इसमें बहुत समय लग गया है।

श्री राज बहादुर : इस में सम्बन्धित डाकखानों के अभिलेखों की छानबीन करनी पड़ रही है और साक्ष्य पूरा करने के लिये प्रयत्न किया जा रहा है।

पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्था

***७०९. सरदार हुक्म सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पशु-चिकित्सा

संस्था को जैविकीय पदार्थों के बनाने में एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई है ;

(ख) इस संस्था को मान्यता प्रदान करने के बाद से क्या विदेशों से कोई विद्यार्थी यहां अनुसंधान करने के लिये आये हैं; तथा

(ग) विभिन्न प्रकार के लस और टीके बनाने के तरीकों में कहां तक सुधार हुआ है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) जी नहीं। पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्था को जैविकीय पदार्थों के बनाने में अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में मान्यता प्रदान करने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि इस प्रकार की मान्यता देने के लिये कोई अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण नहीं है। हां, विषैले तत्वों से युक्त टीकों को, ठंडा करके सुखाये गए रूप में बनाने के लिये प्रशिक्षण देने के सम्बन्ध में, खाद्य तथा कृषि संगठन ने इस संस्था को मान्यता दे दी है और उसने भारत के तथा अन्य देशों के प्रशिक्षाणार्थियों के लिए इस संबन्ध में एक प्रशिक्षण काम का आयोजन किया था।

(ख) जी नहीं।

(ग) विषैले तत्वों से युक्त कुछेक टीकों को, सूखे रूप में, ठंडा करके सुखाने के तरीके से बनाना टीके बनान के तरीकों में सब से नया है।

सरदार हुक्म सिंह : क्या हमारी संस्था ने १९५३ में कोई ऐसे जैविकीय पदार्थ बनाये थे जिन्हें विदेशों में भी भेजा गया हो।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : मुझे इसके लिये पूर्व सूचना चाहिये।

रेल प्रयोक्ताओं की सलाहकार समितियां

*७१०. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या रेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि रेल प्रयोक्ता सलाहकार समितियों की प्रादेशिक अथवा डिवीज़नल समितियों में यात्री संघों के प्रतिनिधियों को शामिल न करने के बारे में शिकायतें आई हैं ;

(ख) यदि हां, तो किन खंडों से ?

(ग) वे शिकायतें किस प्रकार की हैं ; तथा

(घ) क्या यह सत्य है कि पुराने यात्री संघों के प्रतिनिधियों को तो छोड़ दिया गया है और हाल में बने संघों के प्रतिनिधियों को ले लिया गया है।

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) तथा (ख). पश्चिम, पूर्वी, दक्षिण तथा पूर्वोत्तर रेलों की प्रादेशिक अथवा डिवीज़नल रेल प्रयोक्ता सलाहकार समिति में कुछेक यात्री संघों का प्रतिनिधित्व न होने के बारे में कुछ शिकायतें आई हैं।

(ग) शिकायतें आम तौर पर प्रादेशिक तथा डिवीजनल समितियों में विशिष्ट संघों के प्रतिनिधि को नहीं लिये जाने के बारे में हैं।

(घ) जी नहीं।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि क्या कलकत्ते में केवल एक वर्ष पुराने संघों को प्रतिनिधित्व दे दिया गया है जब कि चार और पांच वर्ष पुराने संघों की सलाह नहीं ली गई है और उनके प्रतिनिधियों को नहीं लिया गया है ?

श्री शाहनवाज खां : रेल प्रयोक्ता सलाहकार समिति का जो संविधान बनाया गया है उसमें यात्री में सदस्य

लेने का उपबन्ध है । यात्री संघों की संख्या तो बहुत है इसलिये हमने उनमें से दो सबसे अच्छे संघों को छांट लिया था ।

अध्यक्ष महोदय : उनकी शिकायत यह है कि पुराने संघों से प्रतिनिधि नहीं लिये जाकर नये संघों से लिये जाते हैं । उनका संकेत पक्षपात की ओर है ।

श्री शाहनवाज खां : हो सकता है कि नये संघ अधिक काम करते हों और ज्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व करते हों ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या माननीय मंत्री इस बारे में छान बीन करेंगे कि पूर्वी रेलवे का एक भाग छूट तो नहीं गया है जबकि अन्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को ले लिया गया है ।

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : किसी खास प्रदेश के बारे में उत्तर देना बहुत कठिन है। प्रादेशिक और खंड समितियों जैसी कई समितियां हैं । यदि माननीय सदस्य किसी भारी भूल की तरफ़ हमारा ध्यान दिलायेंगे तो हम निश्चय ही जांच करेंगे और उसे ठीक करेंगे ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सच है कि कृषि-वर्ग को प्रतिनिधित्व देते समय कृषि निदेशालयों के लोगों को ही लिया गया है और कृषि संबन्धी संघों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : राज्यों से नाम भेजने के लिये कहा गया था; उन्होंने जो नाम भेजे थे, हमने उन्हें स्वीकार कर लिया है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या सरकार ने इन संघों के बारे में जांच की है कि ये अपने आप बने हुए संघ हैं या ये संविधान के अनुसार काम कर रहे हैं?

श्री शाहनवाज खां : सिद्धान्त रूप में, इन संघों को पंजी बद्ध किया जाना होता है ।

पटसन का उत्पादन

*७११. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में वर्ष १९५३-५४ में पटसन उत्पादन के बारे में क्या अनुमान है;

(ख) क्या पिछले वर्षों के मुकाबले में पटसन कम जमीन पर उगाया जा रहा है;

(ग) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ; तथा

(घ) योजना आयोग द्वारा निश्चित अतिरिक्त पटसन उत्पादन के लक्ष्य को किस प्रकार पूरा करने का विचार है

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० बी० कृष्णप्पा) : (क) गतवर्ष के मुकाबले में भारत में १९५३-५४ में पटसन का उत्पादन कम होने की संभावना है ।

(ख) जी हां ।

(ग) (१) बोने के समय कच्चे पटसन के दामों में उतार ।

(२) मौसम की खराबी ।

(घ) १९५३-५४ में उत्पादन में कमी प्रश्न के भाग (ग) के सम्बन्ध में दिये गये कारणों से हुई थी और ऐसा विश्वास करने का कोई कारण नहीं कि योजना के शेष काल में यही परिस्थितियां बनी रहेंगी । इस के अलावा पटसन का उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार निम्नलिखित उपाय करने का विचार रखती है :—

(१) किसानों में बांटने के लिये पटसन के अच्छे प्रकार के बीजों का उत्पादन ;

(२) पटसन को मुलायम करने के नये व पुराने तालाबों की खुदाई;

(३) पटसन की फ़सल में खादों और रासायनिक कृषिकारों का प्रयोग;

(४) बीज बोने तथा ज़मीन तैयार करने के लिये नालियों (ड्रिलों) और पहियेदार कुदालियों का अधिक प्रयोग ; और

(५) फ़सल की रक्षा करने के लिये उपाय करना ।

श्री एस० सी० सामन्त : प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा था कि मूल्य में कमी हो जाने के कारण पटसन का उत्पादन भी कम हो गया है । मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को यह विश्वास है कि पाकिस्तान से निरन्तर और नियमित रूप से आयात होते रहेंगे ?

श्री किदवई : मैं कई बार यह बतला चुका हूं कि पटसन का उत्पादन पहिली फ़सल के मूल्यों के अनुसार घटता या बढ़ता रहता है । बंगाल में इस समय चावल का भाव बहुत गिर गया है और पटसन के भाव ऊंचे हैं । अतः पटसन का उत्पादन बढ़ेगा ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने पटसन का उत्पादन बढ़ाने के लिए इसका मूल्य निश्चित करने के अतिरिक्त और कोई योजना सोची है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : यह विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन है, हमने इसे पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया है और हम इस योजना को क्रियान्वित करने वाले हैं ।

श्री बी० के० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या हमारे उत्तम पटसन के उत्पादन कार्यक्रम में कोई सुधार हुआ है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : इस में कुछ सुधार हुआ है । परन्तु जब हम इस योजना को क्रियान्वित करेंगे तो और भी अधिक सुधार होगा ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि पटसन का निम्नतम मूल्य निर्धारित करने में क्या कठिनाई है ।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : पटसन का मूल्य विदेशों में इस की मांग और पाकिस्तान में सम्भरण की स्थिति इत्यादि वाह्य बातों पर निर्भर करता है हमें इन सब बातों को ध्यान में रखना होगा । मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने एक समिति नियुक्त की है और वह इस समस्या पर विचार करेगी ।

श्री एल० एन० मिश्र : मैं जान सकता हूं कि हमें प्रतिवर्ष कितने कच्चे पटसन की आवश्यकता होती है और इसमें कितनी कमी होती है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हमारे पास तो इस का आधिक्य है ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : श्रीमान्, मुझे प्रश्न सुनाई नहीं दिया । सम्भव है मैंने गलत उत्तर दे दिया हो ।

अध्यक्ष महोदय : हम अगले प्रश्न पर पहुंच गये हैं ।

कुष्ठ अनुसन्धान

*७१२. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी :

(क) क्या सरकार का मद्रास राज्य में कुष्ठ के अध्यापन और अनुसन्धान के लिये

एक केन्द्रीय संस्था खोलने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना में कहां तक प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार ने अभी हाल ही में इस योजना को स्वीकृति दी है और इसे क्रियान्वित करने के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का इस प्रकार की संस्थाओं को, अन्य राज्यों में भी जहां कुष्ठ फैलता जा रहा है, खोलने का विचार है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : नहीं ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को यह विदित है कि गांधी स्मारक प्रतिष्ठान द्वारा कुष्ठ निरोधक कार्य किया जा रहा है जिस ने सेवाग्राम में इस के प्रशिक्षण का भी प्रबन्ध किया है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : मुझे पक्का पता नहीं है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : गांधी स्मारक प्रतिष्ठान आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग करके एक परीक्षण कर रहा है । मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार भी वैद्यों और हकीमों को कुष्ठ पर अपनी औषधियों के प्रयोग का अवसर देगी ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : आयुर्वेद सम्बन्धी सभी प्रकार का अनुसन्धान जामनगर संस्था में किया जा रहा है ।

श्री मुनिस्वामी: मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि कुष्ठ के लिये विदेशी औषधियों की अपेक्षा स्वदेशी औषधियां अधिक लाभप्रद सिद्ध हुई हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर गत उत्तर से मिल जाता है । यह काम जामनगर में किया जा रहा है ।

होमियोपैथिक कालेज

***७१३. श्री एस० सी० सामन्त :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :

(क) क्या यह सत्य है कि कलकत्ता के तीन होमियोपैथिक कालेजों को मिला कर एक कर देने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि इन में से एक संस्था, अर्थात् कलकत्ता होमियोपैथिक सोसाइटी ने केन्द्रीय सरकार जो मानदण्ड नियत करेगी उसके अनुसार अपने आपको अलग से एक सब प्रकार से पूर्ण होमियोपैथिक संस्था बनाने के लिये अनुमति मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो क्या उसकी प्रार्थना पर विचार किया जा रहा है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राज कुमारी अमृत कौर) : (क) तथा (ख)। होमियोपैथी सम्बन्धी एक एतदर्थ समिति ने जिसमें होमियोपैथिक व्यवसाय के कतिपय सदस्य थे और बातों के साथ यह भी सिफारिश की थी कि कलकत्ता के तीन वर्तमान होमियोपैथिक कालेजों को मिला कर उन के कर्मचारियों और सामग्री से उचित मानदण्ड की एक अध्यापन संस्था बना दी जाये ।

(ग) जी हां ।

(घ) केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की आगामी बैठक में इस विषय पर विचार किया जायेगा ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि माननीय मंत्री ने अभी अभी जिस एतदर्थ समिति का उल्लेख किया है क्या उसमें पश्चिमी बंगाल राज्य का होमियोपैथी विषयें का भी कोई प्रतिनिधि था ? यदि हां, तो मैं जान सकता हूं कि उसे यह पता होने पर भी कि एक कालेज मिलाये जाने के बिल्कुल विरुद्ध है यंह निश्चय क्यों किया गया और सरकार ने उनकी मंत्रणा के अनुसार कार्य क्यों किया ?

राजकुमारी अमृत कौर : हमने बहुत प्रयत्न किया कि कलकत्ता की तीनों संस्थायें मिलाये जाने के लिये सहमत हो जायें । माननीय सदस्य ने जिस व्यक्ति का उल्लेख किया है उसके हस्तक्षेप करने पर भी उन्होंने ऐसा करने से इन्कार कर दिया । अतः समिति ने सर्वसम्मति से यह निश्चय कर लिया ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि यह एतदर्थ समिति कैसे बनाई गई थी ? क्या मैं सदस्यों के निर्वाचन का ढंग जान सकता हूं ?

राजकुमारी अमृत कौर : इस में होमियोपैथिक व्यवसाय के पांच सदस्य थे जो कि सारे भारत में विख्यात हैं और भारत सरकार के दो प्रतिनिधि थे ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या सरकार को यह विदित है कि कुछ संस्थायें या सन्थायें इस प्रकार की समितियों की नियुक्ति से सन्तुष्ट नहीं हैं क्योंकि उनकी सम्मति में गलत व्यक्तियों को चुना जाता है ?

राजकुमारी अमृत कौर : किसी न किसी को तो सदा ही आपत्ति होती है ।

पैट्रोल का स्थानापन्न

*७१४. **श्री गिडवानी :** (क) क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का ध्यान ७ अक्तूबर, १९५३ के **इंडियन एक्सप्रेस** में प्रकाशित पी० टी० आई० के इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि पैप्सू के एक वैज्ञानिक श्री इकबाल कृष्ण भारती ने एक यंत्र के कार्य करने की विधि का प्रदर्शन किया है जिसमें मोटर कार चलाने के लिये पैट्रोल के स्थान पर पानी और मिट्टी के तेल का प्रयोग किया जाता है ?

(ख) क्या यह प्रदर्शन पैप्सू सरकार के सलाहकार ने देखा था जिस ने इस यंत्र से युक्त कार चलाई थी ?

(ग) क्या सरकार ने इस यंत्र की परीक्षा की है ?

(घ) यदि हां, तो इसका क्या फल हुआ है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख) । जी हां ।

(ग) नहीं । किन्तु पैप्सू सरकार इस यंत्र की परीक्षा करवाने के लिये कार्यवाही कर रही है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गिडवानी : इस यंत्र की लागत क्या होगी ? क्या सरकार के पास कोई सूचना है ?

श्री अलगेशन : हम ठीक ठीक नहीं बतला सकते । यह दावा किया जाता है कि इस की लागत ४०० या ५०० रुपये के लगभग है ।

श्री गिडवानी : अनुपात से मीलों में कितनी कमी होगी ?

श्री अलगेशन : अभी कुछ नहीं बतलाया जा सकता ।

भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति

***७१५. श्री एल० एन० मिश्र :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत की भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति का पुनर्गठन करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार से इसका पुनर्गठन किया जायेगा ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री एल० एन० मिश्र : मैं जान सकता हूं कि सरकार इसे कितनी राशि देती है और क्या इसके लेखे की लेखापरीक्षा की जाती है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: हम दस लाख देते हैं; उन्होंने पटसन उगाने के सम्बन्ध में कुछ अनुसन्धान करने के लिये १५ लाख की नई मांग की है ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या यह सत्य है कि पटसन उगाने वालों को विशेष प्रतिनिधित्व देने का कोई प्रस्ताव किया जा रहा है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : भारत सरकार पटसन उगाने वाले राज्यों के विभिन्न विधान-मण्डलों के पटसन उगाने वालों को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिये इस समिति के नियमों तथा विनियमों के पुनरीक्षण के प्रश्न पर विचार कर रही है ।

श्री एल० एन० मिश्र : : क्या सरकार को यह विदित है कि इस समिति का मासिक पत्र जूट बुलेटिन केवल भारतीय पटसन मिल संघ की बात कहता है और उगाने वालों के हितों की रक्षा नहीं करता ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : यह तो अपनी अपनी सम्मति है ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री अमजद अली : मैं जान सकता हूं......

अध्यक्ष महोदय : मैं अगले प्रश्न को ले रहा हूं ।

आदर्श जन स्वास्थ्य अधिनियम

***७१६. श्री गिडवानी :** (क) क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या आदर्श जन स्वास्थ्य अधिनियम का प्रारूप तैयार करने के लिये भारत सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने कार्य आरम्भ कर दिया है ?

(ख) इसके निर्देश पद क्या हैं ?

(ग) समिति अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत करेगी ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) आदर्श जन स्वास्थ्य अधिनियम का प्रारूप तैयार करने के लिये बनाई गई समिति ने अपना कार्य आरम्भ नहीं किया है क्योंकि यह हाल ही में स्थापित की गई थी । आशा की जाती है कि समिति शीघ्र ही कार्य आरम्भ करेगी ।

(ख) विवरण पत्र सदन पटल पर रखा है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४**]

(ग) समिति से छः महीनों के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये कहा गया है ।

श्री के० के० बसु : मैं समिति की संरचना और यह जानना चाहता हूं कि यह विभागीय समिति है अथवा इसमें अन्य विशेषज्ञ हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : समिति में पांच सदस्य हैं; डा० बी० सी० दास गुप्ता . . . . .

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य नाम नहीं चाहते हैं अपितु वह यह जानना चाहते हैं कि क्या यह विभागीय समिति है ।

राजकुमारी अमृतकौर : नहीं, श्रीमान् ।

अध्यक्ष महोदय : दूसरा प्रश्न ।

श्री के० के० बसु : एक प्रश्न, श्रीमान ।

अध्यक्ष महोदय : समिति ने अभी कार्य आरम्भ नहीं किया है । दूसरा प्रश्न ।

नवीन डाकघर

*७१७. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या संचरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या गांवों में खोले गये नवीन डाकघरों से उत्पन्न लाभ और हानि की संगणना की गई है;

(ख) इन डाकघरों से १९५१-५२ और १९५२-५३ में प्राप्त हुआ लाभ अथवा हानि ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) हां, सभी योगात्मक डाकघरों को स्थाई बना देने के पूर्व उनकी वित्तीय दशा की जांच की जाती है ।

(ख) (१) १९५१-५२ में सभी प्रयोगात्मक ब्रांच डाकघरों पर ११,१५,००० रु० से कुछ अधिक हानि हुई ;

(२) १९५२-५३ में सम्पूर्ण ब्रांच डाकघरों पर १७,५८,००० रु० से कुछ अधिक हानि हुई ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या अनुपयुक्त सेवा के कारण ही यह हानि हुई है ?

श्री राज बहादुर : नहीं, श्रीमान् । इसका कारण ग्रामीण डाकघरों में यातायात का अभाव है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या यह सच है कि इन डाकघरों से पत्र बहुत देर से पहुंचाये जाते हैं और यह देरी पहले की अपेक्षा बहुत अधिक है ?

श्री राज बहादुर : मैं पूर्ण नियमितता और समय निष्ठा के पालन का कदापि दावा नहीं करता । लेकिन शिकायतें तो आती ही हैं और उन्हें दूर करने का हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि विभिन्न क्षेत्रों में से हर एक को कितनी हानि उठानी पड़ी है ?

श्री राज बहादुर : क्षेत्रवार तो मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन कुल हानि मैंने बता दी है । मुझे खेद है । मैं सूचना दे सकता हूं किन्तु उसमें अधिक समय लगेगा ।

श्री भागवत झा : श्रीमान, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि, एक गांव में ही दो या तीन डाकघर काम कर रहे हैं और यही हानि का कारण है ?

श्री राज बहादुर : ऐसे मामले हो सकते हैं किन्तु यदि माननीय सदस्य इस तरह की सूचना दें तो मैं उनका आभारी रहूंगा ।

डाक द्वारा वस्तुएं भेजने में देरी

*७१८. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या संचरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पत्र, तार और पैकेट—जिनमें अखबारों के पैकेट भी सम्मिलित हैं—देर से पहुंचने के सम्बन्ध में १९५२ में बिहार राज्य से प्राप्त शिकायतों की संख्या ;

(ख) क्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में वस्तुओं के खो जाने के सम्बन्ध में कुछ समाचार पत्रों (इंडियन नेशन) द्वारा किये जा रहे प्रचार की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ है ;

(ग) क्या इस विषय में कोई कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उस कार्यवाही के परिणाम क्या हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) पत्रों और पैकेटों के देर से पहुंचने और गुम होने के सम्बन्ध में बिहार से १९५२ में ११,३३३ शिकायतें प्राप्त हुई थीं ; इस संख्या में समाचार पत्रों के पैकेट और तार देर से पहुंचने की शिकायतें भी सम्मिलित हैं ।

(ख) हां, किन्तु यह प्रचार केवल वस्तुओं के गुम होने से ही सम्बन्धित नहीं था ।

(ग) और (घ)। जून से अगस्त १९५३ के पिछले तीन महीनों में 'इण्डियन नेशन' में प्रकाशित शिकायतें और उन में से प्रत्येक क विषय में किये गये कार्य का विवरण सदन पटल पर रखा है । [*देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५*]

समाचार पत्रों के सम्बन्ध में यह निर्णय किया गया था कि समाचार पत्रों के ग्राहकों की सूची की मदद से सभी पत्रों की मार्गस्थ प्रत्येक अवस्था पर पूर्ण जांच की जायेगी किन्तु प्रस्तावित जांच कार्य पूरा नहीं किया जा सका क्योंकि अधिकांश पत्रों ने ग्राहक-सूची नहीं दी ।

पंडित डी० एन० तिवारी : जो ग्यारह हजार और कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं उनमें से कितनी शिकायतों की जांच की गई थी और उसका क्या परिणाम हुआ है ?

श्री राज बहादुर : प्राप्त होने वाली सभी शिकायतों की सदा ही जांच की जाती है किन्तु उत्तरदायित्व को ढूंड कर निश्चित करना दूसरी बात है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : कितने मामलों में उत्तरदायित्व निश्चित किया गया है ?

श्री राज बहादुर : मैं स्पष्ट आंकड़े देने में असमर्थ हूं ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या माननीय मंत्री १९५० और १९५१ में प्राप्त शिकायतों की संख्या बताने की स्थिति में हैं ?

श्री राज बहादुर : १९५१ में प्राप्त शिकायतों की संख्या १२,४७८ है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : श्रीमान्, मैं जानना चाहता हूं कि क्या देहाती क्षेत्रों में भेजे जाने वाले समाचार पत्र बहुत देर से वितरित किये जाते हैं अथवा वितरित ही नहीं किये जाते हैं ?

श्री राज बहादुर : मैं इस आरोप को इतने व्यापक ढंग में स्वीकार नहीं करता हूं किन्तु समाचार न पहुंचने के कुछ उदाहरण हो सकते हैं ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या यह सच है ....

अध्यक्ष महोदय : दूसरा प्रश्न ।

श्री अलगेशन : क्या मैं प्रश्न सं० ७१९ और ७२० का साथ साथ उत्तर दे सकता हूं ? वे एक ही विषय से सम्बंधित हैं ।

श्री नानादास : मैं उनका उत्तर पृथक-पृथक चाहता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य उनका पृथक उत्तर चाहते हैं ।

श्री अलगेशन : मुझे कोई आपत्ति नहीं है । मेरा विचार था कि इस तरह अधिक सुविधा होती ।

रेल सेवा आयोग, बम्बई

***७१९. श्री नानादास :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या रेल सेवा आयोग ने दिसम्बर, १९५२ में क्लर्कों की भरती के लिये किसी प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त परीक्षा में अनुसूचित जाति के कितने उम्मीदवार बैठे थे ; और

(ग) कितने उम्मीदवारों को नियुक्ति हेतु अन्तिम रूप से चुन लिया गया है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) ४३४।

(ग) २६३।

श्री नानादास : मैं जानना चाहता हूं कि परीक्षा में अनुसूचित जातियों के लिये कितने स्थान सुरक्षित रखे गये थे ?

श्री अलगेशन : संरक्षण इस विषय पर गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार ही है : साढ़े बारह प्रतिशत रिक्त स्थानों की पूर्ति सीधी भर्ती द्वारा की जाती है और १६ २/३ की पूर्ति अन्य ढंग से की जाती है।

श्री नानादास : मैं उस परीक्षा में सुरक्षित स्थानों की संख्या जानना चाहता हूं।

श्री अलगेशन : ये आंकड़े मेरे पास नहीं हैं किन्तु मैं इस परीक्षा का परिणाम दे सकता हूं। प्रार्थना पत्र देन वाले अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की संख्या ५२६ थी ; परीक्षोत्तर भेंट के लिये ४८३ उम्मीदवारों को बुलाया गया ; यथार्थ रूप में भेंट के लिये आने वालों की संख्या ४३४ थी और आयोग द्वारा चुने गये २६३।

श्री नानादास : श्रीमान्, मैं अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिये निर्धारित संख्या पूरी न होने की कठिनाइयां जानना चाहता हूं तथा इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

श्री अलगेशन : जैसा मैं ने कहा, रक्षण निर्दिष्ट प्रतिशत के अनुसार किया गया है। जब किसी विशिष्ट वर्ष में उम्मीदवार अपेक्षित संख्या में नहीं आते हैं तो दूसरे वर्ष की संख्या में उसे जोड़ कर पूरा कर लिया जाता है। चूंकि अनुसूचित जाति के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में आगे नहीं आ रहे थे एक विशेष नियुक्ति सूचना पत्र जारी किया गया और केवल अनुसूचित जाति के ही प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये गये। इस प्रक्रिया का परिणाम अत्यंत उत्साहजनक था। इस वर्ष फिर इसे दोहराया गया है।

श्री गणपति राम : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि बम्बई रेल सेवा आयोग में एक नवीन सचिव की नियुक्ति की गई है? यदि यह सही है तो उक्त सचिव का नाम तथा योग्यता क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि विस्तृत वार्ता में जाना श्रेयस्कर नहीं है।

श्री बर्मन : क्या माननीय मंत्री के समक्ष इस आशय का अभ्यावेदन किया गया था कि रेल सेवा आयोग में अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग का एक सदस्य सम्मिलित किया जाय; और यदि यह सही है तो उसका क्या परिणाम हुआ ?

श्री अलगेशन : माननीय सदस्य और सदन की सूचनार्थ में यह कह दूं कि कलकत्ता में रेल सेवा आयोग में अनुसूचित जाति के एक महाशय की नियुक्ति की गई है और पिछड़े वर्ग से सम्बंधित एक महाशय की रेल सेवा आयोग मद्रास में नियुक्ति की गई है।

श्री भागवत झा : मैं जानना चाहता हूं.........

अध्यक्ष महोदय : अब हम दूसरा प्रश्न लेंगे।

रेल सेवाओं में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व

*७२०. **श्री नानादास :** क्या रेल मंत्री अपने उस भाषण की ओर ध्यान देंगे जो उन्होंने २७ फरवरी १९५३ को सदन में दिया और बतायेंगे कि तब से रेल सेवाओं में

अनुसूचित जातियों, के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए क्या पग उठाए गये हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों की सेवाओं सम्बन्धी जो आदेश गृह मंत्रालय जारी करता है रेलवे उन सब का अनुसरण करती रही है । जो आदेश गृह मंत्रालय ने गत वर्ष जारी किये थे वे मंत्रालय के १९५२-५३ के प्रतिवेदन में और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के १९५२ के प्रतिवेदन में रखे गये हैं जिन की प्रतियां सदन के पुस्तकालय में हैं । रेल मंत्रालय ने रेल सेवाओं में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व में वृद्धि करन के लिये कतिपय विशेष पग भी उठाए हैं । रेल सेवा आयोगों को, जो नान-गज़ेटेड श्रेणियों की भर्ती करते हैं, निदेश दिया गया है कि वे यथासंभव अधिक अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों को लें । जो स्थान अनुसूचित जातियों के लिए रक्षित थे परन्तु भरे नहीं गये थे उन का पुनः विज्ञापन दिया गया है और केवल अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों को भेंट के लिए बुलाया गया था । इस से उत्साहजनक परिणाम निकले हैं ।

श्री नानादास: श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि गत वर्ष इन पगों से क्या परिणाम निकले हैं ?

श्री अलगेशन : हां श्रीमान् । मैं ने पूर्व प्रश्न के अनुपूरकों के उत्तर में यह सारा कहा था ।

श्री नानादास : मंत्री ने कहा है कि उन्हों ने अनुसूचित जातियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए विशेष पग उठाए हैं, मैं यह जानना चाहता था कि मंत्रालय के इन विशेष पगों से क्या परिणाम निकले ?

श्री अलगेशन : मैं ने अभी आंकड़े बताये थे ।

अध्यक्ष महोदय : वह आंकड़े जानना चाहते हैं ।

श्री अलगेशन : मैं ने बताये थे ।

श्री मुनिस्वामी : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या यह नियुक्तियां करते हुए रेलवे कर्मचारियों के पुत्रों का कुछ ध्यान रखा जाता है ?

श्री अलगेशन : इस का पहले भी सदन में उत्तर दिया गया है । संविधान के अनुसार रेलवे कर्मचारियों के पुत्रों का ध्यान रखना संभव नहीं रह जाता ।

श्री रघवय्या : क्या मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों और अन्यों के बीच प्राप्त किये जाने वाले नम्बरों की अपेक्षित प्रतिशतता में कोई अन्तर है ?

श्री अलगेशन : कोई पृथक स्तर नहीं रखे गये ।

श्री गणपति राम—खड़े हुए ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

कलकत्ता एक्सचेंज में स्वतः चालित यंत्र लगाना

*७२१. **श्री बी० के० दास** : क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता एक्सचेंज को **यंत्र**-चालित बनाने के कारण कलकत्ता की टेलीफोन व्यवस्था के कर्मचारियों में कितनी छटनी हुई; तथा

(ख) उन में से कितनों को वैकल्पिक नौकरी दी गई ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) कलकत्ता टेलीफोन व्यवस्था में स्थायी अथवा अस्थायी कर्मचारियों की कोई छंटनी नहीं की गई, तो भी २८७ दैनिक मजदूरी के मज़दूर और ३५ वायरमैन जो थोड़े समय के प्रकीर्ण कार्यों पर लगाये गये थे उस कार्य के पूर्ण होने

पर जिस के लिए वे लगाए गये थे, निकाल दिये गये हैं।

(ख) ६० दनिक मज़दूरी के मज़दूरों को पुनः नौकर रखा गया है।

श्री बी० के० दास : मैं जान सकता हूं कि उन्हें क्या नौकरी दी गई है ?

श्री राज बहादुर : वही जिस पर उन्हें पहले लगाया गया था।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि लिपिकों और मासिक दर पर काम करने वालों को निकाला गया है ?

श्री राज बहादुर : मैं सदस्य का ध्यान उस उत्तर की ओर दिलाता हूं जो मैं ने प्रश्न का दिया है।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : आपका उत्तर......

अध्यक्ष महोदय : उन्हें मंत्री से नहीं बोलना चाहिये।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : उन का उत्तर था कि कुछ दैनिक दर के व्यक्ति निकाले गये थे परन्तु उस शाखा में कार्य करने वाले लिपिकों को भी निकाला गया है।

श्री राज बहादुर : मैं सदस्य के लाभ के लिए दोहराता हूं कि जहां तक नियमित कर्मचारिवृन्द का सम्बन्ध है चाहे स्थायी अथवा अस्थायी, उस में कोई छंटनी नहीं की गई, परन्तु स्वतः-चालित यंत्रों को लगाने के समय कुछ विशिष्ट प्रकीर्ण कार्यों पर कुछ व्यक्तियों को थोड़ा समय कार्य करने वाले कर्मचारियों के रूप में लगाया गया था। ज्यूं ही वह कार्य समाप्त हुआ उन व्यक्तियों को निकाल दिया गया क्योंकि उन की और आवश्यकता नहीं थी।

माल डिब्बों की कमी

***७२२. श्री भागवत झा** : (क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि सितम्बर १९५३ से माल के डिब्बों की कमी बढ़ गई है ?

(ख) क्या यह तथ्य है कि कानपुर के पटसन के कारखानों को इस लिए बन्द किया गया क्योंकि उन्हें उपयुक्त यातायात की सुविधाएं नहीं मिल सकीं ?

(ग) क्या यह भी तथ्य है कि माल डिब्बों की कमी के कारण हज़ारों मन पटसन जो बिहार और आसाम में खरीदा गया था कानपुर नहीं पहुंच सका ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं। अक्तूबर १९५३ से परिवहन में प्रगतिपूर्ण सुधार हुआ है।

(ख) जी नहीं। इन पटसन के कारखानों के लिए उपयुक्त यातायात सुविधाओं की कमी नहीं थी वरन इस के अतिरिक्त वे भेजने वाले स्टेशनों पर ठीक समय पर माल के डिब्बों की पर्याप्त मांगें नहीं दे सके जिस के फलस्वरूप उनको कम पटसन पहुंचा अन्यथा ऐसा न होता।

(ग) जी नहीं। अगस्त सितम्बर में और १०-१०-५३ तक कटिहार रेलवे ज़िले के स्टेशनों से लगभग १२९ माल के डिब्बों में और अलीपुर दुआर से ९८ डिब्बों में कानपुर के लिए पटसन भरा गया और १०-१०-५३ को कटिहार ज़िला में बाकी पंजीबद्ध मांगें १०२ माल के डिब्बों और अलीपुर में केवल ५ माल के डिब्बों की थीं। ये सब बाकी पंजीबद्ध मांगें ३-१०-५३ को अथवा इस के पश्चात की गईं।

श्री भागवत झा : अभी मंत्री महोदय ने बताया कि वैगन्स की कमी नहीं है, वैगन्स की सप्लाई बढ़ गई है, क्या मैं यह जान

सकता हूं कि वैगन्स की कमी न रहने के बावजूद वैगन्स के लिए ऐप्लाई करने वाले लोगों को समय पर वैगन्स क्यों नहीं मिलते हैं ?

श्री शाहनवाज खां : जहां तक वैगन्स के सप्लाई का सवाल है, जो २ लोग सही टाइम पर ऐपलाई करते हैं उनको वैगन्स मिल जाते हैं। कटिहार के बारे में चीज़ यह है कि वहां पर बहुत सारे जूट के वैगन्स लोड किये जाते हैं, जे० के० मिल्स के अलावा और बहुत सी फर्म्स हैं वह भी इंडेंट करती हैं, जो पहले इंडेंट करता है, उसको पहले वैगन्स मिलते हैं ।

श्री भागवत झा : क्या यह बात सत्य नहीं है कि माननीय मंत्री को बहुत से लोगों ने वैगन्स के लिए दरख्वास्तें दीं, दरख्वास्त देने के बावजूद वैगन्स उस समय मिले जब कि माल न उठ पाने के कारण उनको काफी क्षति पहुंच चुकी थी ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): मैं ने पहले भी शायद हाउस में कहा है कि वैगन्स की सप्लाई जब पीक सीज़न होता है जैसे कि अगले दिसम्बर, जनवरी और फरवरी के महीने जब कि गन्ने वगैरह की ट्रैफिक काफ़ी बढ़ जाती है तब वैगन्स के मिलने में दिक्कत पड़ती है, लेकिन पिछले तीन, चार महीने के अन्दर जिस ज़माने में जे० के० मिल्स ने इस बारे में शिकायत की है, उस ज़माने में वैगन्स की दिक्कत नहीं थी ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या यह तथ्य है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत के लिए यातायात में मुकामा घाट और बनारस में माल के डिब्बों के न मिलने के कारण, बाधा पड़ जाती है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : यह माल के डिब्बों के न मिलने के कारण नहीं वरन मुकामा घाट पर पुल न होने से लाईन पर सीमित कार्य की शक्ति के कारण ।

श्री गिडवानी : एसी कोई शिकायत आप को मिली है कि जो रुपया देते हैं उन को जल्दी मिल जाते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

रेल यात्रियों की सुविधाएं

*७२३. **श्री भागवत झा :** (क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने नए, पंखों वाले और सुधरी प्रकाश व्यवस्था वाले तीसरी श्रेणी के डिब्बे चलाये गये हैं ?

(ख) क्या यह तथ्य है कि कुछ मध्य श्रेणी के डिब्बों में से पंखे उतार लिये गये हैं ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) ९९२५ तीसरी श्रेणी के डिब्बों में पंखे लगाये गये और १०२१९ तीसरी श्रेणी के डिब्बों में सुधरी प्रकाश व्यवस्था की गई।

(ख) रेल से प्राप्त हुए प्रतिवेदनों से पता चलता है कि कुछ छोटी लाईन के सवारी डिब्बों में प्रत्येक मध्य श्रेणी के डिब्बे से अस्थायी तौर पर पंखों की संख्या ४ से घटा कर दो कर दी गई है क्योंकि पंखों और दीपों का भार विद्युत उत्पन्न करने की शक्ति से अधिक होता है ।

श्री भागवत झा : क्या मैं यह जान सकता हूं कि बाकी तृतीय श्रेणी के डिब्बों में इम्प्रूव्ड लाइटिंग (सुधरे दीप) और बिजली के पंखों का प्रबन्ध कब तक हो जायगा और इस सम्बन्ध में आपकी क्या योजना है ?

श्री शाहनवाज खां : बहुत जल्द ।

श्री भागवत झा : क्या मैं जान सकता हूं कि आपकी बहुत जल्द की परिभाषा क्या है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : बात यह है कि करीब डेढ हज़ार कोचेज़ में नये फैन लगाने हैं और मेरा ख्याल यह है कि यह सब काम पूरा होते होते करीब ३, ४ वर्ष लगेंगे ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : क्या सरकार को विदित है कि इंगलेंड में तीसरी श्रेणी के डिब्बों में कुछ अतिरिक्त मूल्य पर सोने के लिए स्थान दिया जाता है और क्या सरकार वैसी सुविधाएं यहां देने का विचार रखती है ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे भय है कि यह प्रश्न के क्षेत्र में नहीं है ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : प्रश्न में तीसरी श्रेणी के डिब्बों में सुविधाएं प्रदान करने की ओर निर्देश किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं । इस में प्रकाश सम्बन्धी सुधरी व्यवस्था और पंखों की सुविधाओं की ओर निर्देश है और यह तीसरी श्रेणी के यात्रियों को सुविधाएं प्रदान के सम्बन्ध में सामान्य प्रश्न नहीं है ।

दार्जलिंग-सिल्लीगुड़ी रेल

*७२४. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे की दार्जलिंग-सिल्लीगुड़ी शाखा घाटे पर चल रही है ;

(ख) क्या यह सच है कि रेलवे रेट से स्पर्धी दरों पर अत्यधिक बसें तथा ट्रकें चलने से यह घाटा हो रहा है ;

(ग) इस स्पर्धा को मिटाने तथा रेल को व्यावसायिक ढंग पर चलाने के लिये कौन सी योजनायें विचाराधीन हैं ; और

(घ) क्या सस्ते दरों पर रिटर्न टिकट जारी करने का विचार है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) (१) उत्तर पूर्व रेल के अभ्यावेदनों पर पश्चिमी बंगाल सरकार ने वे सड़क सम्बंधी अस्थायी अनुज्ञप्तियां समाप्त कर दी हैं, जो १९५० में बाढ़ों और भूमि घंस जाने से कुर्सियांग और दार्जलिंग के बीच गाड़ी व्यवस्था बन्द हो जाने पर जारी की गई थीं । पश्चिमी बंगाल सरकार सड़क सम्बन्धी और अनुज्ञप्तियां जारी करना बन्द करने के लिए सहमत हो गई हैं ।

(२) नष्ट हो जाने वाली वस्तुओं की यातायात को पूरा करने के लिए एक शीघ्रगामी पार्सल एक्सप्रैस गाड़ी २२-९-१९५३ से दार्जिलिंग और सिलिगुडी के बीच चलानी आरंभ की गई है ।

(३) १-१०-१९५३ से इस विभाग के कतिपय स्टेशनों के बीच सब्जी और फल के लिए कम दरें जारी की गई हैं ।

(घ) जी नहीं ।

श्री रघुनाथ सिंह : गत वर्ष कितनी हानि हुई ?

श्री अलगेशन : मैं अभी हानि क आंकड़े नहीं बता सकता ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या सरकार को विदित है कि इन हानियों का कारण यह है कि यात्री उन अवसरों का लाभ नहीं उठा सकते क्योंकि गाड़ियों के समय ठीक नहीं हैं ।

श्री अलगेशन : हमें ऐसी किसी बात का पता नहीं है ।

श्री भागवत झा : क्या सरकार की नीति ऐसे स्थानों पर बसों और रेल में प्रतिस्पर्धा को दूर करने की है जहां दोनों पास पास एक ही रास्ते पर चलती हैं ?

श्री अलगेशन : हां श्रीमान् । हम दोनों रेल और बस व्यवस्था का विनियमन दोनों में सहयोग के विचार से करना चाहते हैं । यह हमारी नीति है ।

हट्टी की सोने की खानें

*७२५. **श्री टी० बी० विट्ठल राव :** (क) क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि, हट्टी में हैदराबाद गोल्ड माईन्स कम्पनी ने कोई अस्पताली गाड़ी नहीं रखी जैसा कि खाने अधिनियम १९५२ के अधीन अपेक्षित है ?

(ख) सरकार ने इस विषय में क्या पग उठाए हैं ?

(ग) गोल्ड माईन्स चिकित्सालय में हताहत श्रमिकों के उपचार के लिए पर्याप्त प्रबंध किये गये हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) तथा (ख)। खान अधिनियम १९५२, के अधीन खानों में अस्पताली गाड़ी रखने इत्यादि विषय नियमों द्वारा विहित करने के लिए छोड़ दिये गये थे, नियम बनाये जा रहे हैं। नियमों में यह उपबंध करने का विचार है कि खान के स्वामी, अभिकर्ता अथवा प्रबंधक का यह कर्तव्य है कि वे खानों से गम्भीर रूप में बीमार तथा दुघटनाग्रस्त व्यक्तियों को खानों से चिकित्सालयों में शीघ्र ले जाने के लिये प्रबंध करें । हट्टी सोने की खानों में एक भली प्रकार सुसज्जित चिकित्सालय है जहां साधारण हाथ के स्ट्रेचर के अतिरिक्त एक साईकल के पहियों का स्ट्रचर रखा गया है ।

(ग) जी हां।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या खान अधिनियम की धारा २१ के अधीन खान मालिकों के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वे हट्टी पर एक अस्पताली गाड़ी रखें ?

श्री आबिद अली : इस अधिनियम के बाद प्रक्रिया नियम बनने आवश्यक हैं जिन में लगभग एक हज़ार खण्ड होंगे जैसा कि मैंने कहा है, ये नियम तैयार किये जा रहे हैं । नियमों के बन चुकने पर यह धारा लागू होगी ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि ये नियम कब तक बन चुकने की आशा है ? उस विशेष क्षेत्र में खान अधिनियम, जुलाई, १९५२ अर्थात् लगभग २० मास पहले लागू किया गया था ।

श्री आबिद अली : इस खान में और कुछ करने को नहीं है क्योंकि अस्पताल निकटतम खान मार्ग से ६०० फुट तथा दूरतम खान-मार्ग से ७०० फुट की दूरी पर है इसलिये इस सम्बन्ध में कोई कठिनाई नहीं है।

जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि ये नियम कब लागू होंगे, मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये तैयार किये जा रहे हैं और लगभग एक हज़ार खण्ड तैयार किये जाने हैं ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या सरकार को मालूम है कि खानों के अस्पताल में एक्सरे की कोई मशीन नहीं है ?

श्री आबिद अली : एक्सरें मशीन की स्वीकृति दे दी गई है और इसके दामों के सम्बन्ध में पूछताछ की गई है ।

हैदराबाद की सोना खानें

*७२६. **श्री टी० बी० विट्ठल राव :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि "हैदराबाद सोना खान" के मजदूरों द्वारा २५ अगस्त, १९५३ को की गई हड़ताल का क्या कारण था ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : इस खान के मज़दूर संघ ने प्रबन्धकों को

जो पूर्व सूचना दी, उसमें सांकेतिक हड़ताल के कारण निम्न लिखित बताये गए थे :

(१) जिन मज़दूरों को मज़दूर संघ सम्बन्धी कार्यवाहियों के कारण निकाल दिया गया था और फिर रख लिया गया था, उन्हें अपने पुराने पदों पर लगाया जाय ;

(२) मज़दूर संघ को स्वीकार कर लिया जाय;

(३) नये मज़दूर रखने का ढंग; और

(४) मज़दूरों पर लगाये गये अवैध तथा अत्युक्तियुक्त आरोप ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : जब इस खान के प्रबन्धकों को १७ अगस्त, १९५३ को हड़ताल की पूर्व सूचना दी गई तो क्या समझौता अधिकारी ने समझौता कराने की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की ?

श्री आबिद अली : इस अधिकारी को इस की सूचना २२ अगस्त,१९५३ को मिली और उस समय वह बाहर गया हुआ था ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि हड़ताल के समय किसी ओर से हिंसा का प्रयोग किया गया ? माननीय मंत्री ने अभी कहा है कि कुछ लोगों पर अवैध रूप से इकट्ठे होने या ऐसे ही आरोप लगाये गए थे ।

श्री आबिद अली : जी हां ; बहुत हिंसा बरती गई । सच तो यह है कि इस मामले में मज़दूर संघ सम्बन्धी कार्यवाही बहुत कम थी और राजनीति तथा सम्बद्ध दलों द्वारा मज़दूरों से अनुचित लाभ उठाने की भावना अधिक । पुलिस पर पत्थर फैंके गये और मज़दूरों पर गंदगी फैंकी गई । उनमें से कुछ को मारा पीटा गया और वे अस्पताल में दाखिल कराये गये । स्थानीय पुलिस को शान्ति बनाये रखने में सहायता देने के लिए और पुलिस बलानी पड़ी ।

अध्यक्ष महोदय प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ ।

८-१२-५३ के तारांकित प्रश्न संख्या ७११ के उत्तर में भूल सुधार

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : श्रीमान्, मैं अपने एक वक्तव्य में भूल सुधार करना चाहता हूं । श्री एल० एन० मिश्र द्वारा पूछे गये एक अनपूरक प्रश्न का उत्तर देते हुये—यह समझ कर कि वे पूछ रहे हैं कि हमारे पास पटसन के बने माल की कमी है या नहीं——मैंने कहा कि हमारे पास पटसन का माल अपनी आवश्यकताओं से अधिक है । बाद में मुझे मालूम हुआ कि वे यह पूछ रहे थे कि हमारे पास पटसन की कमी है या नहीं । मैं ऐसी आधारभूत बात के सम्बन्ध में कोई सन्देह उत्पन्न नहीं करना चाहता । हमारे पास पटसन कम मात्रा में है और यह कमी कितने प्रतिशत की है इस सम्बन्ध में मैं उन्हें बाद में आंकड़े बताने के लिये तैयार हूं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

मछली पकड़ने की नावें

*७२८. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या मछली पकड़ने की नई प्रकार की नौकाओं की व्यवस्था की जा रही है । क्योंकि भारतीय नौकायें मोटर से चलाने के लिए अनुपयुक्त साबित हुई हैं; और

(ख) क्या उन्हें भारत में बनाने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) तथा (ख)। देशी नावों में मोटरें लगाई जा रही हैं और उन की परीक्षा की जायगी । यदि वे ठीक न रहीं तो मोटरें लगाने के लिए अधिक उपयुक्त नावों की परीक्षा

की जायगी । वे ठीक लगीं तो भारत में उन के निर्माण पर विचार किया जायगा ।

बनगाई गांव रेलवे स्टेशन

*७२९. **श्री अमजद अली** : क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि बनगाई गांव स्टेशन के यार्ड को नये नमूने का बना दिया जाय और वहां यात्रियों के लिए कुछ सुविधाओं का प्रबन्ध भी किया जाय ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : हां श्रीमान् । यह काम १९५४-५५ के निर्माण कार्यक्रम में सम्मिलित है ।

सम्भलपुर से कांटामांजी तक रेल की लाइन

*७३०. **श्री आर० एन० एस० देव** : क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सम्भलपुर से काटामांजी तक एक नई रेल लाइन का बनाना हीराकुंड बांध योजना के सम्बन्ध में आवश्यक समझा गया ;

(ख) किन कारणों से इस लाइन को, सम्भलपुर-टिटिलागढ़ रेलवे लाइन की तुलना में अच्छा समझा गया; और

(ग) इस लाइन का निर्माण कब प्रारम्भ होने की आशा है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) यह लाइन हीराकुड बांध के बनाने के लिए आवश्यक नहीं थी परन्तु इसका निर्माण हीराकुड बहुमुखी योजना के क्षेत्रों के विकास के लिये अधिक आवश्यक है ।

(ख) यह लाइन आवश्यकता से अधिक अनाज तथा अन्य उत्पादों को रायपुर-विजियानगरम लाइन द्वारा वाल्टेयर तथा और आगे दक्षिण ले जाने के लिये अच्छी समझी गई । इस से, बिहार और उत्तर उड़ीसा से विशाखापटम बन्दरगाह और दक्षिण को जाने के लिए दूरी भी कम हो जायगी ।

(ग) यह प्रश्न विचाराधीन है ।

आसनसोल में रेलवे पोर्टर

*७३१. **श्री रामानन्द दास** : (क) क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ईस्टर्न रेलवेज़ कुली कांग्रेस के मंत्री ने आसनसोल स्टेशन पर रेलवे ठेकेदार द्वारा कुलियों के शोषण की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है ।

(ख) यदि हां, तो लाइसेंस प्राप्त कुलियों की शिकायतें दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के श्रम निरीक्षक ने रिपोर्ट दी है जिस पर ईस्टर्न रेलवे विचार कर रही है । इस विचार के आधार पर आवश्यक कार्यवाही की जायगी ।

चावल

*७३२. **श्री पी० रामस्वामी** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन राज्यों में उन की आवश्यकता से अधिक अनाज उत्पन्न होता है, उन में चालू फसलों की कोई पड़ताल की गई है ?

(ख) यदि हां, तो चावल की अगली फ़सल कैसी होने की आशा है ?

(ग) क्या सरकार को पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश, मद्रास और आंध्र म चावल के मूल्यों के गिरने के सम्बन्ध में समाचार मिले हैं ?

(घ) यदि हां, तो ये मूल्य कहां तक गिरे हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) और (ख)। चावल उगाने वाले मुख्य राज्यों (सिवाए उड़ीसा के) में चावल के उत्पादन का अनुमान लगाने के लिए नमूने की पड़तालें की जा रही हैं परन्तु इन के परिणाम फरवरी या मार्च, १९५४ से पहले मालूम नहीं हो सकेंगे। परन्तु आजकल ऐसा मालूम हो रहा है कि इस वर्ष चावल की फ़सल पिछले वर्ष की अपेक्षा कहीं अच्छी होगी।

(ग) तथा (घ)। जी, हां। पिछले तीन महीनों में चावल के मूल्य गिरे हैं। इन चार राज्यों में चावल के मूल्यों में १ रुपये से चार रुपये प्रति मन तक की कमी हुई है।

चावल के मूल्य

*७३३. **श्री पी० रामस्वामी** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत में वर्षा संतोषजनक हुई है —इस बात को देखते हुये सरकार को चावल के मूल्यों में विशेष कमी की आशा है ?

(ख) चावल के मूल्य गिरने की दशा में, उत्पादकों को उचित मूल्य मिलें—इस का प्रबन्ध करने के लिये, सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

(ग) क्या सरकार के पास कोई ऐसा प्रस्ताव है कि अगली फ़सल से चावल खरीद लिया जाय और आपात काल के लिये केन्द्र में चावल का रक्षित भंडार रखा जाय ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी, हां। कुछ क्षेत्रों में पिछले कुछ महीनों में चावल के मूल्यों में काफ़ी कमी हुई है और आशा है कि मूल्यों में कमी का यह रुझान फ़सल के मौसम के अगले कुछ महीनों में भी जारी रहेगा।

(ख) सरकार सावधानी से स्थिति को देख रही है। यदि यह देखा गया कि किसी क्षेत्र में मूल्य आर्थिक स्तर से नीचे चले गए हैं तो—उत्पादकों को उचित दाम मिल सकें—इस का प्रबन्ध करने के लिये उपयुक्त कार्यवाही की जायगी।

(ग) आशा है कि इस वर्ष देश में चावल इतना अधिक होगा कि कमी वाले राज्यों की आवश्यकताएं पूरी की जा सकें। परन्तु सम्भव है कि देश में इतना अधिक चावल न खरीदा जा सके जिस से केन्द्रीय रक्षित भंडार बनाया जा सके।

दिल्ली में नया असैनिक हवाई हड्डा

*७३४. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नागरिक उड्डयन संचालक के कार्यालय ने, दिल्ली में अलग असैनिक हवाई अड्डे के लिए स्थान ढूंढने के लिए खोज प्रारम्भ की थी; और

(ख) यदि हां, तो उसकी सिफ़ारिशें क्या हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है कि पालम के हवाई अड्डे पर उड़ानों तथा तत्सम्बन्धी कार्यवाहियां भारतीय वायुसेना तक ही सीमित रहें या नागरिक उड्डयन के लिए ही हों। इस के साथ ही भारतीय वायुसेना नागरिक उड्डयन विभाग तथा केन्द्रीय जन निर्माण विभाग ने पालम के स्थान में, एक और हवाई अड्डे के लिए दिल्ली में कौन सा स्थान उपयुक्त होगा—इस सम्बन्ध में प्रारम्भिक जांच की है।

(ख) इस जांच की रिपोर्ट में प्रत्येक स्थान के पक्ष में तथा विरुद्ध बातें कही गई हैं । कोई विशेष सिफ़ारिश नहीं की गई है । यह मामला अभी विचाराधीन ही है ।

पूर्वी रेलवे पर दुर्घटनाएं

***७३५. सरदार ए० एस० सहगल :** (क) **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पूर्वी रेलवे, नैरो गेज, की नयनपुर, पेंदरी, लामता, चारेगांव, गोंडी गजशापुर और छिंदवारा नागपुर लाइनों पर १५ सितम्बर से ३० अक्तूबर, १९५३ तक, डेढ मास के समय में छः दुर्घटनाएं हुई थीं ?

(ख) इस मामले म सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जैसा कि सदन पटल पर रखे गये विवरण में बतलाया गया है, १३ सितम्बर से २३ अक्तूबर,१९५३ तक ६ दुर्घटनाएं हुई थीं । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६**]

(ख) सामान्य रूप से जो उपाय किये गये हैं अर्थात दुर्घटनाओं के लिये उत्तरदायी ठहराये गये रेल कर्मचारियों के विरुद्ध प्रभावशाली अनुशासनात्मक कार्यवाई करना, स्टेशनों के कार्य की नियमित रूप से परीक्षा करना, अधीक्षक और नियंत्रण को अधिक कठोर करना, स्थायी रेल मार्ग डिब्बों और इंजनों आदि का बार बार और पूर्ण निरीक्षण करना इत्यादि के अतिरिक्त जिन छः दुर्घटनाओं का उल्लेख किया गया है, उनमें से एक के सम्बन्ध में विशिष्ट रूप से कार्यवाही की जा चुकी है और दूसरी में माल डब्बे के एक भाग के टूट जाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं । शेष चार की जांच पूरी होने पर, उनके सम्बन्ध में उपयुक्त कार्यवाही की जाएगी ।

आसाम से विमान द्वारा नारंगियों का ले जाया जाना

***७३६. श्री हेडा : खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम से नारंगियों को विमान द्वारा कलकत्ता ले जाने के बारे में कोई प्रस्थापना है; तथा

(ख) क्या इस योजना के लिये सरकार आर्थिक सहायता देगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

मणिपुर में मिशन अस्पताल

***७३७. श्री रिशांग किशिंग : स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सत्य है कि मणिपुर की बैप्टिस्ट परिषद् ने (१) एक ३० बैड वाला सुसज्जित मिशन अस्पताल और (२) चिकित्सा कर्मचारियों के लिए क्वार्टर बनाने के लिए मणिपुर सरकार से डी० एम० कालेज के सामने वाली भूमि मांगी थी;

(ख) क्या यह सत्य है कि मणिपुर की सरकार ने इस परिषद् की प्रार्थना अस्वीकार कर दी है; तथा

(ग) यदि हां, तो इसके क्या करण हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर : (क) तथा (ख) । जी हां ।

(ग) जो भूमि मणिपुर की बैप्टिस्ट परिषद् ने मांगी थी, वह चूंकि इम्फाल की चतुर्थ बटालियन आसाम राईफल्स छावनी के अन्दर है और यह मणिपुर प्रशासन के क्षेत्राधिकार में नहीं है, इसलिये मणिपुर

प्रशाहन मिशन की प्रार्थना स्वीकार नहीं कर सकता था ।

मक्की का उत्पादन और निर्यात

*७३८. **श्री रिशांग किशिंग :**
श्री एल० जे० सिंह :

खाद्य तथा कृषि मंत्री यह **बतलाने की** कृपा करेंगे कि ।

(क) १९५० से १९५३ तक मणिपुर में प्रति वर्ष कितनी मक्की पैदा हुई और निर्यात की गई ;

(ख) १९५३-५४ में मणिपुर में कितनी मक्की पैदा हुई और निर्यात की गई;

(ग) मणिपुर से मक्की के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने के कारण क्या हैं; तथा

(घ) यह प्रतिबन्ध कब तक हटा लिया जायेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) तथा (ख)। १९५३ से पहले के वर्षों में मणिपुर में मक्की की पैदावार तथा निर्यात के सम्बन्ध में ठीक ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है । १९५३ में मणिपुर में ६५,००० मन मक्की पैदा हुई और इस में से ८,००० मन नवम्बर के मध्य तक निर्यात की गई । ३०,००० मन अभी व्यापारियों के हाथ में है ।

(ग) तथा (घ) । मक्की का एक राज्य से दूसरे राज्य को निर्यात केवल केन्द्र द्वारा निर्धारित आवंटनों के अनुसार किया जाता है । तथापि मणिपुर के मामले में भारत सरकार ने निजी व्यापार द्वारा ३०,००० मन के निर्यात की अनुमति दी है ।

लखनऊ में उपद्रव

*७३९. **श्री एन० एम० लिंगम :**
श्री रघुनाथ सिंह :
डा० राम सुभग सिंह :
सेठ अचल सिंह :

क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) लखनऊ में विद्यार्थियों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा किये गये उपद्रव में कितनी राशि की टेलिग्राफ़ और टेलिफ़ोन सामग्री को क्षति पहुंची; और

(ख) डाकखानों की अनुमानतः कितनी हानि हुई ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) लगभग ५४,५०० रुपये जिस में से लगभग ३८,००० रुपये लखनऊ नगर के सम्बन्ध में हैं ।

(ख) नकदी आदि की हानि १५६९-१०-७ थी, जिस में से ७५७-११-५ लखनऊ नगर के डाकखानों में हुई । इस में उन निजी इमारतों की, जिन में डाक खाने थे और फर्नेचर तथा रिकार्डों की हानि सम्मिलित नहीं ।

डाक तथा तार बोर्ड

***७४०. श्री मुनिस्वामी : संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई डाक तथा तार बोर्ड है; तथा

(ख) यह बोर्ड किस प्रकार का है और इसके कृत्य क्या हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) जी हां ।

(ख) अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७**]

प्रतिशीर्ष अनुदान

***७४१. श्री ब्रह्म चौधरी :** रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४९ से १९५३ तक की अवधि में रेलवे स्कूलों को प्रतिशीर्ष अनुदानों के रूप में कितनी राशि दी गई ;

(ख) इन अनुदानों का आधार और दर क्या हैं; तथा

(ग) हाल के वर्षों में इन अनुदानों की दरों में कमी करने के कारण क्या हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग) तक। एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ८**]

छोटी बन्दरगाहें

***७४२. श्री सी० भट्ट : यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सामुद्रिक राज्यों को अधिक महत्वपूर्ण छोटी बन्दरगाहों को विकसित करने के लिए ऋण देने का कोई प्रस्ताव है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : जी हां ।

रेलवे सुविधा समिति

***७४३. श्री के० पी० त्रिपाठी** : (क) **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सुविधा समिति ने जिस ने हाल में आसाम का दौरा किया है, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ?

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

(ग) इन सिफारिशों के प्रकाश में क्या पग उठाने का निर्णय किया गया है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग)। रेलवे बोर्ड उत्तर-पूर्वी रेलवे के परामर्श के साथ समिति की रिपोर्ट की सविस्तार जांच कर रहा है। इस जांच के निष्कर्ष के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जायेगी ।

बन्दर

***७४४. श्री किरोलिकर** : (क) **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने १९५३-५४ के लिए पैप्सू में पुरस्कार के आधार पर बन्दर मारने की एक योजना को स्वीकार कर लिया है ?

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि की मंजूरी दी गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) ८५०० रुपये ।

नये तार घर

***७४५. श्री सिंहासन सिंह : संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कितने स्थान हैं जहां पर १९५२-५३ में तारघर खोलने का विचार था किन्तु जहां ये अभी तक नहीं खोले गये ; तथा

(ख) इस के कारण क्या हैं और ये सुविधाएं कब तक दे दी जायेंगी ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख)। स्थानों की संख्या के अनुसार कोई लक्ष निश्चित नहीं किया गया था। तथापि यह बतलाया जा सकता है कि १९५२-५३ में १८५ तार घर खोले गये थे और इन में कुछ ऐसे भी हैं, जिन की मंजूरी पहले के वर्षों में दी गई थी। अधिकांश तारघर जिन की मंजूरी दी जा चुकी है, इस वर्ष के अन्दर अन्दर खोले जायेंगे।

श्रम अपील न्यायाधिकरण, कलकत्ता

***७४६. ठाकुर युगल किशोर सिंह : श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम अपील न्यायाधिकरण, कलकत्ता समय समय पर उन विभिन्न राज्यों में जो कि इस के क्षेत्राधिकार में हैं, अपनी बैठकें करता रहा है ; तथा

(ख) यदि हां, तो जनवरी १९५२ से आज तक भिन्न भिन्न राज्यों में इसकी बैठकों की तिथियां क्या हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) साधारणतया न्यायाधिकरण की बैंचों की बैठकें बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में होती हैं और कभी कभी पक्षों की सुविधा के लिए अन्य केन्द्रों में होती हैं । औद्योगिक विवाद (अपील न्यायाधिकरण) अधिनियम १९५० के अन्तर्गत श्रम अपील न्यायाधिकरण के अध्यक्ष को इस बात का निर्णय करने का अधिकार है कि अपीलें सुनने के लिए बैंचों की बैठक कहां पर हो ।

(ख) जानकारी मंगवाई गई है और सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

श्रम अपील न्यायाधिकरण

*७४७. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि श्रम अपील न्यायाधिकरण के १९४९-५० और १९५०-५१ की गन्ना पेलने की ऋतु के बोनसों के बारे में चीनी उद्योग की अपील की सुनवाई के लिए जिस में कि लगभग ५० लाख रुपये तक का प्रश्न है और जिस में सभी चीनी के कारखाने और उन के लगभग ३० हज़ार श्रमिक भागीदार हैं, पटना का स्थान निश्चित किया है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि न्यायाधिकरण ने बिहार सरकार से यदि वहां उच्च न्यायालय का कोई न्याय कक्ष न मिल सके तो इसकी बैठकों के लिए कोई और प्रबन्ध करने को कहा है और बिहार सरकार ने तदानुसार प्रबन्ध कर लिया है ?

(ग) यदि हां, तो न्यायाधिकरण की बैठकों का स्थान कलकत्ता से पटना बदलने का क्या कारण है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) पटना के उच्च-न्यायालय के भवनों में स्थान सुरक्षित रखवाने के सम्बन्ध में न्यायाधिकरण ने सरकार को सूचित किया था कि इस का मध्य नवम्बर, १९५३ से पटना में बैठक करने का विचार है ।

(ख) तथा (ग)। न्यायाधिकरण से यह जानकारी देने की प्रार्थना की गई है ।

आयात किया हुआ गेहूं

*७४८. **श्री एन० एम० लिंगम** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में आयात किये हुए गेहूं की कितनी मात्रा अभी बिना बिकी पड़ी है और उसका मूल्य क्या है ;

(ख) इन स्टाकों को भाण्डागार में रखे कितना समय हो चुका है ;

(ग) आजकल गेहूं का निकास कितना है ; तथा

(घ) स्टाकों को शीघ्र निकालने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) १ दिसम्बर १९५३ को भारत सरकार के पास अनावंटित स्टाक की मात्रा ५४० हज़ार टन थी और उसका मूल्य लगभग २२.७९ करोड़ रु० था ।

(ख) केन्द्रीय डिपों में स्टाकों का अधिकांश भाग मई से नवम्बर १९५३ तक के मासों में प्राप्त हुआ था यद्यपि कुछ मात्रा इस के पूर्व के मासों की भी थी ।

(ग) लगभग १५० हज़ार टन प्रति मास ।

(घ) शीघ्र निकास का प्रश्न केवल उस स्टाक के सम्बन्ध में उत्पन्न होता है जो और अधिक समय तक भण्डार में नहीं रखा जा सकता । परन्तु स्टाकों का अधिकांश भाग आगामी कुछ मासों की मांग पूरा करने तथा संचित अन्न के रूप में काम में लाने के लिये है ।

कच्चा जूट

***७४९. पंडित सी० एन० मालवीय** : **खाद्यतथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जूट की प्रकार संबंधी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : एक विवरण, जिसमें जूट की प्रकार संबंधी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिये की जाने वाली कार्यवाहियां दी हैं, सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ९]**।

रेलवे टाइम टेबल

***७५०. श्री एस० सी० देब** : **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पदाधिकारियों को उत्तर पूर्वी रेल के आसाम क्षेत्र की कुछ रेलों के अक्टूबर १९५३ के टाइम टेबल में बड़े परिवर्तन हो जाने के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं और क्या पदाधिकारियों का विचार किसी उचित असुविधा को प्रश्नास्पद टाइमटेबल में परिवर्तन करके दूर करने का है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : हां, श्रीमान। पंडू प्रदेश में रेलों के चलने के समय विभाग में अप्रैल १९५४ में परिवर्तन करने पर विचार किया जायेगा और इसके लिये प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

डाकघरों द्वारा कुनीन का विक्रय

***७५१. श्री के० सी० सोधिया** : (क) **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या गांवों में गरीब व्यक्तियों के हित के लिये गांवों के डाकघरों द्वारा कुनीन का होने वाला विक्रय बंद कर दिया गया है, और यदि हां तो, कब से ?

(ख) यह किस कारण हुआ है ?

(ग) क्या गांवों में मलेरिया की औषधि प्राप्त करने के पर्याप्त प्रबन्ध हैं ?

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार पुरानी प्रणाली फिर आरंभ करने पर विचार करेगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) से (घ) तक। राज्य सरकारों से सूचना मांगी गई है। सब राज्य सरकारों से उत्तर प्राप्त होने के पश्चात सूचना संबंधी एक विवरण सदन पटल पर रखा जायेगा।

आन्ध्र में बढ़-भत्ता

***७५२. श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि १५ नवम्बर १९५३ की रात को कोकोनाडा-वित्रागुन्टा यात्री रेल राजामुन्डी पर वहां कर्मचारियों के हड़ताल कर देने के कारण ६० मिनट तक रुकी रही थी ;

(ख) हड़ताल में कितने कामकार सम्मिलित थे ;

(ग) क्या यह सत्य है कि कर्मचारी यह मांग कर रहे थे कि सरकार को चाहिये कि वह कर्मचारियों को बाढ़ के फलस्वरूप हुई हानियों को पूरा करने के लिये जो ३ मास के वेतन की पेशगी दी गई थी उसे बाढ़-भत्ता मान ले ; तथा

(घ) यदि हां, तो उनके अभ्यावेदन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां, वह रेल जो ७–३५ पर पहुंचनी तथा ठीक ८.०० बजे छुटनी थी, ८.२७ पर आई और ९.३० पर छुटी।

(ख) अब तक प्राप्त सूचना से विदित होता है कि २६७ कामकार, जो लोको तथा चिकित्सा विभाग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, हड़ताल में सम्मिलित थे। अन्य विभागों

के उन कर्मचारियों की संख्या अभी प्राप्त नहीं है जो हड़ताल में सम्मिलित थे ।

(ग) सरकार का विचार है कि २१-९-१९५३ को समिति ने एक संकल्प स्वीकार किया था जिसमें उसने स्वयं को राजामुन्डी के रेल कर्मचारियों की बाढ़पीड़ित समिति कहा था और मांग की थी कि रेलवे बोर्ड ने जो ३ मास के वेतन की पेशगी दी है वह मुफ्त भत्ता समझा जाय।

(घ) सरकार इस मांग को स्वीकार करने में असमर्थ है ।

सौराष्ट्र में ग्रामीण डाकघर

***७५३. श्री जेठालाल जोशी** : (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी से जून १९५३ तक सौराष्ट्र में कितने ग्रामीण डाक घर खोले गये हैं ?

(ख) इन डाक घरों के लिये कितने व्यक्ति भर्ती किये गये हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) कोई नहीं। फिर भी सौराष्ट्र में २००० या इस से अधिक जन संख्या के कोई एसे गांव नहीं हैं जिन में डाक घर न हों।

(ख) उत्पन्न ही नहीं होता है ।

ग्रामीण डाकघर

***७५५. श्री तेलकीकर** : क्या **संचरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दो हज़ार या इस से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में डाकघर खोलने की योजना को कार्यान्वित करने के लिये कितने और डाकघर खोलने पड़ेंगे ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : ३१ मार्च १९५६ तक लगभग १०,००० डाकघर और खोल दिये जायेंगे ।

काजू का उत्पादन

३२४. श्री वी० पी० नायर : (क) **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने कच्चे काजुओं के उत्पादन में भारत को स्वावलम्बी बनाने की दृष्टि से कोई कार्यवाही की है ?

(ख) यदि हां, तो ऐसी योजनाओं का विस्तृत रूप क्या है ?

(ग) आजकल एक काजू-वृक्ष का अनुमानित वार्षिक फलदेय क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) भारतीय काजू फसल की प्रकार तथा मात्रा में सुधार करने की दृष्टि से भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद ने त्रावन्कोर-कोचीन, मद्रास तथा बम्बई के लिये तीन योजनायें पहिले ही स्वीकार कर ली हैं । फिर भी संबंधित राज्य सरकारें प्रत्यक्ष रूप में किसी भी ऐसे विकास कार्य के लिये उत्तरदायी हैं जो काजू के स्थानीय उत्पादन में वृद्धि करने के लिये आवश्यक हो।

(ख) इन अनुसन्धानों का मख्य उद्देश्य काजू के उत्पादन में सुधार करना तथा फसल की खेती में वृद्धि करना है । इन अनुसन्धानों में निम्न मद सम्मिलित होंगे :—

(१) वर्तमान बगीचों का पर्यालोकन।

(२) विश्वासप्रद प्रकारों की छांट करना।

(३) छांटी हुई प्रकारों का परीक्षण ।

(४) प्रजनन ढंगों का मान-निर्धारण ।

(५) फूल लगने, फल धारण तथा फल के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन ।

(६) धरती तथा पौष्टिक तत्वों के परस्पर सम्बन्ध और फूल लगने तथा फल के विकास पर धरती की नमी के प्रभाव का अध्ययन ।

(ग) मुख्य उत्पादन क्षेत्रों में कच्चे काजू की औसत पैदावार प्रति वृक्ष प्रति वर्ष २० पौंड है ।

अण्डों का उपभोग

३२५. श्री वी० पी० नायर : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५०, १९५१, १९५२ तथा १९५३ में मानव उपभोग के लिये राज्यानुसार कुल कितनी मात्रा या संख्या में अण्डे प्राप्य थे ;

(ख) इस काल में भारत में अण्डों का प्रति व्यक्ति औसत वास्तविक उपभोग क्या था ;

(ग) पंच वर्षीय योजना के प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय वर्ष में प्रति व्यक्ति अण्डों के वास्तविक उपभोग में यदि कुछ वृद्धि या कमी हुई है तो वह क्या है ; तथा

(घ) पंच वर्षीय योजना के अन्त में एक भारत वासी द्वारा होने वाले अण्डों के उपभोग की औसत मात्रा का वर्तमान अनुमान क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) अपेक्षित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । फिर भी एक विवरण जिसमें, १९४५ की घरेलू पशु गणना के आधार पर मुर्गी तथा वत्तख के अण्डों के उत्पादन का वर्णन है, सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १०]**

(ख) से (घ) तक । अपेक्षित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

मांस का उपभोग

३२६. श्री वी० पी० नायर : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत में १९५० से १९५३ तक के वर्षों में मानव उपभोग के लिये उपलब्ध होने वाले मांस की कुल अनुमानित मात्रा क्या थी (बकरे का मास, गोमांस, सूकर मांस तथा मुर्गी का मांस के आंकड़े पृथक पृथक देते हुए) ?

(ख) इन वर्षों में एक भारत वासी ने औसत वास्तविक मात्रा में कितने मांस का उपभोग किया ?

(ग) पंच वर्षीय योजना के प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय वर्षों में प्रति व्यक्ति मांस के वास्तविक उपभोग में यदि वास्तव में कुछ वृद्धि हुई है तो क्या ?

(घ) आजकल वह अनुमानित मात्रा क्या है जो पंच वर्षीय योजना के अन्त में प्रति व्यक्ति उपभोग के लिये प्राप्य होगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) मांस की कुल मात्रा के अनुमान केवल १९४९-५० के लिये प्राप्य हैं और वे निम्न हैं :—

मांस	वर्ष	उपलब्ध मात्रा ('००० टनों में)
बकरे का मांस	१९४९-५०	११२
गोमांस	,,	९६
सूअर मांस	,,	२४
कुक्कुटादि का मांस	,,	४७
बकरी का मांस	,,	१५६
भेंस का मांस	,,	७४
कुल मांस		५०९

(ख) अपेक्षित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । फिर भी, भारत में मांस का प्रति व्यक्ति वार्षिक उपभोग का अनुमान ३.२ पौंड लगाया जाता है ।

(ग) तथा (घ)। अपेक्षित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

मत्स्य-पालन का विकास

३२७. श्री बी० पी० नायर : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का मत्सय-पालन विभाग बम्बई तथा सौराष्ट्र के समुद्र तट के निकट मत्स्य पालन के विकास के लिये जल-जैविकीय तथा अन्य आवश्यक आंकड़ों का संकलन कर रहा है ; तथा

(ख) क्या सरकार इन आंकड़ों के अब तक किये गये संकलन कार्य का एक विवरण सदन पटल पर रखेगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) हां ।

(ख) बम्बई तथा सौराष्ट्र के निकठ तट के जल-जैविकीय तथा अन्य आंकड़ों के संकलन के संबंध में किया गया कार्य का एक संक्षिप्त विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ११**]

'रेलवे साइडिंग' का व्यय

३२८. डा० अमीन : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५० तथा १९५३ के वर्षों में बड़ी लाइन, छोटी लाइन तथा तंग लाइन के इन्जनों के संबंध में 'रेलवे साइडिंग' की प्रति घन्टा वास्तविक लागत क्या थी, और तीन वर्षों में 'रेलवे साइडिंग' संबंधी व्यय में वृद्धि होने के क्या कारण थे ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : शंटिंग इन्जिन की प्रति घंटा लागत में प्रयोग में आये इन्जिन, कोयला तथा अन्य कारकों के अनुसार विभिन्नता है । यह लागत प्रत्येक स्थान पर और सदैव एक सी नहीं रहती है । 'साइडिंग व्यय' में वर्तमान कार्य-लागत (ओपरेटिंग कास्ट) के आधार पर परिवर्तन होते हैं ।

रेलवे क्रेन

३२९. डा० अमीन : क्या **रेल मंत्री** मशीन तथा हाथ द्वारा चलने वाले रेलवे क्रेनों की वास्तविक लागत, उनका बनाए रखने का व्यय तथा पिछले तीन वर्षों में प्रयोग करने वालों से वसूल किये गये प्रति घंटा दामों को बतलाने की कृपा करेंगे ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : भारतीय रेलों पर इस समय विभिन्न प्रकार के क्रेनों की एक बड़ी संख्या को काम में लाया जाता है और उनकी लागत उनकी सामर्थ्य तथा आयु के अनुसार भिन्न भिन्न है । आज कल २० टन बी० जी० स्टीम क्रेन की लगभग लागत २,५७,००० रुपये है तथा हाथ से चलने वाले एक २० टन बी० जी० क्रेन की लागत ७५,००० रुपये है । उनके बनाए रखने का दैनिक व्यय क्रमशः ४६रु० व १५ रु० के लगभग है । उनके किराये के दाम एक जैसे नहीं हैं तथा १ रु० प्रतिघंटा— तथा कम से कम ५ रु०—से लेकर ३० रुपये प्रति घंटा तक है जो क्रेन के सामर्थ्य पर तथा इस बात पर निर्भर है कि क्या वह हाथ से चलाया जाता है या मशीन से ।

२० टन स्टीम क्रेन तथा २० टन के हाथ से चलने वाले क्रेन के किराये के दाम क्रमशः ९ रु० प्रति घंटा तथा ३।४-रु० प्रति घंटा हैं, शर्त यह है कि कम से कम ४ घंटे के दाम लिए जायेंगे ।

इसके अतिरिक्त प्रयोग करने वाले को क्रेन के प्रधान कार्यालय से आवश्यकता के स्थान पर ले जाने के लिये निश्चित दरों पर दाम देने पड़ते हैं ।

त्रिपुरा की बेकार महिलाएं

३३०. श्री दशरथ देव : **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि गणतन्त्रिक नारी समिति, अगरतला की ओर से एक

शिष्टमण्डल त्रिपुरा सरकार के परामर्शदाता को मिला था तथा उसने त्रिपुरा की बेकार महिलाओं को काम दिलाने के सम्बन्ध में कुछ सुझाव उनके सामने रखे थे ; तथा

(ख) यदि ऐसा है तो सरकार इस बारे में क्या उपाय करने का विचार करती है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) सरकार को कोई सूचना प्राप्त नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

लेडी हार्डिंग कालेज

३३१. श्री बी० पी० नायर : **स्वास्थ्य** मंत्री अधिसूचना संख्या एफ ४—३ (१)।५३—एम०आई० दिनांक १२ जून, १९५३ का निर्देश करके बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार ने दिल्ली के लेडी हार्डिंग मैडिकल कालेज तथा अस्पताल को पूर्वधर्मस्व अधिनियम के अन्तर्गत स्वयं संभाल लेने के बाद से लेकर १५ नवम्बर, १९५३ तक कितना अनुदान दिया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : ६,१२,००० रु० ।

आसाम से वस्तुओं का लाना

३३३. श्री के० पी० त्रिपाठी : (क) **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(१) आसाम रेल कड़ी तथा

(२) कलकत्ता से आसाम तक जहाज चलाने वाली कम्पनियों की वस्तुओं को ढोने की सामर्थ्य कितनी है ?

(ख) आसाम राज्य की दोनों दिशाओं में वस्तुओं को ढोने सम्बन्धी आवश्यकता क्या है ?

(ग) क्या वस्तुओं को ढोने के सम्बन्ध में सामर्थ्य और आवश्यकता में कोई अन्तर है ; यदि हां तो कितना ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) (१) प्रति दिन प्रत्येक दिशा में १६५ मीटर गेज रेल डिब्बे ।

(२) प्रति दिन प्रत्येक ओर २००० टन (२०० मीटर गेज रेल-डिब्बों के भार के लगभग) ।

(ख) प्रति दिन प्रत्येक दिशा में २०० मीटर गेज रेल-डिब्बे तथा बहुत आवश्यकता के काल में २४० मीटर गेज रेल-डिब्बे प्रति दिन प्रत्येक दिशा में ।

(ग) आवश्यकता तथा रेल और रेल-नदी युक्त मार्गों से वस्तुओं के ढोने के कुल सामर्थ्य में कोई अन्तर नहीं है ।

रेल लाईनें

३३४. श्री अनिरुद्ध सिंह : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १५ अगस्त १९४७ से १५ अगस्त, १९५२ तक कितनी नई रेलवे लाइनें बनाई गई हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : १५ अगस्त, १९४७ से लेकर १५ अगस्त, १९५२ तक बनाई गई भारतीय रेलों की नई लाईनों की लम्बाई ३९९ मील है । ब्योरा इस प्रकार से है :

रेल खण्ड	१५ अगस्त १९४७ से १५ अगस्त, १९५२ तक नई बनाई गई रेलों की लम्बाई (मीलों में)
१. रूपड़—नंगल	३४.३७
२. मावली जंक्शन— बादासादरी	५१.२०
३. भीमसेन— भरवा सुमेरपुर	४३.०५
४. हड़गांव— आदिलाबाद	७६.३१
५. आसाम रेल कड़ी	७६.२४
६. संगानेर टाउन-डिग्गी	३७.४६

७. सहिसारा– मालिया	१४.६६
८. कनालस–गोप विस्तार	२१.३८
९. अरंतान्गी–करायकुदी	१६.३५
१०. नूकेरिया पठानकोट	२६.९७
कुल	३९८.०२

रेलवे प्रशिक्षण विद्यालय, उदयपुर

३३५. श्री बलवन्त सिंह महता : (क) क्या **रेल** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी रेलवे स्थित रेल प्रशिक्षण विद्यालय उदयपुर में प्रशिक्षणाधीन व्यक्तियों की संख्या कितनी है ?

(ख) वहां पर स्थायी नियमित विद्यालय के बनने से इस संख्या के कितनी हो जाने की संम्भावना है ?

(ग) सरकार प्रत्येक प्रशिक्षार्थी पर कितना व्यय करती है ?

(घ) पाठ्यक्रम काल कितना है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) इस समय प्रशिक्षणार्थियों की संख्या २५० से ३०० तक है । १-११-५३ के दिन यह संख्या २६६ थी ।

(ख) ७०० ।

(ग) प्रत्येक प्रशिक्षार्थी सम्बन्धी व्यय उसकी श्रेणी तथा विद्यालय के चालू व्यय पर निर्भर करता है । इस समय औसत व्यय १५० रुपया प्रति मास है ।

(घ) प्रशिक्षण के पाठ्य क्रम की अवधि जो प्रत्येक श्रेणी के अनुसार पृथक पृथक है इस प्रकार से है :

	मास
ट्रैफिक सिगनलर तथा असिस्टैन्ट स्टेशन मास्टर	८ १।२
टेलीग्राफ सिगनलर	५ १।२
कोचिंग क्लर्क	२ १।२
गुड्स क्लर्क	१ १।२
टिकट कलक्टर	१
अप्रेंटिस असिस्टेन्ट स्थायी वे इस्पेक्टर . . पहले वर्ष में	५ मास
तीसरे वर्ष में	४ मास
अप्रेन्टिस असिस्टेन्ट इन्सपैक्टर्स आफ़ वर्क्स	२ मास

चीनी

३३७. श्री अनिरुद्ध सिंह : (क) **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ३१ अक्तूबर १९५३ को समाप्त होने वाले वर्ष सरकारी खाते पर चीनी की कितनी मात्रा को खरीद किया गया है ?

(ख) उसी काल में भारत में बनाई गई चीनी की कितनी मात्रा के निर्यात की अनुमति दी गई थी तथा किस देश या किन देशों को ?

(ग) विदेशों में खरीदी गई चीनी की कितनी मात्रा वास्तव में भारत पहुंच चुकी है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) २,०४,००० टन ।

(ख) ६,३१६ टन, जापान तथा पर्शियन गल्फ के शैखों द्वारा प्रशासित क्षेत्रों को ।

(ग) ९५,००० टन, ३० नवम्बर, १९५३ तक ।

रेल यातायात सम्बन्धी आय की बांट

३३८. श्री वी० मिश्र : **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रथम अप्रैल, १९५४ से सरकार भारतीय रेलों के सम्बन्ध में यातायात आय की बांट तथा उससे सम्बन्ध लेखाओं के तैयार करने के लिये किस पद्धति को आरम्भ करने का विचार रखती है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : प्रत्येक क्षेत्र के बारे में आय की बांट को १-४-५४ से निश्चित करने की पद्धति को आरम्भ करने का विचार किया

गया है। बांट की प्रक्रिया को माल तथा पार्सलों के लाने ले जाने के बारे में भाड़े के अतिरिक्त लागू किये गये कुछ विविध प्रकार के व्यय के अलग न करके सरल बनाने का विचार किया गया है। यात्रियों से प्राप्त आय की बांट को कुछ सरल बनाने के लिये स्टेशनों द्वारा लेखा कार्यालयों को विवरण भेजने की पद्धति को आरम्भ करने का विचार किया गया है। प्रत्येक क्षेत्र द्वारा अपने सम्बन्ध में आय की बांट के काम को प्राप्त करने वाले तथा भेजने वाले रेल प्रशासनों के परस्पर विवरणों में उल्लिखित तथा तय किये गये भाग को सामने रखते हुये किया जायगा।

चावल

३३८. श्री डी० सी० शर्मा : खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५३ में चावल की खेती कितने एकड़ भूमि में की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : १९५३-५४ के चावल सम्बन्धी अखिल-भारतीय प्रथम आक्कलन के अनुसार, जो पहले की बोवाई के सम्बन्ध में है, ६७५ लाख एकड़।

बिहार में असरकारी रेलवे लाइनें

३४०. श्री के० पी० सिन्हा : रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बिहार राज्य में असरकारी रेलवे लाइनें कितने मीलों पर फैली हुई हैं तथा चलाने वाली कम्पनी का नाम क्या है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : उनकी कुल लम्बाई १४९.२५ मील है तथा चलाने वाली कम्पनियों के नाम इस प्रकार से हैं :

रेलवे को चलाने वाली कम्पनी या एजेन्सी का नाम	रेलवे
अर्राह—ससाराम लाइट रेलवे कम्पनी	अर्राह–ससाराम लाइट रेलवे (६५.१६ मील)
पटना जिला बोर्ड	बख्तियारपुर बिहार लाइट रेलवे (३३.६३ मील)।
देहरी रोहतास लाइट रेलवे कम्पनी	देहरी रोहतास लाइट रेलवे (२४.०९ मील)
फत्वाह इस्लामपुर लाइट रेलवे कम्पनी	फत्वाह इस्लामपुर लाइट रेलवे (२७.०० मील)

जाली रेल-टिकट

३४१. श्री एस० सी० सामन्त : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि हाल ही में बम्बई में कुछ जाली टिकट के फार्म पकड़े गये थे ;

(ख) यदि हां, तो यदि कुछ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे तो उनकी संख्या कितनी है ;

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; तथा

(घ) क्या क्या सामान पकड़ा गया है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) अभी तक एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है।

(ग) तथा (घ)। पुलिस द्वारा जांच अभी जारी है।

सोनापुर में रेलवे क्वार्टर

३४२. पंडित डी० एन० तिवारी : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सोनपुर रेलवे स्टेशन पर कितने ऐसे रेलवे क्वार्टर हैं, जो खाली पड़े हैं ;

(ख) वे किन कारणों से खाली पड़े हैं ; तथा

(ग) सोनपुर में १९५०-५१, १९५१-५२ तथा १९५२-५३ में कितने क्वार्टर बनाये गये ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) १७ क्वार्टर, जो सब के सब रहने योग्य नहीं हैं ।

(ख) ये क्वार्टर १९४८ में, भारत में रहना पसंद करने वाले कर्मचारियों के रहने के लिये एक आयात उपाय के रूप में पूर्णतया अस्थायी स्तर पर स्थानीय जगहों में सहज प्राप्य ग्रह-निर्माण सम्बन्धी सामग्री से बनाये गये थे और अब वे, साधारण रूप से होने वाली खराबियों के कारण रहने योग्य नहीं हैं ।

(ग) १९५०-५१ .	४४
१९५१-५२	२४
१९५२-५३	५०

ब्रिटेन में पदाधिकारियों का प्रशिक्षण

३४३. चौ० रघुवीर सिंह : (क) क्या **यातायात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि व्यापारिक पोत विभाग के कुछ पदाधिकारियों को कोलम्बो योजना की प्रविधिक सहयोग योजना के आधीन प्रशिक्षण के लिये ब्रिटेन भेजा गया था ?

(ख) वे पदाधिकारी कौन थे ?

(ग) क्या उन्होंने अपना प्रशिक्षण-काल समाप्त कर लिया है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां ।

(ख) तथा (ग)। मांगी गई सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १२**]

पणन व्यवस्था का विकास

३४४. ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अक्टूबर १९५३, में नई दिल्ली में हुए पणन तथा निरीक्षण सम्मेलन में कौन कौन से संकल्प स्वीकृत हुये थे ?

(ख) क्या उस सम्मेलन की सभी सिपारिशों से केन्द्रीय सरकार सहमत है ?

(ग) क्या सरकार उस सम्मेलन की कार्यवाही की एक प्रतिलिपि सदन पटल पर रखेगी ?

(घ) आग मार्क घी सम्मेलन में कौन कौन से संकल्प स्वीकृत हुये थे ?

(ङ) क्या यह तथ्य है कि घी के निर्माण का नया तरीका आरम्भ किया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) संकल्पों की एक प्रतिलिपि सदन के पुस्तकालय में प्राप्य है ।

(ख) आनुषंगिक कार्यवाही के लिये वे सिफारिशें विचाराधीन हैं ।

(ग) कार्यवाही की एक प्रतिलिपि सदन के पुस्तकालय में प्राप्य है ।

(घ) टिनों में घी बंद करने वालों के सम्मेलन में स्वीकृत हुये संकल्पों की एक प्रतिलिपि सदन के पुस्तकालय में प्राप्य है।

(ङ) नहीं ।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम

***३४५. श्री रामानन्द दास :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,

१९४८, को संघीय रेलों के अधीन ठेके पर काम करने वाले सभी श्रेणियों के मजदूरों पर भी लागू किया जायेगा ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : न्यूनतम मजदूरी अधिनियम १९४८ को रेलों के अधीन ठेके पर काम करने वाले सभी श्रेणियों के मजदूरों पर लागू नहीं किया गया है । जहां तक रेलों का सम्बन्ध है, यह अधिनियम केवल उन मजदूरों पर लागू होता है जो सड़क बनाने, गृह-निर्माण कार्यों पत्थर को तोड़ने और उनको चूरा करने के काम में लगाये जाते हैं । इन कामों में जो मजदूर ठेके पर काम करते हैं उन पर यह अधिनियम लागू होता है ।

प्रविधिक एवं विकास केन्द्रों का स्थानान्तरण

३४६. **श्री गिडवानी :** क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या दिनांक २६ अक्टूबर १९५३ के 'इन्डियन एक्सप्रेस' के बम्बई संस्करण के प्रष्ट ६ पर भारत सरकार के डाक तथा तार विभाग के प्रविधिक तथा विकास केन्द्र को जबलपुर से हटा कर नई दिल्ली में लाने के सम्बन्ध में प्रकाशित एक समाचार की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है ;

(ख) क्या सरकार उसको स्थानान्तरित करने का विचार करती है ;

(ग) क्या जबलपुर में दूर संचार प्रशिक्षण केन्द्र की इमारत बनकर तैयार हो गई है ; तथा

(घ) उस इमारत की अनुमानित लागत कितनी है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जिस समाचार का हवाला दिया गया है, सरकार ने उसे दिनांक २६ अक्टूबर १९५३ के 'इंडियन एक्सप्रेस' के बम्बई संस्करण में देखा है ।

(ख) नहीं ।

(ग) अभी नहीं, काम चालू है ।

(घ) लगभग २० लाख रुपये ।

ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस का पटरी से उतर जाना

३४७. **सरदार ए० एस० सहगल :**
श्री बीरबल सिंह :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री मुनिस्वामी :
श्री सी० आर० इय्युनी :

(क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि ३० अक्टूबर १९५३ को ८.५० म० पू० के लगभग दक्षिण रेलवे पर बेसिन ब्रिज जंकशन तथा कोरुकुप्पेटई के बीच ग्रैंडट्रंक एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे पटरी से उतर गये थे ?

(ख) कितने यात्री घायल हुये थे ?

(ग) वास्तविक क्षति कितनी हुई थी ?

(घ) इस के पटरी से उतर जाने के कारण क्या हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ३० अक्टूबर, १९५३ को प्रातः काल लगभग ८ बजकर ५१ मिनट पर जब १५ ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस बेसिन ब्रिज जंकशन से, जो कि दक्षिण रेलवे के मद्रास-बेजवाड़ा खण्ड पर मद्रास सेंट्रल से अगला स्टेशन है, होकर जा रही थी, तो उस स्टेशन के बी केबिन के निकट उसके सवारी डिब्बे इंजन से सातवें से ग्यारहवें तक, पटरी से उतर गये थे ।

(ख) एक यात्री को मामूली चोट आई थी ।

(ग) डिब्बों आदि तथा स्थायी मार्ग को जो क्षति पहुंची उसका मूल्य लगभग २,४७३ रुपये था ।

(घ) रेलों के सरकारी निरीक्षक ने इस दुर्घटना की जांच की थी और उनका अस्थायी निर्णय यह है कि पटरियों के बीच चौड़ाई बढ़ जाने के कारण डिब्बे पटरी से उतर गये थे ।

मनीपुर राज्य परिवहन

३४८. श्री रिशाग किशिंग : क्या **यातायात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष १९५२ से १९५४ में मनीपुर राज्य परिवहन की वार्षिक आय और व्यय कितना है ;

(ख) परिवहन प्राधिकारी के नियंत्रण में आज कल कितनी लारियां और बसें हैं ; तथा

(ग) परिवहन अधिकारी ने कितने चालकों तथा मोटर गाड़ियों की सफाई करने वालों को काम पर लगाया है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग) तक। मांगी गई सूचना देने वाला एक विवरण सलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १३]**

गोदाम

३४९. श्री विश्वनाथ राय : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार अगले वित्तीय वर्ष में उत्तर पूर्व रेलवे के उन स्टेशनों पर गोदाम बनवाने का विचार करती है जिनके निकट कारखाने हैं किन्तु कोई गोदाम नहीं हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : उत्तर पूर्व रेलवे के प्रत्येक उस स्टेशन पर, जिसके निकट कोई कारखाना हो गोदाम बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जहां पर आवश्यक समझा जाता है, वहां पर पहले से ही माल को रखने के स्थान (गुड्स शेड्स) के प्रबन्ध हैं। आगामी पांच वर्षों में लगभग २५ स्टेशनों पर ऐसे प्रबन्धों में नये निर्माण अथवा परिवर्तनों तथा सुधारों की व्यवस्था करने का विचार है ।

आन्ध्र में डाक तथा तार घर

३५०. श्री नानादास : क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) आन्ध्र राज्य में (१) मुख्य कार्यालयों, (२) छोटे कार्यालयों, (३) शाखा कार्यालयों, (४) प्रयोगात्मक डाकघरों, (५) संयुक्त डाक तथा तार घर, तथा (६) तार घरों के रूप में कितने डाक तथा तार घर हैं ; तथा

(ख) किन किन और कितने नगरों में टेलीफोन व्यवस्था है तथा आन्ध्र राज्य में प्रत्येक नगर में कितने टेलीफोन हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख)। मांगी गई सूचना देन वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १४]**

आन्ध्र में तार की लाइनें

३५१. श्री नानादास : क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आन्ध्र राज्य में तार की लाइनें कितने मील लम्बी हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) :

		दूसरे पक्षों के स्वामित्व में किन्तु जिनकी विभागीय देखभाल विभाग द्वारा होती है
	मीलों में	मींलों में
लाइनें	६,४४९	–
तार	४४,५८८	–
केबिल	१७३	०.०२
केबिल कन्डक्टर्स	८,६५८	१.८२

आन्ध्र में बचत बैंक लेखा

३५२. श्री नानादास : क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ३० सितम्बर, १९५३ तक आंध्र में बचत बैंक लेखाओं की कितनी संख्या थी ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : ३० सितम्बर, १९५३ तक आंध्र के डाक घरों में बचत बैंक लेखाओं की संख्या लगभग १,८३,३८५ थी ।

आन्ध्र म डाक कर्मचारी

३५३. श्री नानादास : क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके मंत्रालय के नियंत्रण में आंध्र राज्य में कुल कितने कर्मचारी (श्रेणी के अनुसार) श्रेणी प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ में लगे हुये हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : वांछित जानकारी द्योतक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है :

विवरण

क्रम संख्या	विभाग का नाम	आंध्र राज्य में कार्य करने वाले कर्मचारी			
		प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	चतुर्थ श्रेणी
१	डाक तथा तार विभाग	३	१९	५०९३	१५६९
२	नागरिक उड्डयन विभाग	–	३	४४	५४
३	भारतीय अन्तरिक्ष-विज्ञान विभाग	–	–	२०	१०
	योग	३	२२	५१५७	१६३३

आन्तरिक जल यातायात

३२४. डा० राम सुभग सिंह : क्या **यातायात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या गंगा के उत्तरी भाग के आन्तरिक जल यातायात में विकास करने के लिये किसी अग्रगामी परियोजना की सहायतार्थ भारत सरकार ने अमरीका सरकार से आर्थिक सहायता मांगी है; तथा

(ख) यदि हां, तो कब से ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख)। जी हां उत्तरी गगा के उथले पानी में बड़े बड़े बजरों को ड्राफ्ट टगों द्वारा खींचने की संभावना की जांच करने के लिये अग्रगामी परियोजना की सहायतार्थ आर्थिक तथा प्रावैधिक सहायता भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र से मांगी थी । भारत की प्रावैधिक सहायता की प्रार्थना को सयुक्त राष्ट्र ने स्वीकार किया और नौसेना के वास्तुविद (आर्कीटेक्ट) श्री जे० जे० सुरी की नियुक्ति की जो १९५२ में भारत आये । आर्थिक सहायता की प्राप्ति सम्बन्धी प्रश्न विचाराधीन है ।

उत्तर पूर्व रेलवे में रेलगाड़ियां

३५५. श्री ब्रह्म चौधरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर पूर्व रेलवे क्षेत्र के पंडू प्रदेश में माल सवारी, मेल गाड़ियों को सम्मिलित करते हुये कुल कितनी रेलगाड़ियां चलती हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगशन) : कुल रेलगाड़ियां (माल, मेल, एक्सप्रेस, सवारी, एवं मिली जुली को सम्मिलित करते हुये) २७६ हैं ।

रेलवे स्कूल

३५६. श्री ब्रह्म चौधरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे द्वारा पूर्णरूपेण प्रबन्धित इंगलिश मिडिल तथा हाई स्कूल प्रत्पेक क्षेत्र में यदि हैं तो कितने कितने हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : विवरण संलग्न है ।

भारतीय रेलों द्वारा स्पष्ट रूप से प्रबन्धित इंगलिश मिडिल तथा हाईस्कूलों की संख्या :–

रेलवे	मिडिल स्कूल	हाई स्कूल
मध्य	५	१
पूर्व	१२	१०
उत्तर	१	३
पूर्वोत्तर	१	३
दक्षिण	६	२
पश्चिम	२	३
योग	२७	२२

आसाम रेल लिंक

३५७. श्री के० पी० त्रिपाठी : (क) क्या रेल मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि आसाम लिंक तथा उत्तर पूर्व रेलवे के आसाम के भाग में इस वर्ष में कुल कितनी टूट फूट हुई है ?

(ख) लगभग कितने रुपये की क्षति या हानि हुई है ?

(ग) क्या सभी टूट फूट की मरम्मत हो गई है ।

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) आसाम रेल लिंक में इस वर्ष वास्तव में कोई हानि नहीं हुई किन्तु हासीमारा तथा मदारीहाट के बीच के पुल पर सुरक्षा के लिए जो कार्य हो रहा था उसमें हुई हानि के कारण उस स्थान पर सुरक्षा के विचार से दो बार सीधी जाने वाली गाड़ियां स्थगित हो गई थीं और जब मरम्मत का कार्य चल रहा था तभी यात्रियों, सामान, एवं शीघ्र नाशवान चीजों को दूसरी गाड़ियों द्वारा भेजने का प्रबन्ध किया गया था।

(ख) तथा (ग)। ये प्रश्न नहीं उठते।

पलेजाघाट रेलवे स्टेशन को सीधी जाने वाली गाड़ियां

३५८. ठाकुर युगल किशोर सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि छपरा के पश्चिम के स्थानों से पटना जाने वाले यात्रियों को वहां के लिये गाड़ी मिलने के लिए सोनपुर (उत्तर पूर्व रेलवे) रेलवे स्टेशन पर लगभग दो घंटे तक पड़ा रहना पड़ता है ;

(ख) क्या यह तथ्य है कि पलेजाघाट से छपरा के पश्चिम के स्थान जैसे सेवान गोरखपुर आदि स्थानों को जाने के लिए यात्रियों के वास्ते कोई सीधी गाड़ी अथवा डिब्बा नहीं है; तथा

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां, दो गाड़ियों को छोड़ कर जो तुरन्त ही एक तो १० मिनट बाद तथा दूसरी ४५ मिनट बाद मिलती है।

(ख) कोई सीधी गाड़ी तो नहीं है किन्तु पलेजाघाट तथा सेवान के बीच एक तृतीय श्रेणी का डिब्बा है ।

(ग) पलेजाघाट तथा सेवान के बीच एक सीधी गाड़ी जारी करने के सम्बन्ध में एक अभ्यावेदन आया था किन्तु इस प्रकार की गाड़ी इस समय जारी करना डिब्बों तथा इंजिनों की कमी के कारण संभव नहीं है ।

गुन्तुर रेलवे स्टेशन पर ऊपर पुल बनाना

३५९. श्री एस० वी० एल० नरसिंह्म : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या गुन्तूर रेलवे स्टेशन की पश्चिमी गुमटी के पास ऊपर का पुल बनाने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है; तथा

(ख) यदि हां, तो काम कब से प्रारम्भ होगा ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) ऊपर के पुल तथा स्टेशन आने वाली सड़क के बारे में प्रथम नकशा (लेआउट प्लान) तैयार हो चुका है । रुपांकण करने तथा रास्तों को तैयार करने के प्रश्न के, जो गुन्तूर नगरपालिका के विचाराधीन है तय होते ही विस्तृत नकशे बनाने का काम आरम्भ किया जायगा ।

(ख) विस्तृत नकशे तथा प्राक्कलन के तैयार हो जाने के पश्चात और नगरपालिका द्वारा अपने आय-व्ययक में इस कार्य के लिए उपबन्ध कर दिये जाने के उपरांत यह कार्य प्रारम्भ होगा ।

यात्रा गाड़ी

३६०. श्री रघुनाथ सिंह : (क) क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि २० नवम्बर को कार्तिक पूर्णिमा पर्व के अवसर पर अजमेर और फुलेरा के बीच गत वर्षों के समान यात्रा गाड़ी चलाने तथा फुलेरा तक जाने वाली गाड़ियों को अजमेर तक बढ़ाने का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया ?

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष पहले की तरह उक्त व्यवस्था क्यों नहीं की गई ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) पुष्कर मेला पर जो २० नवम्बर १९५३ को हुआ था उस समय अजमेर तथा फुलेरा के बीच एक विशेष गाड़ी चलाने तथा २३३ अप, २३४ डाऊन गाड़ियों को फुलेरा से अजमेर तक बढ़ाने का प्रबन्ध किया गया था; किन्तु चूंकि विशेष गाड़ी की कोई मांग नहीं थी इस कारण उसे जारी नहीं किया गया; २३३ अप २३४ डाउन गाड़ियां १९ तथा २० नवम्बर १९५३ को अजमेर तथा फुलेरा के बीच बढ़ा दी गई थी ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

रेल की आय

३६१. श्री रघुनाथ सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५२ में पुष्कर स्नानार्थियों से कितनी आय रेलवे को हुई थी ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): नवम्बर १९५२ में जबकि पुष्कर का मेला हुआ था तब पुष्कर स्नानार्थियों से लगभग ७२,८५० रुपये की आय हुई थी ।

रेल-डांक सेवा के डिब्बे

३६२. श्री मुनिस्वामी : क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि रेलों में डाक के पुराने डिब्बे, बढ़े हुये काम के लिये आवश्यक स्थान की व्यवस्था के लिये फिर नहीं बनाये गये हैं या उनमें परिवर्तन नहीं किये गये हैं;

(ख) क्या सरकार को विदित है कि इन डिब्बों में प्रकाश-सुविधाओं में पर्याप्त रूप से सुधार की आवश्यकता है और यदि हां तो, क्या सरकार इस मामले में कोई कार्यवाही कर रही है; तथा

(ग) क्या रेल-डाक-सेवा के डिब्बों में कर्मचारीयों के लिए, जब वे थकावट का अनुभव करें, विश्राम करने की सुविधायें हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं । जब कभी भी आवश्यक होता है तब डाक-डिब्बों में स्थान-वृद्धि की जाती है । ऐसी वृद्धि के फलस्वरूप सदैव विद्यमान डिब्बों का फिर निर्माण करने या उनमें परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती ।

(ख) जब कभी प्रकाश अपर्याप्त पाया जाता है, इस में सुधार करने के लिये कार्यवाही की जाती है ।

(ग) नहीं । परन्तु बड़ी लाइन के लिये भविष्य में जो डिब्बे निर्माण किये जायेंगे उनमें इस की व्यवस्था होगी ।

ग्राम-डाकघर

३६३. श्री के० सी० सोधिया : क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य क्षेत्र (सेन्ट्रल सर्किल) में २,००० या इससे अधिक जनसंख्या के कितने गांव पाये गये हैं, जिसमें ७५० रु० से भी अधिक वार्षिक हानि की सम्भावना थी, और इसलिये वहां कोई डाकखाना नहीं खोला गया ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : कोई नहीं ।

मेहसना रेलवे स्टेशन

३६४. श्री जेठालाल जोशी : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि मेहसना जंकशन पर जो अहमदाबाद तथा दिल्ली के बीच मुख्य लाइन पर है, प्लैटफार्म पर प्रकाश-सुविधा अपर्याप्त है और यात्रियों को घंटों लगभग अंधकारमय स्थिति में बिताने पड़ते हैं; तथा

(ख) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करेगी ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेश) : (क) तथा (ख)। स्टेशन के एक विभाग में, जो दुबारा बनाया जा रहा है बिजली के प्रकाश तथा पंखों की व्यवस्था है और मुख्य यात्री प्लेटफार्म पर भी बिजली के प्रकाश का प्रबन्ध है । दो तर्फा प्लेटफार्म पर, स्टेशन का पुन: निर्माण होने तक अस्थाई रूप से बिजली के प्रकाश की व्यवस्था करने का काम हो रहा है और शीघ्र ही पूर्ण होने की आशा है ।

बनारस डाक-विभाग

३६५. श्री गणपति राम : क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२ तथा १९५३ में बनारस डाक-विभाग में कितने (१) डाक लिपिकों (२) चपरासियों, (३) छांटने वालों तथा (४) डाकियों की नियुक्ति की गई ;

(ख) प्रत्येक स्थान पर अनुसूचित जाति के कितने प्रार्थी नियुक्त किये गये;

(ग) प्रत्येक काम में अनुसूचित जातियों के लिये कितने स्थान सुरक्षित हैं; तथा

(घ) स्थानरक्षण नियमों का किस सीमा तक पालन हुआ है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) तक। एक विवरण जिसमें अपेक्षित सूचना दी है, सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १५]**

(घ) १९५२ तथा १९५३ में अनुसूचित जाति के थोड़े उम्मीदवार इस कारण लिये गये थे कि ऐसे उम्मीदवार प्राप्य नहीं थे । यदि किसी विशेष वर्ष में सुरक्षित स्थान रिक्त रहते हैं तो वे आगामी वर्ष में भर्ती के लिये छोड़ दिये जाते हैं ।

मंगलवार,
८ दिसंबर, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

पांचवा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
18·3·12
Fumigated
On 31.10.85
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

संसदीय वाद विवाद

(भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही)

शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

मंगलवार, ८ दिसम्बर, १९५३

सदन की बैठक डेढ़ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

२.३२ म० प०

राज्य-परिषद् से सन्देश

अध्यक्ष महोदय : सचिव अब राज्य-परिषद् से प्राप्त संदेश पढ़ कर सुनायेंगे।

इस के पश्चात सचिव ने राज्य परिषद् से प्राप्त इस सन्देश को पढ़ कर सुनाया कि परिषद् को धोतियां (अतिरिक्त उत्पादन कर) विधेयक, १९५३ के सम्बन्ध में जो कि लोक सभा ने अपनी २६ नवम्बर, १९५३ वाली बैठक में पास किया था लोक-सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।

अनुपस्थिति की अनुमति

अध्यक्ष महोदय : मुझे श्री डी० डी० पन्त से एक पत्र मिला है जिस में कहा गया है कि वह बीमारी के कारण सदन के वर्तमान सत्र में भाग नहीं ले सकते हैं तथा उन्हें अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जाये । क्या सदन की यह इच्छा है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जाये ?

अनुपस्थिति की अनुमति दे दी गई ।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन सम्बन्धी रिपोर्ट

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : मैं निम्न पत्रों की एक एक प्रति सदन पटल पर रखने का प्रस्ताव करता हूं :—

(१) जनेवा में जून, १९५२ में हुए अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के ३५ वें अधिवेशन में भाग लेने वाले भारत सरकार के प्रतिनिधि-मंडल की रिपोर्ट ।

[पुस्तकालय में रख दी गई, देखिये संख्या एस–१९८/५३]

(२) जून, १९५२ में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के ३५ वें अधिवेशन में स्वीकृत किये गये अभिसमय तथा सिफारिशें ।

[पुस्तकालय में रख गये, देखिये संख्या एस–१९९/५३]

(३) इन अभिसमयों तथा सिफारिशों के सम्बन्ध में भारत सरकार का जो कार्यवाही का विचार है उसे प्रकट करने वाला विवरण ।

[पुस्तकालय में रख दिया गया, देखिये संख्या एस–२००/५३]

रिज़र्व बैंक आफ इंडिया (संशोधन तथा विविध उपबंध) विधेयक—(जारी

अध्यक्ष महोदय : सदन अब रिज़र्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम, १९३४ का

[अध्यक्ष महोदय]

अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर अग्रेतर विचार करेगा।

खंड ३ विचाराधीन था तथा अब मैं इसके सम्बन्ध में प्रस्तुत संशोधनों को मतदान के लिए पेश करता हूं।

इस के पश्चात खंड ३ के सम्बन्ध में वित्त उपमंत्री श्री गुहा के दोनों संशोधन स्वीकृत किये गये।

श्री एन० बी० चौधरी तथा श्री वी० बी० गांधी के दोनों संशोधन अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड ३, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ३, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना लिया गया।

खंड ४ तथा खंड ५ विधेयक के अंग बना लिए गये।

खण्ड ६—(धारा ४२ का संशोधन)

श्री के० के० बसु : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ३ की पंक्ति ७ में शब्द "other than" ("से पृथक्") शब्दों के बाद शब्द "with" ("के पास") निविष्ट किया जाये।

श्री ए० सी० गुहा : श्रीमान्, इस संशोधन का कोई अर्थ नहीं। इस विधेयक के अन्तर्गत अब अनुसूचित बैंकों को किसी बैंक के साथ अपने दायित्वों के सम्बन्ध में अपने आंकड़े पेश करने होंगे। इम्पीरियल बैंक से जो ऋण लिया गया हो वह इन आंकड़ों मे नहीं दिखाया जायगा।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य इस पर आग्रह करते हैं ?

श्री के० के० बसु : जी नहीं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड ६, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ६ विधेयक का अंग बना लिया गया।

खंड ७ तथा खंड ८ विधेयक के अंग बना लिए गए।

खंड ९ विधेयक का अंग बना लिया गया।

खण्ड १—(संक्षिप्त शीर्षक)

श्री ए० सी० गुहा : मेरा यह संशोधन है कि :

पृष्ट एक की पंक्ति तीन में "1952" ("१९५२") के स्थान पर "1953" ("१९५३") रखा जाये।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा तथा सदन ने इसे स्वीकृत किया।

खंड १, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना लिया गया।

शीर्षक तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बना लिए गये।

श्री ए० सी० गुहा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह विधेयक, संशोधित रूप में, पास किया जाये।"

श्रीमान्, इस सम्बन्ध में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि अधिकांश सदस्यों ने इस विधेयक का स्वागत किया है तथा मुझे आशा है कि कृषि-उधार के सम्बन्ध में उन्होंने जो आशाएं प्रकट की हैं, वह किसी हद तक पूरी होंगी। हो सकता है कि यह उस हद तक पूरी न हों जिस हद तक कि वह चाहते हों।

में इस विषय सम्बन्धी उन की चिन्ताओं को भली भांति समझ सकता हूं ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

मैं सदस्यों को केवल इतना आश्वासन दे सकता हूं कि योजना आयोग ने कृषि को प्रथम पूर्ववर्तिता दी है तथा इस बात को दृष्टि में रखते हुए सरकार इस कृषि-उधार की आवश्यकता के प्रति उदासीन नहीं रह सकती है । हम ने इस बारे में विभिन्न उपाय भी किये हैं । इस के इलावा रिजर्व बैंक ने कृषि-उधार के सम्बन्ध में अखिल भारतीय पर्यवलोकन का काम भी हाथ में लिया है । ज्योंही उन की रिपोर्ट प्राप्त होगी, त्योंही सरकार तथा रिजर्व बैंक दोनों कृषि-उधार के सम्बन्ध में एक पूरी नीति निर्धारित करेंगे । मुझे आशा है कि यह विधेयक संशोधित रूप में सदन द्वारा पास किया जायगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि :

“यह विधेयक संशोधित रूप में पास किया जाये ।”

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : कृषि-उधार के सम्बन्ध में सरकार ने इस विधेयक में जो उपबन्ध रखा है वह हतोत्साहित करने वाला है । ऐसा प्रतीत होता है कि इस उद्देश्य के लिए ५ करोड़ रुपये की राशि निश्चित कर के स्वयं योजना आयोग की सिपारिशों की उपेक्षा की गई है । देखना यह है कि इस बारे में हमारी आवश्यकताएं क्या हैं । कई पूर्व समितियों ने अपनी सिपारिशें पेश की हैं । अधिक अन्न उपजाओ जांच समिति की राय में इस देश की मध्यम-कालीन पूंजी आवश्यकताएं ५०० करोड़ रुपये तक की हैं । उन्हों ने इस बारे में रिजर्व बैंक आफ इंडिया के पर्यवलोकन को भी ध्यान में रखा । रिजर्व बैंक ने स्वयं राय प्रकट की है कि मध्यम-कालीन उधार के लिए ५०० करोड़ रुपये की आवश्यकता है । इस की तुलना में पांच करोड़ की राशि निस्सन्देह बहुत ही कम है । योजना आयोग भी जांच के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि पांच करोड़ की राशि अपर्याप्त है तथा इस के लिए कम से कम २५ करोड़ रुपया प्रति वर्ष निश्चित किया जाना चाहिये ।

मंत्री जी ने अपने भाषण में बताया कि केवल सरकार ही नहीं अपितु और अभिकरण भी कृषकों को धन उपलब्ध कराते हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पहले जमींदार अथवा साहूकार समय समय पर इस सम्बन्ध में उन की सहायता किया करते थे । किन्तु जमींदारी उन्मूलन तथा साहूकारी से सम्बन्धित विभिन्न कानून पास होने पर वह अब यह काम छोड़ रहे हैं । छोटे छोटे काश्तकारों को आवश्यकता पड़ने पर धन उपलब्ध करने की जिम्मेदारी अब पूर्णतयः सरकार के कन्धों पर आ पड़ी है । यदि आप उन्हें धन उपलब्ध नहीं करेंगे तो उत्पादन अवश्य ही कम हो जायगा । क्योंकि वह अच्छे बीज अथवा अच्छी खाद आदि नहीं खरीद सकेंगे कृषकों की क्रय-शक्ति में वृद्धि होना स्वयं सरकार के हित में है क्योंकि इस तरह से किसान लोग सरकारी कारखाने में बना उर्वरक खरीद सकते हैं ।

बम्बई में भी, जहां कि सहकारी संघटन का बड़ी हद तक विस्तार हुआ है, कृषक लोग उधार व्यवस्था से सन्तुष्ट नहीं । 'अधिक अन्न उपजाओ' नीति समिति की रिपोर्ट के अनुसार १९४९–५० में वहां ५३९ लाख रुपया उधार के रूप में दे दिया गया था । किन्तु इस के बावजूद कृषकों का कहना था कि इस से उन की आवश्यकताओं का एक अंश भी पूरा न

[श्री एस० एस० मोरे]

हुआ है। तकावी के सम्बन्ध में भी स्थिति अत्यन्त ही असन्तोषजनक है। मैं इस सम्बन्ध में और अधिक न कह के केवल इतना निवेदन करूंगा कि स्वयं योजना आयोग ने मान लिया है कि इन उधारों के सम्भरण के मामले में बहुत सी शिकायत हुई हैं। यदि योजना को कार्यक्रम के अनुसार क्रियान्वित किया जाना है तो छोट छोटे कृषकों का अर्थ संधारण योजना का एक अविभाज्य अंग बन जाता है। परन्तु मुझे खेद है कि सरकार स्वयं ही योजना आयोग की प्रस्थापनाओं को विध्वंसित कर रही है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह विधान अर्धोत्साह से प्रस्तुत किया गया। यह खेद की बात है कि सरकार अपने वचन को पूरा करने की कोशिश नहीं कर रही है। इस का परिणाम यह होगा कि कृषक-जगत के रोग बढ़ते ही जायंगे। एक माननीय सदस्य ने अपना संशोधन प्रस्तुत करते हुए मांग की थी कि यह राशि ५ करोड़ रुपये से बढ़ा कर २५ करोड़ रुपये कर दी जानी चाहिये। उन की यह मांग योजना आयोग की सिपारिशों के अनुकूल थी। परन्तु चूंकि यह संशोधन प्रतिपक्ष के एक सदस्य ने पेश किया है इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि यह अस्वीकृत होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि सरकार योजना आयोग की सिपारिशों को क्रियान्वित करने को उत्सुक है तो उसे इस प्रयोजन के लिए अधिक धन देना चाहिये तथा पीड़ित कृषकों की सहायता करनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का ससंकोच समर्थन करता हूं।

श्री जोकीम अल्वा (कनारा) : यह एक अधूरा विधेयक है इसे वर्तमान रूप में पेश नहीं किया जाना चाहिये था। इस के उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में यह कहा गया है कि यह विधेयक बैंक द्वारा ग्रामीण ऋण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये दी जाने वाली सुविधाओं में विस्तार करने के लिये है परन्तु विधेयक में ग्रामीण बैंकिंग जांच समिति की १२८ सिपारिशों को क्रियान्वित नहीं किया गया है। मुश्किल से ५–६ सिपारिशों को माना गया है। रिजर्व बैंक हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का एक स्तम्भ है। यदि इस के कार्य संचालन में ही दोष आया तो सम्पूर्ण बैंकिंग व्यवस्था ही छिन्न-भिन्न हो जायेगी। अब रिज़र्व बैंक को चाहिये कि और किसी विदेशी बैंक के यहां खोले जाने की इजाजत न दे। यदि उस ने किसी विदेशी बैंक को यहां खुलने दिया तो हमारी सारी बैंकिंग व्यवस्था खतरे में पड़ जायेगी।

यह रिज़र्व बैंक (संशोधन) विधेयक, जो कि ग्रामीण लोगों की सुरक्षा के लिये अभिप्रेत है, वास्तव में ग्रामीणों को कोई लाभ नहीं पहुंचा सकता। कल माननीय वित्त उपमंत्री ने यह कहा कि इम्पीरियल बैंक के कार्य क्षेत्र में विस्तार किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि नई शाखाएं कहां कहां खोली गई हैं—कस्बों में या बड़े नगरों में ? क्या बैंक के पदाधिकारी देहाती इलाकों में जा सकते हैं ? रिज़र्व बैंक के अधीन ८३ अनुसूचित बैंक और १५ विनिमय बैंक हैं। यदि वह ५ करोड़ रुपये ग्रामीण ऋण के लिये दे भी देता है तो इस से गांवों की हालत में कैसे सुधार हो सकता है ? यह राशि देश के सात लाख गांवों की आवश्यकता कैसे पूरी कर सकेगी ? बेचारा ग्राम निवासी इस योजना के अन्तर्गत अपना माल किस प्रकार भेज सकता है ? बैंकिंग जांच समिति ने विशेष रूप से यह कहा था कि गांव वालों को माल भेजने के लिये यातायात की सुविधाएं दी जानी चाहियें। अब रिज़र्व बैंक को चाहिये

कि वह नगर-बैंकों तथा सहकारी समितियों के मार्फ़त उन्हें ये सुविधाएं प्रदान करे । धारा १७ के संशोधन में " poultry " (पोलट्री) सम्मिलित नहीं है । मैं चाहता हूं कि यह भी शामिल किया जाये । इस के अन्तर्गत, अंडे, बतख, चिड़ियां तथा ऐसे ही बहुत से अन्य पक्षी आ जायेंगे । गांव वालों तथा नगर वासियों का यह एक मुख्य भोजन है । इसलिये इस खंड में "agricultural operations" ("कृषि कार्यों") के अन्तर्गत " poultry " (पोलट्री) शब्द आवश्यक रूप से शामिल किया जाना चाहिये ।

अब मैं इम्पीरियल बैंक के बारे में कुछ कहूंगा । मैं चाहता हूं कि इम्पीरियल बैंक में विदेशी पदाधिकारियों को हटा कर भारतीय पदाधिकारी रखे जायें । यदि हम इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं तो हमें उसमें भारतीय पदाधिकारी रखने होंगे । ये पदाधिकारी असंदिग्ध चरित्र, योग्यता तथा ईमानदारी वाले होने चाहियें । नियुक्तियां करते समय किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिये ।

औद्योगिक वित्त निगम ने बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाखों रुपये के ऋण दिये हैं । परन्तु गरीब लोगों की आवश्यकताओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है । क्या यह अनुचित नहीं है कि ऐसे बड़े बड़े व्यापारियों को रुपया दिया जाये जो वास्तव में उसके पात्र नहीं हैं ? यदि औद्योगिक वित्त निगम इसी तरीके से काम करता रहा और यदि हमारे नगर-सहकारी बैंकों और सहकारी समितियों ने भी इसी प्रकार कार्य किया तो इस से हमारी वर्तमान बैंकिंग व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और देहातों में लोगों को कोई सहायता नहीं मिलेगी ।

बड़े नोटों के फिर से जारी किये जाने के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि इस का अर्थ तो यह हुआ कि आप चोरबाजारी करने वाले लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं । क्या ५००० रुपये वाले या अन्य बड़े नोटों के बिना देश का काम नहीं चल सकेगा ? चाहे बड़े नोटों के अभाव में बैंकों को कितनी ही असुविधा क्यों न हो, बड़े मूल्य के नोटों का फिर से जारी किया जाना वांछनीय नहीं है ।

धारा २५ के अन्तर्गत रिज़र्व बैंक को नोटों के डिज़ाइन आदि के सम्बन्ध में अधिकार प्राप्त है । मेरा खयाल है कि सब नोटों पर एक ही व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहियें—चाहे वित्त विभाग के सचिव के या रिज़र्व बैंक के गवर्नर के ।

रिज़र्व बैंक को यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि वह किसी प्रकार का राजनीतिक या आर्थिक दबाव न डाले । हमारे सामने त्रावनकोर नेशनल क्विलौनबैंक का उदाहरण मौजूद है । जिस ने परिसमापन के समय सोलह आने में से पन्द्रह आने भुगतान किये थे । परन्तु फिर भी वह बन्द कर दिया गया था । उसके बन्द होने में रिज़र्व बैंक का भी हाथ था । इसलिये हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि भविष्य में रिज़र्व बैंक किसी प्रकार का बाह्य दबाव न डाले । हम चाहते हैं कि रिज़र्व बैंक बिना किसी पक्षपात के कार्य करे ।

वैसे तो मैं इस विधेयक का विरोध करता, परन्तु कांग्रेस दल का सदस्य होने के नाते ऐसा नहीं कर सकता । फिर भी मेरा खयाल है कि अभी इसे स्थगित किया जा सकता था और बाद में इस में अपेक्षित सुधार किये जा सकते थे । उस के बाद यह प्रस्तुत होता तो अधिक अच्छा होता ।

श्री बोगावत (अहमदनगर दक्षिण) मेरा निवेदन यह है कि यह विधेयक पर्याप्त नहीं है । जहां तक कृषकों का सम्बन्ध है। सरकार उन की आवश्यकताएं जानती है । उन की भलाई के लिये राज्य सरकारों द्वारा

[श्री बोगावत]

कई कानून भी बनाये गये हैं। इस का परिणाम यह हुआ कि उन में जिस किसी बात के सम्बन्ध में उपबन्ध नहीं है उसी विषय में कोई नई कठिनाई खड़ी हो जाती है। कृषकों को अपनी आवश्यकताओं के लिये ऋण नहीं मिलता। जो लोग उन्हें ऋण देते भी हैं वे बहुत अधिक ब्याज लेते हैं। इस प्रकार इन गरीब लोगों का साहूकारों द्वारा शोषण किया जाता है। कुछ जमीनें बंजर पड़ी हैं क्योंकि किसानों के पास आवश्यक उपकरण खरीदने के लिये रुपया नहीं है। इस का नतीजा यह होता है कि ये लोग अपने मकान बहुत सस्ते मूल्य पर बेच देते हैं। मजबूर हो कर उन्हें ऐसा करना पड़ता है। ५ करोड़ रुपये की राशि इस प्रयोजन के लिये बहुत कम है; कम से कम २५ करोड़ रुपये की व्यवस्था होनी चाहिये। उन्हें कुछ तकाबी ज़रूर दी जाती है, परन्तु वह भी अपर्याप्त है। कई सौ व्यक्तियों में से केवल तीस-चालीस व्यक्ति ही तकावी पा सकते हैं और इस के लिये भी उन्हें पांच या दस बार कचहरी जाना पड़ता है। साहूकार भी आजकल भूमि रहन रख कर रुपया नहीं देते क्योंकि काश्तकारी अधिनियम विद्यमान है। कृषि तथा छोटे उद्योगों के लिये कम से कम २५ करोड़ रुपये की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिये।

यह ठीक है कि इम्पीरियल बैंक में अब कुछ अधिक भारतीय पदाधिकारी नियुक्त हो गये हैं, परन्तु अंशधारी कौन है जो अपने अंशों से लाभ उठाते हैं? इस की जांच की जानी चाहिये।

यद्यपि मैं विधेयक का विरोध नहीं करता, परन्तु मेरा ख्याल है कि भावी विधानों में इस प्रयोजनार्थ पर्याप्त उपबन्ध किये जाने चाहियें।

श्री सारंगधर दास (ढेनकनाल—पश्चिम कटक): मैं इस विधेयक में ऐसी कोई बात नहीं देखता जिस के लिये वित्त मंत्री की प्रशंसा की जा सके। मैं केवल किसानों की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में केवल एक बात कहना चाहता हूं। वैसे तो उन की आवश्यकतायें असंख्य हैं। उन्हें रुपए की आवश्यकता है, तथा जमींदारी उन्मूलन से और विभिन्न राज्यों के साहूकार अधिनियमों द्वारा ब्याज की दर घटा कर ९ प्रतिशत या १२ प्रतिशत निर्धारित कर देने से किसानों को ऋण मिलने का साधन समाप्त हो चुका है। इस लिये देहातों में ऋण-व्यवस्था लगभग समाप्त हो चुकी है।

केन्द्र तथा राज्य सरकारें यह चाहती हैं कि लोगों का जीवन-स्तर आगामी कुछ वर्षों में ५० प्रतिशत या १०० प्रतिशत बढ़ जाए और हम सब चीजों में आत्म-निर्भर हो जाएं। सत्ता धारी दल के नेता इस प्रकार के बढ़िया बढ़िया शब्द कहते रहते हैं। लेकिन काम कहने से नहीं, करने से होता है। एक भूतपूर्व कृषि मंत्री जी ने जूट के मामले में किसानों को प्रोत्साहित किया था तथा अच्छे बीज, खाद इत्यादि का प्रलोभन दिया था। जूट उत्पादन में वृद्धि करने के प्रयोजन से देहातों में प्रचारक भेजे गये थे और खूब प्रोपेगेंडा किया गया था। शीघ्र ही जूट की खेती बढ़ गई क्योंकि किसानों को जूट उगाने का प्रलोभन दिया गया था। किन्तु फिर क्या हुआ? जूट का मूल्य गिर गया। यहां तक कि उन्हें लागत से भी १०-१२ रू० कम पर बेचना पड़ा। किन्तु स्थिति को सुधारने के लिये सरकार ने कुछ नहीं किया। यदि आप किसान से अधिक जूट, अधिक गेहूं, और अन्य सब चीजें अधिक मात्रा में उगाने की आशा करते हैं तो आप को उन्हें उचित मूल्य प्राप्त करने के मामले में सहायता देनी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सब बात रिज़र्व बैंक (संशोधन) विधेयक के अंतर्गत कैसे आती है ?

श्री सारंगधर दास : इसलिये आती है कि मूल्य सम्बन्धी सहायता के लिये ऋण व्यवस्था जरूरी है ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभी चीज के लिये ऋण आवश्यक है । मैं समझता हूं कि इस विधेयक का क्षेत्र आवश्यक रूप से बढ़ाया जा रहा है । माननीय सदस्य ऋण के सम्बन्ध में बोलें, मूल्य पर नहीं ।

श्री सारंगधर दास : पांच करोड़ का उपबन्ध महज़ लोगों को बहकाने का एक तरीका है । कांग्रेस सरकार लोगों को बेवकूफ बनाने का प्रयत्न कर रही है । पांच करोड़ कुछ भी नहीं है । किसी माननीय सदस्य ने २५ करोड़ का सुझाव दिया । मैं कहता हूं कि सौ करोड़ से भी काम नहीं चलेगा ।

जब तक कि ऋण सम्बन्धी समुचित सुविधाएं प्रदान न की जायें इस विधेयक का प्रयोजन ही क्या है ? इस विधेयक का वास्तविक प्रयोजन तो १,००० रु०, ५,००० रु० और १०,००० रु० के नोट चालू करना है, ५ करोड़ का उपबन्ध तो इस में केवल संयोग से रखा गया है । इस से कृषि अथवा कुटीर उद्योगों के लिए कुछ नहीं हो सकता । इस लिये मैं इस विधेयक का कड़ा विरोध करता हूं ।

श्री ए० सी० गुहा : आज जो बातें उठाई गई हैं वे लगभग वही हैं जो कल उठाई गई थीं । कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि इस विधेयक के द्वारा हम इम्पीरियल बैंक को कुछ और सुविधाएं दे रहे हैं । मैं बतला दूं कि इस विधेयक में इम्पीरियल बैंक का जो निर्देश है वह केवल इस सिलसिले में है कि अनुसूचित बैंकों को विनियोजन के लिये अधिक पूंजी उपलब्ध हो जायेगी । इस विधेयक द्वारा इम्पीरियल बैंक को कोई विशिष्ट सुविधा नहीं दी जा रही है । इस का अर्थ केवल यह होगा कि अनुसूचित बैंकों को बैंकिंग कारोबार में लगाने के लिये अधिक पूंजी प्राप्त होगी ।

श्री आलवा ने इम्पीरियल बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर के विषय में कुछ कहा जो हाल में नियुक्त हुए हैं । उन का समस्त कैरियर इम्पीरियल बैंक में ही बीता है । इस से पहले वह डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर थे । रिज़र्व बैंक के डायरेक्टर से इस नियुक्ति का कोई ताल्लुक नहीं है । वह तो रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर के पद संभालने से कहीं पहले से इम्पीरियल बैंक में ही हैं ।

एक अन्य सदस्य ने इम्पीरियल बैंक के हिस्सेदारों के सम्बन्ध में कुछ कहा । मैं बतला दूं कि अब लगभग ७० प्रतिशत हिस्सेदार भारतीय हैं तथा अधिकतर पूंजी भी भारतीयों की ही है ।

श्री सारंगधर दास ने जूट उत्पादकों के मामले के सम्बन्ध में कहा और जूट के मूल्य का जिक्र किया । मैं दास साहब को याद दिलाना चाहता हूं कि जूट की मूल्य-व्यवस्था की जांच करने के लिये सरकार द्वारा एक समिति नियुक्त की हुई है । मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दे सकता हूं कि सरकार यह देखेगी कि जूट उत्पादकों को उचित मूल्य मिले । अभी एक समिति इस बात की जांच कर रही है और यह कहना उचित नहीं होगा कि सरकार इस समस्या के प्रति उदासीन है ।

श्री मोरे ने अधिक अन्न उपजाओ, योजना आयोग इत्यादि बातों का जिक्र किया । योजना आयोग ने योजना काल के लिये २५ करोड़ रुपये के मध्यम-कालीन ऋण का लक्ष्य रक्खा है । पांच करोड़ पच्चीस

[श्री ए० सी० गुहा]

करोड़ के बराबर नहीं हो सकता—इतना हिसाब में जानता हूं । मैं ने कल बतलाया था कि रिज़र्व बैंक के पास दीर्घ व मध्यम-कालीन ऋण के लिये १० करोड़ रुपया उपलब्ध है । इस रकम में से २५ करोड़ या ५०० करोड़ रुपया दीर्घ या मध्यम-कालीन ऋण के लिये कैसे निर्धारित किया जा सकता है ? यह हिसाब मेरी समझ में नहीं आया ।

कृषि ऋण अधिक उपलब्ध होने की माननीय सदस्यों की चिन्ता मैं समझ सकता हूं और मुझे इस से पूरी सहानुभूति है। सदन को मालूम ही है कि योजना आयोग ने कृषि को सर्वोच्च वरीयता दी है ।

दूसरी आलोचना बड़े नोटों के सम्बन्ध में थी । मैं नहीं समझता कि बड़े नोट किस प्रकार अनिवार्य रूप से काले बाजार से सम्बन्धित हैं । ऐसी हालत कभी थी जब कि इन का कुछ सम्बन्ध था और सरकार ने प्रभावशाली कदम उठाया । १३८ करोड़ के बड़े नोटों में से १·२५ करोड़ को छोड़ कर सब वापस आगए हैं और रद्द कर दिए गए हैं । अभी भी हम उस अध्यादेश का निरसन नहीं कर रहे हैं जो १९४६ में बड़े नोटों के विमुद्रीकरण के लिए जारी हुआ था । इस विधेयक के पास होने से पूर्व जो नोट प्रचलित किए गए थे वे रद्द कर दिए जायेंगे । केवल वे ही बड़े नोट वैध होंगे जो इस विधेयक के पास होने के पश्चात प्रचलित किए जायेंगे । इसलिए माननीय सदस्यों को सन् १९४६ में विमुद्रीकृत नोटों के सम्बन्ध में कोई आशंका नहीं होनी चाहिए । वे रद्द हैं ।

इम्पीरियल बैंक के विषय में श्री आलवा ने कल यह आलोचना की कि इस की इतनी अधिक शाखाएं खोल दी गई हैं । मैं केवल यही कह सकता हूं कि इस की शाखायें रिजर्व बैंक के परामर्श से खोली गई हैं और उन स्थानों पर जहां बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं । इस लिए इम्पीरियल बैंक का प्रयोग लोगों को उचित बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया गया है ।

मैं समझता हूं कि मैं सदन में उठाई गई सब बातों का उत्तर दे चुका हूं और मुझे आशा है कि सदन इस विधेयक को पास कर देगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि "विधेयक, संशोधित रूप में, पास किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

त्रावनकोर-कोचीन उच्च न्यायालय (संशोधन) विधेयक

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"राज्य परिषद द्वारा पास किए गए रूप में त्रावणकोर-कोचीन उच्च न्यायालय अधिनियम, ११२५, में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

यह एक छोटा सा विधेयक है और इस का प्रयोजन एक मामूली असुविधा को हटाना है । सदन को याद होगा कि जब त्रावनकोर और कोचीन को एकीकृत किया गया था तो ऐसी व्यवस्था की गई थी कि इस एकीकृत राज्य की राजधानी त्रिवेंद्रम हो और उच्च न्यायालय एरनाकुलम में हो । इस सम्बन्ध में १९४९ में एक अधिनियम पास किया गया था जिसका कि प्रस्तुत विधेयक द्वारा संशोधन किया जा रहा है । उस अधिनियम में घोषित किया गया था कि त्रावनकोर कोचीन के संयुक्त राज्य का उच्च न्यायालय एरनाकुलम में होगा ।

मैं कल्पना करता हूं कि उस इलाके में न रहने वाले कुछ सदस्य भी वहां गये होंगे ।

यदि आप रेखा चित्र में देखें आप को विदित होगा कि इस राज्य के क्षेत्र की चौड़ाई तो बहुत कम है परन्तु इस की लम्बाई काफी है और यह उत्तर से दक्षिण के सीमांत, अर्थात रास कुमारी तक फैला हुआ है । यह सारा एकीकृत राज्य चार ज़िलों में विभाजित है जिन में से एक ज़िले में कोचीन तथा त्रावनकोर राज्य का एक तालुक है और अन्य तीन ज़िले भूतपूर्व त्रावणकोर राज्य का क्षेत्र हैं । दक्षिण से उत्तर की ओर आते हुए पहला ज़िला त्रिवेंद्रम का है । इस ज़िले का अधिकांश क्षेत्र त्रिवेन्द्रम नगर के दक्षिण में है और थोड़ा सा क्षेत्र त्रिवेन्द्रम नगर के उत्तर में । त्रिवेंद्रम नगर एरनाकुलम से १७५ मील दूर है ।

श्री ए० एम० टामस (ऐरणाकुलम) : नहीं, १३३ मील ।

डा० काटजू : ठीक है, १३३ मील सही । मैं नगरकोइल को समझ रहा था जो शायद १७५ मील है ।

नगरकोइल त्रिवेन्द्रम का एक महत्वपूर्ण सब डिवीजन है । दक्षिण से ऊपर चलने पर आप नगरकोइल पहुंचते हैं और फिर त्रिवेन्द्रम् । फिर कुछ दूर पर त्रिवेन्द्रम् जिला समाप्त हो जाता है और क्विलोन जिला आता है । वहां से कोट्टय्यम् और कोट्टय्यम् से एरनाकुलम् ।

इस अधिनियम के पारित होने पर हम ने सोचा था कि यह सहमति से पारित हुआ है और इसे तदनुसार माना जायेगा । पर सुदूर दक्षिण में रहने वाले लोगों को यह बात अनोखी प्रतीत हुई कि वे न्याय पाने के लिए कुमारी अन्तरीप से नगरकोइल तक जाएं और त्रिवेन्द्रम् होते हुए फिर एरनाकुलम् पहुंचें । एक आन्दोलन चला कि उच्चन्यायालय के भाग कर दिए जाएं या एक बेंच न्यायालय बना दिया जाए । यह कहा गया कि जहां तक उच्च न्यायालय का सम्बन्ध है, त्रिवेन्द्रम् वासी अपने घर के निकट न्याय प्राप्त कर सकें ।

राज्य सरकार ने इस पर विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि पिछले समझौते के अनुसार यद्यपि सभी दलों को यह व्यवस्था माननी चाहिए थी, वह त्रिवेन्द्रम्वासियों की इच्छा के अनुसार एक बेंच न्यायालय स्थापित कर देगी । उन्हों ने एक विधेयक भी रखा । तब यह बताया गया कि यह संसद् के अधिकार-क्षेत्र में है और वही हस्तक्षेप कर सकेगी । फलतः यह विधेयक मैं पुरःस्थापित कर रहा हूं । परिषद् में मैं इसे पुरःस्थापित कर के पारित करा चुका हूं

इस विधेयक का सारांश यही है कि उच्च न्यायालय में एक उच्च न्यायाधीश और सात न्यायाधीश हैं, जो एरनाकुलम् में बैठते हैं १९४९ में इस अधिनियम के पारित होने पर वे और विधानजीवी व्यक्ति वहां चले गए—वहां अच्छी सी इमारत है । यह विधेयक मुख्य न्यायाधीश को यह शक्ति देता है कि अकेले न्यायालय की आवश्यकता के अनुसार एक न्यायाधीश वाला न्यायालय और एक डिवीजन बेंच के लिए तीन से अधिक न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है । अकेले न्यायाधीश वाले न्यायालय में एक न्यायाधीश उच्च न्यायालय की ओर से सुनवाई करता है और डिवीजन बेंच में दो न्यायाधीश । काम काफी न होने पर वह दो न्यायाधीश भेज सकता है और एक न्यायाधीश और डिवीजन बेंच दोनों के लायक काम होने पर तीन न्यायाधीश भेज सकता है । पर विशेष बात यह है कि त्रिवेन्द्रम् में तीन न्यायाधीशों वाली एक पूरी बेंच न बैठे, क्योंकि उस का उच्च न्यायालय के स्थान पर बैठना ही ठीक है, जहां विधानजीवी व्यक्ति काफी अनुभवी है । इस प्रकार वादी-प्रतिवादी उन से लाभ उठा सकेंगे और न्यायालय भी उन से लाभ उठा सकेंगे, तथा न्यायाधीश वहां बैठ कर निर्णय दे सकेंगे ।

[डा० काटजू]

इस डिवीजन बैंच का क्षेत्राधिकार सब से दक्षिण के त्रिवेन्द्रम् जिले में हैं, जो एरनाकुलम् से सर्वाधिक दूर है। वे अपने अभियोगों का निर्णय यहां करा सकेंगे। पता नहीं, विधान जीवियों के लिए यह अनुकूल पड़ेगा या नहीं। उनमें से कुछ स्थायी रूप में एरनाकुलम् में बस गए हैं। वह बड़ा रमणीक स्थान है। अब उन को वापस आना पड़ेगा। मैं सदन को यह भी बता दूं कि उच्च न्यायालय को भी इस से विशेष खुशी नहीं है, क्योंकि इस से बैंच के पद और प्रतिष्ठा को बाधा पहुंचेगी। वे चाहते हैं कि सब न्यायाधीश एक ही स्थान पर बैठें, क्योंकि न्यायाधीशों की संख्या के अनुसार ही जनता की दृष्टि में सम्बन्धित उच्च न्यायालय की प्रतिष्ठा बढ़ती है। पर हाल में इस प्रकार के कई उदाहरण हमारे सामने आए हैं। भाग ख राज्यों में—त्रावनकोर कोचीन भी उन्हीं में है वैसे ही प्रश्न उठे। मध्य भारत में राजधानी ७ महीने ग्वालियर रहती है और उच्च न्यायालय इन्दौर में है। पर यह निश्चय हुआ है कि ग्वालियर के आस पास के मामलों के निपटारे के लिए एक बैंच ग्वालियर में बैठे। वैसे ही राजस्थान में कार्यपालिका की राजधानी जयपुर में है, और उच्च न्यायालय जोधपुर में। सदन को याद होगा कि ब्रिटिश काल में जब बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग किया गया था, उच्च न्यायालय पटना में था, पर दूरी को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था की गई थी कि वर्ष में चार बार २—३ न्यायाधीश कटक स्थित चंक्रम न्यायालय में वहां के अभियोगों का निर्णय करने के लिए जाया करेंगे उसी प्रकार दिल्ली में भी यहां के अभियोगों का निर्णय करने के लिए न्यायाधीश वर्ष में ३—४ बार दिल्ली आया करते हैं। उसी प्रकार यू० पी० में दो न्यायालय थे, अवध के लिए चीफ़ कोर्ट और आगरा के लिए इलाहाबाद मुख्य न्यायालय। स्वाधीनता के बाद दोनों न्यायालयों को मिला दिया गया है, पर यह निर्णय किया गया है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक बैंच लखनऊ में बैठा करेगी तो इस प्रकार के अनेकों पूर्व दृष्टांत हैं।

कुछ संशोधनों की सूचना मिली है। एक जनमत के लिए परिचालन की मांग करता है। मेरा निवेदन है कि वह अपनाने योग्य प्रक्रिया नहीं है। जब एक ऐसा विधेयक हमारे सामने आता है, जिसे परिषद् ने पारित कर के हमारी सहमति जानने के लिए भेजा है, तो वह विधेयक महीनों से जनता के समक्ष रह चुका है। यह विधेयक परिषद् द्वारा मार्च-अप्रैल में पारित किया गया था। अतः मैं सादर निवेदन करता हूं कि जनमत जानने के लिए सुझाव देना हास्यास्पद है। परिषद् ने ऐसा सुझाव अस्वीकृत कर के इसे पारित कर दिया था, अतः यह सुझाव उचित नहीं है।

दूसरा संशोधन प्रवर समिति नियुक्त करना चाहता है। एक बात को लेने वाले और एक खंड वाले विधेयक के लिए यह बात मैं ने कभी नहीं सुनी। कुछ और संशोधन उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार या विशेषाधिकार विस्तृत कर देना चाहते हैं। हाल में मैं पांच दिन त्रावनकोर-कोचीन में रहा हूं और वहां के भूगोल से परिचित हो गया हूं। क्विलोन एरनाकुलम् की अपेक्षा त्रिवेन्द्रम् से ५० मील निकट है और पूरा क्षेत्र, जिला न्यायालय और मुंसिफ न्यायालय, त्रिवेन्द्रम की अपेक्षा एरनाकुलम् से निकट है। बस ५० मील के इधर उधर होने की बात है। रेलवे लाइन बन जाने पर वह दूरी भी कम हो जाएगी और कोई कठिनाई न रहेगी। यह याद रहे कि यह छोटे अभियोगों के लिए

या ज़िला या सत्र न्यायाधीश तक अपील करने के लिए जिला न्यायालय या मुंसिफी का प्रश्न नहीं है । उच्च न्यायालय में तो अपीलें ही जाएंगी । अतः मेरे विचार से इस एक खंड वाले विधेयक का कुछ भी विरोध नहीं होना चाहिए । अतः माननीय सदस्य गण से मेरा निवेदन है कि त्रावनकोर-कोचीन निवासियों को सुखद इस विधेयक को यथारूप पारित कर दें और हम अपेक्षतया अधिक महत्वपूर्ण काम अपने हाथ में ले लें ।

मैं इस विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे पास कई संशोधनों की सूचना आई है । एक में श्री मात्तन परिषद् द्वारा पारित विधेयक को जनमत के लिए परिचालित करना चाहते हैं । प्रक्रिया नियम १४४ और १४६ के अनुसार इसी सदन में ही शुरू होने वाले विधेयकों के विषय में प्रवर-समिति को निर्देश या परिचालन के प्रस्ताव रखे जा सकते हैं, पर दूसरे सदन से आने वाले विधेयकों के विषय में केवल प्रवर-समिति को निर्देश का प्रस्ताव रखा जा सकता है । अतः यह संशोधन अनियमित है । मैं प्रवर-समिति को निर्देश के प्रस्ताव को नियमित ठहरा सकता हूं ।

श्री मात्तन (तिरुवल्ला) : तो मैं प्रवर समिति को निर्देश का प्रस्ताव रखे देता हूं । नाम मेरे पास तैयार हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : नामों को भेज दें ।

श्री मात्तन : मैं विधेयक पर बोलना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह प्रस्ताव न रखना चाहें तो न रखें । मैं उन को बोल लेने दूंगा ।

श्री मात्तन : मैं अभी बोलना चाहता हूं प्रवर समिति वाला प्रस्ताव तो बाद में आयेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रक्रिया यही है कि वह प्रस्ताव प्रस्तुत कर दें । इस चर्चा या प्रवर-समिति को निर्देश के प्रस्ताव पर जो सदस्य बोलना चाहें, बोल सकेंगे । परन्तु प्रस्ताव रखने वाले सदस्य प्रस्ताव रखने पर ही बोल सकेंगे, दुबारा नहीं ।

श्री मात्तन : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

> "विधेयक का श्री हरि विनायक पाटस्कर, श्री ए० के० बसु, श्री एन० एम० लिंगम्, श्री के० ए० दामोदर मेनन, श्री पी० टी० पुन्नूस, श्री एस० वी० रामस्वामी, श्री एन० सी० चटर्जी, श्री ए० एम० टामस, श्री के० टी० अच्युतन, डा० सुरेशचन्द्र और प्रस्तावक से बनी एक प्रवर समिति को निर्देश किया जाए और उसे अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निदेश दिया जाए ।"

श्री मात्तन : माननीय गृह मंत्री के प्रति उचित आदर रखते हुए मुझे यह कहना है कि यह विधेयक उपयुक्त अवसर पर प्रस्तुत नहीं किया गया है और यह अनावश्यक है । गृह मंत्री यह जानते हैं कि दक्षिण त्रावणकोर में इस बात का आन्दोलन हो रहा है कि वह भाग तामिलनाड में मिला दिया जाय । इस छोटे से राज्य के उत्तरी तथा मध्य भाग में मलयालम भाषा बोली जाती है किन्तु इसके सुदूर दक्षिण के भाग में तामिल भाषा बोली जाती है । इस सुदूर दक्षिण के भाग की सहायता के विचार से यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है । माननीय गृहमंत्री ने ही इस बात की घोषणा की थी कि एक उच्च अधिकार आयोग शीघ्र ही नियुक्त किया जायगा जो भारत सघ के राज्यों की सीमा फिर से निर्धा-

[श्री मात्तन]

रित करेगा । सम्भव है कि यह भाग उस समय तामिल क्षेत्र में मिला दिया जाय । ऐसी अवस्था में वहां जो उच्च न्यायालय बनेगा उसके क्षेत्राधिकार में कुछ थोड़े से ताल्लुक़े रहेंगे । यदि इस राज्य के उत्तर में ऐक्य केरल मिला दिया गया तो उच्च न्यायालय सम्बन्धी समस्या और बढ़ सकती है । यह आयोग शीघ्र नियुक्त होने वाला है। इस लिये अच्छा तो यह है कि हम इसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा करें तथा राज्यों की सीमा अन्तिम रूप से निर्धारित हो जाने तक इस मामले में रुके रहें और फिर इस उच्च न्यायालय का विभाजन किया जा सकता है । त्रावणकोर में पहिले एक उच्चन्यायालय था जिसके क्षेत्राधिकार में एरनाकुलम् से २५ मील उत्तर में एक जिला न्यायालय था । किन्तु वहां उसके समीप कहीं भी दूसरा उच्च न्यायालय बनाने का प्रयत्न नहीं किया गया । इसलिये मेरा सुझाव है कि माननीय मंत्री इस विधेयक को वापिस ले लें और उच्च अधिकार आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत होने तक प्रतीक्षा करें ।

यह कहा जाता है कि पूरे उच्च न्यायालय को एरनाकुलम् से हटा कर त्रिवेन्द्रम में स्थापित किये जाने के बारे में मांग की जा रही है और इसके लिये आन्दोलन हो रहा है । यदि वह ऐसा करें तो मेरा उनसे कोई झगड़ा नहीं । यदि आप उसका एक भाग त्रिवेन्द्रम में स्थापित करेंगे तो मुझे शंका है कि इससे आपकी दिक्कतें बढ़ न जायें क्योंकि अन्य राज्य भी उच्च न्यायालय के विभाजन के बारे में मांग कर सकते हैं ।

मैं समझता हूं कि सदन को इसका इतिहास पता नहीं है । त्रावणकोर और कोचीन के एकीकरण के समय त्रिवेन्द्रम त्रावणकोर की और एरनाकुलम् कोचीन की सरकार के सदर मुकाम थे । दोनों राज्यों को सन्तुष्ट करने के लिये यह निश्चय किया गया था कि कार्यपालिका सरकार त्रिवेन्द्रम में रहे और उच्च न्यायालय एरनाकुलम् में रहे । किन्तु उस आश्वासन के होते हुए उच्च न्यायालय के एक भाग को त्रिवेन्द्रम में स्थापित करना उचित नहीं ।

एक और महत्वपूर्ण मामला है । कुछ राजनैतिक बातों के आधार पर यह विधेयक त्रावणकोर-कोचीन के कांग्रेस मंत्रिमण्डल पर जबरदस्ती लादा गया था इस बारे में वहां की जनता इतनी अधिक मांग नहीं कर रही है जितना कि कुछ लोग अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिये कर रहे हैं । वहां के मंत्रिमंडल की हालत बड़ी डांवाडोल थी उसे सहारे की आवश्यकता थी और तामिलनाड ने वह सहारा दिया । किन्तु दुर्भाग्यवश उसका वह सहारा बहुत दिनों तक नहीं रहा जिसके परिणामस्वरूप वह मन्त्रिमंडल भंग हो गया और अब वह काम चलाऊ सरकार के रूप में काम कर रहा है । ऐसा करने के लिये दक्षिण त्रावणकोर निवासियों को सन्तुष्ट करना पड़ा । मैं कांग्रेस का सदस्य हूं इसलिये इस मांग के पीछे जो बातें हैं उन्हें नहीं कहना चाहता और न यह कहना चाहता हूं कि उस मंत्रिमण्डल को किस प्रकार धमकी दी गई थी । किन्तु मैं चाहता हूं कि इस मामले में हम उस उच्च अधिकार आयोग की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करें । मुझे इस बात का खेद है कि माननीय गृह मंत्री उस मांग को मान गये थे । मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इससे उस उच्च न्यायालय का सम्मान नहीं बढ़ता । इस मामले में वहां के उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की राय मालूम कर ली जानी चाहिये थी । मेरे पास यह विश्वस्त सूचना है कि त्रावणकोर कोचीन उच्च न्यायालय ने एकमत से इस विभाजन का विरोध किया था । मेरे पास यह सूचना भी है कि त्रावणकोर-कोचीन के न्यायाधीशों की एक बैठक में उच्चतम न्याया-

लय के मुख्य न्यायाधिपति ने भी कहा था कि इस बात को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिये न्यायपालिका ने उत्तरदायी सरकार स्थापित हो जाने के बाद भी अपनी कार्यकुशलता को बनाये रखा है । मेरा माननीय मंत्री से निवेदन है कि वह इस विभाग की प्रतिष्ठा तथा कार्य कुशलता को बनाये रखें । इस विधेयक से उसकी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ेगी ।

[**पंडित ठाकर दास भार्गव** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

अच्छा तो यह होग कि माननीय मंत्री इस विधेयक को वापिस ले लें । यदि ऐसा नहीं किया जा सकता तो इसे प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दें । वहां यातायात साधन अच्छे हैं, किन्तु इस बात को ध्यान में रख कर उच्च न्यायालय को दो भागों में क्यों विभक्त किया जाय ? इस छोटे से राज्य में उच्च न्यायालय किसी भी स्थान पर रहे किन्तु वह अविभक्त रूप में रहे । उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में तो उच्च न्यायालय विभक्त किया जा सकता है किन्तु त्रावणकोर-कोचीन जैसे छोटे राज्य में यह वांछनीय नहीं है । इसलिये मेरा माननीय मंत्री से निवेदन है कि वह इस विधेयक को वापिस ले लें या इसे कुछ महीनों या वर्षों के लिये छोड़ दें जिससे कि राज्यों की सीमा का पुनः-निर्धारण हो जाने के बाद इस प्रश्न पर विचार किया जा सके ।

श्री ए० एम० टामस : ५ जुलाई, १९५२ को त्रावणकोर-कोचीन की विधान सभा में वहां के मुख्य मंत्री ने उच्च न्यायालय अधिनियम में संशोधन करने के हेतु एक विधेयक प्रस्तुत करने का जो आश्वासन दिया था यह विधेयक उसी पर आधारित है । उस विधेयक का उद्देश्य यह था कि उच्च न्यायालय को एरणाकुलम से हटा लिया जाय और वहां एक डिवीज़नल बेंच रहे । किन्तु अन्त में यह पता लगा कि विधान सभा को इस प्रकार का विधान बनाने का अधिकार नहीं था । इसलिए केन्द्र से इस बारे में प्रार्थना की गई जिसने उस राज्य सरकार की बात को मान लिया । तब यह विधेयक राज्य परिषद् में प्रस्तुत किया गया और वहां से पारित होने के बाद हमारे सामने प्रस्तुत है ।

लोगों में ऐसी धारणा है कि यदि इस विधेयक के राज्य परिषद् में प्रस्तुत किये जाने से पूर्व माननीय गृह मंत्री त्रावणकोर-कोचीन गये होते तो वहां की यातायात सम्बन्धी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए वह इस विधेयक को प्रस्तुत नहीं करते । उस राज्य के अन्दर यदि दूरी का ध्यान रखा जाय तो वहां उच्च न्यायालय के विभाजन की आवश्यकता नहीं है । भारत में ऐसे कई बड़े राज्य हैं । जहां उच्च न्यायालय से ज़िला न्यायालय सैकड़ों मील दूर हैं । किन्तु उनके बारे में कोई विधेयक प्रस्तुत नहीं किया गया मेरी समझ में नहीं आता कि इस काम के लिये त्रावणकोर-कोचीन को ही सबसे पहिले क्यों चुना गया ? मलाबार जिला मद्रास उच्च न्यायालय से सैकड़ों मील दूर है किन्तु केन्द्रीय सरकार ने मलाबार में उच्च न्यायालय की बेंच रखने की कोई व्यवस्था नहीं की । आन्ध्र राज्य के मामले में भी यही बात है । तो जब ऐसी बात है तो संविधान के लागू होने के बाद इस परीक्षण के लिये त्रावणकोर-कोचीन राज्य को क्यों चुना गया ।

माननीय गृह मंत्री ने बताया कि ऐसे कई दृष्टांत हैं जहां उच्च न्यायालय की बेंचें कई जिलों में काम करती थीं । उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच की बात कही । लखनऊ बेंच की बात तो एक ऐतिहासिक मामला है । उत्तर प्रदेश सरकार तथा केन्द्रीय सरकार की यह नीति तो नहीं थी कि लखनऊ में एक बेंच रहे । पहिले लखनऊ

[श्री ए० एम० टामस]

में अवध मुख्य न्यायालय था जब उसे खत्म करके इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मिला दिया गया तो वहां पर उस उच्च न्यायालय की एक बेंच रखना उचित समझा गया । यदि त्रावणकोर-कोचीन में उत्तर प्रदेश जैसी बात होती तो इस मामले में कोई विशेष बात न होती । त्रावणकोर-कोचीन राज्यों का एकीकरण जुलाई १९४९ में हुआ था और इन चार वर्षों में यह एकीकृत न्यायालय बड़े सन्तोषजनक रूप से कार्य करता रहा है । इसके एकीकरण से दोनों राज्यों के लोगों की पृथक्तावादी मनोवृत्ति दूर हो सकी है । जब इस उच्च न्यायालय के एकीकरण का लोगों पर इतना अच्छा प्रभाव पड़ा तो इसे दो जगह त्रिवेन्द्रम और एरणाकुलम् में क्यों विभक्त किया जाय ।

माननीय मंत्री ने बताया था कि मुख्य न्यायाधिपति के अतिरिक्त उस उच्च न्यायालय के ७ अन्य न्यायाधीश हैं । यदि इनमें से ३ त्रिवेन्द्रम में भेज दिये जायेंगे तो उच्च न्यायालय में एरणाकुलम में केवल पांच न्यायाधीश रह जायेंगे । इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि उस राज्य की मान-प्रतिष्ठा को देखते हुए इन दोनों में से कोई उच्च न्यायालय के रूप में नहीं मालूम पड़ेगा । ये दोनों ही दो प्रतिष्ठित जिला न्यायालयों की तरह मालूम पड़ेंगे ।

जैसा कि श्री मात्तन ने कहा है, यदि पूरे उच्च न्यायालय को एरणाकुलम् से लाकर त्रिवेन्द्रम में स्थापित कर दिया जाय तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी । मैं तो इस बात का विरोध सिद्धान्त के आधार पर कर रहा हूं ।

त्रावणकोर-कोचीन के मुख्य मंत्री ने जिस तत्परता के साथ इस मामले में कार्य किया और इस बात का ध्यान रखने का प्रयत्न किया कि जो आश्वासन उन्होंने दिया वह पूरा किया जाय, मैं इसके लिये उन्हें बधाई देता हूं । परिस्थितियों से बाध्य होकर उन्हें एक दूसरे निर्णय को मानना पड़ा जैसा कि राज्य मंत्रालय की प्रशासन रिपोर्ट में कहा गया है, त्रावणकोर-कोचीन में कुछ समय तक संयुक्त मंत्रिमण्डल काम करता रहा था । उस संयुक्त मंत्रिमंडल के कारण ही यह निर्णय किया गया कि उच्च न्यायालय की एक बेंच त्रिवेन्द्रम में रखी जाय । जिस दल से बाध्य होकर त्रावणकोर-कोचीन सरकार ने यह निर्णय किया था वह दल संयुक्त मंत्रिमण्डल से निकल गया और उसी के कारण उस मंत्रिमंडल की हार हुई । किन्तु मुख्य मंत्री ने जो आश्वासन दिया था वे उससे विमुख नहीं हुए । और मुझे पता लगा है कि वे इस विधान के बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार से बारबार अभ्यावेदन करते रहे हैं । किन्तु जिन मामलों में जनता का हित सन्निहित हो उनमें ऐसी दृढ़ता तथा लगन को अच्छा नहीं माना जा सकता । मैं यह कह सकता हूं कि त्रावणकोर-कोचीन राज्य की अधिकांश जनता उच्च न्यायालय के विभाजन के विरुद्ध है । यह अच्छा ही था कि इस विधेयक से जनता में बहुत दिनों तक असन्तोष रहा जिससे लोग इस विभाजन की बात को मान गये हैं । जब डा० काटजू ने त्रावणकोर-कोचीन के एडवोकेट संघ के समक्ष भाषण दिया तो उन लोगों ने इस बात को जान बूझ कर इस लिये नहीं उठाया था कि इससे माननीय गृह-मंत्री को कोई परेशानी न हो । इसी एडवोकेट संघ ने एक पहिले मौके पर इस विभाजन के विरुद्ध एक संकल्प पारित किया था । इस एडवोकेट संघ ने सिद्धान्त के आधार पर भी इस बात का विरोध किया था ।

मैं चाहता हूं केन्द्रीय सरकार यह बताये कि राज्य सरकार की इस प्रार्थना को स्वीकार

करने से पूर्व उसने उस राज्य के उच्च न्यायालय की सम्मति को स्वीकार करना उचित क्यों नहीं समझा । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार ने यह मामला उच्चतम न्यायालय को भेजा था या नहीं ।

डा० काटजू : किस लिये ?

श्री ए० एम० टामस : संविधान निर्माताओं ने इसे जान बूझ कर केन्द्रीय सूची में रखा है । सरकार ने उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में यह कारण बताया है कि उस राज्य के मुख्य मंत्री ने एक आश्वासन दिया था और राज्य सरकार वचनबद्ध है । उस राज्य के मुख्य मंत्री का आश्वासन केवल यह था कि वह राज्य विधान सभा में एक विधेयक प्रस्तुत करेंगे । जब ऐसा करना सम्भव नहीं था और जब यह मालूम हुआ कि यह एक केन्द्रीय विषय है, तो मेरा निवेदन यह है कि केन्द्र को इस प्रश्न पर अखिल-भारतीय दृष्टि से विचार करना चाहिये था और तब किसी राज्य के उच्च न्यायालय के विभाजन के लिये अनुमति देना उचित था ।

श्री राघवाचारी : उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है ।

श्री ए० एम० टामस : इस में दिया हुआ है कि राज्य सरकार इस निश्चय पर पहुंची है । मेरा तो यह निवेदन है कि इस विधेयक को पुरःस्थापित करने से पहले केन्द्रीय सरकार को अपनी ओर से भी इस मामले में जांच करानी चाहिये थी, केवल राज्य सरकार की सिफारिश पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिये था । माननीय गृह मंत्री ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि इस विधेयक से उच्च न्यायालय संतुष्ट नहीं है । मैं तो यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में भारत के उच्चतम न्यायालय से परामर्श किया गया था ? माननीय मंत्री ने कहा था कि अन्य राज्यों में भी तो उच्च न्यायालयों की बेंचें हैं, जैसे, लखनऊ बेंच । परन्तु इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बेंचें संविधान के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा अधिकार प्राप्त कर लेने के पहले ही से स्थापित थीं । संविधान लागू होने के पहले ही मध्य भारत और राजस्थान में बेंचें थीं ।

इस नई प्रस्तावित बेंच से जिन जिलों को लाभ पहुंचाने का विचार है उनकी दूरी १७५ मील से अधिक नहीं है । इसके अलावा कोलतार और सीमेन्ट की पक्की सड़कें हैं जो एरनाकुलम को मिलाती हैं । अतएव दूरी का तो कोई प्रश्न ही नहीं है । अन्य राज्यों में तो कुछ स्थानों से उच्च न्यायालय की दूरी ५०० से ६०० मील तक है ।

जब केन्द्रीय सरकार ने राज्यों का पुनर्गठन करने के लिये एक सीमा आयोग बनाने की घोषणा कर दी है तथा न्यायिक सुधार विधेयक प्रस्तुत करने का भी विचार प्रगट कर दिया है तो फिर इस विधेयक के बारे में इतनी जल्दी करने की क्या आवश्यकता है । विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के संगठन के सम्बन्ध में अलग से कार्यवाही की जा सकती है । यदि सर्किट (चक्रमी) न्यायालय होता तो मुझे कोई आपत्ति न होती क्योंकि उसमें दोहरा खर्च न उठाना पड़ता । परन्तु अलग बेंच बना देने से तो खर्च दुगना हो जायेगा । उच्च न्यायालय की सारी व्यवस्था वहां भी करनी पड़ेगी । मैं पूछता हूं कि क्या इतना छोटा राज्य यह सब खर्च सहन कर सकेगा ?

इस बात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये कि जो लोग मुकद्दमा लड़ते हैं, साधारणतः अपील के मामलों में एक या दो बार से अधिक उच्च न्यायालयों में नहीं जाते हैं अधिकतर उनका काम उनका वकील ही करता है । इसलिये यह कहना कि वहां

[श्री ए० एम० टामस]

के लोग इस नयी व्यवस्था को पसन्द करेंगे ठीक नहीं है ।

पहले कोचीन उच्च न्यायालय में अपील की अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं हुआ करती थी मगर त्रावणकोर उच्च न्यायालय में यही ६ वर्ष थी । परन्तु जब से इन दोनों उच्च न्यायालयों को मिला दिया गया है तब से साधारणतः दो वर्ष में अपील निबटा दी जाती है । यदि इन को अलग अलग कर दिया गया तो सम्भव है फिर देर लगने लगे । इसके अलावा एक ही राज्य में दो उच्च न्यायालयों के नियम लागू होने लगेंगे । दूसरे, केवल दो ज़िलों के लिये तीन न्यायाधीश होंगे जब कि आठ ज़िलों का काम करने के लिये केवल पांच ही न्यायाधीश होंगे । क्या सरकार न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का विचार रखती है ? मगर यदि ऐसा होता है तो बेचारे करदाताओं को ही यह बोझ उठाना पड़ेगा ।

उच्च न्यायालय का विभाजन कर देने से अधीनस्थ न्यायालयों पर भी इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा । मेरे विचार से यदि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एक ही स्थान पर रहें तो इसका अधीनस्थ न्यायालयों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा ।

मेरे विचार से इस विधेयक के सम्बन्ध में इतनी जल्दी नहीं की जानी चाहिये । इस पर ध्यानपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है । केन्द्र को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि अन्य राज्य भी इसी तरह की मांग कर सकते हैं और इससे गड़बड़ी उत्पन्न हो सकती है । इससे राष्ट्रीय एकता पर भी प्रभाव पड़ सकता है । मेरा अन्तिम निवेदन है कि इस विधेयक को उस समय तक के लिये उठा रखा जाये जब तक कि सीमा आयोग अपनी रिपोर्ट नहीं दे देता है तथा सरकार न्यायिक सुधार विधेयक के कार्यान्वित किये जाने के परिणामों को नहीं देख लेती है ।

श्री पुन्नूस : मैं पूछना चाहता हूं कि इस विधेयक को प्रस्तुत करने की आवश्यकता क्या है ? स्पष्टतः यह मालूम पड़ता है कि कांग्रेस नेताओं ने विशेषकर, त्रावणकोर-कोचीन राज्य के मुख्य मंत्री ने लोगों को यह आश्वासन दे दिया था कि उच्च न्यायालय का विभाजन कर दिया जायेगा तथा एक बेंच त्रिवेन्द्रम में बना दी जायेगी । यह तो एक प्रकार की राजनीतिक चाल है । देखा जाये तो इससे लोगों का भला होगा या नहीं इस पर कभी विचार ही नहीं किया गया है । लोगों ने यह कभी नहीं चाहा था कि उच्च न्यायालय का विभाजन किया जाये ।

जब सामान्य निर्वाचन होने ही जा रहे हैं तो इस विधेयक के सम्बन्ध में इतनी जल्दी करने की क्या आवश्यकता है ? परन्तु एक बात है जिसका मैं विशेष रूप से उल्लेख कर देना चाहता हूं और वह यह कि अब इस उच्च न्यायालय वाले मामले ने काफ़ी ज़ोर पकड़ लिया है और यदि यह पारित न किया गया तो त्रिवेन्द्रम के लोगों में क्षोभ फैल जायेगा । अतएव, इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

कुमारी एनी मस्करीन : मुझे प्रसन्नता है कि यह बेंच मेरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थापित की जायेगी । दक्षिण त्रावनकोर की तथा मेरे निर्वाचन क्षेत्र की जनता, इस विधेयक के पास होने की बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही है । क्योंकि जनता आशा करती है कि उसे न्याय प्राप्त करने में जो कष्ट होते हैं तथा जो कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं तथा जो विलम्ब होता है उस सबसे उसे इस विधेयक द्वारा छुटकारा मिल जायगा । मैं इस विधेयक का निसंकोच रूप से समर्थन करती हूं ।

न्यायालय का मान इसी में है कि साधारण जनता के लिये शीघ्र से शीघ्र तथा बिना विशेष कष्ट के न्याय प्राप्त करना सुलभ हो। और मैं आशा करती हूं कि इस विधेयक के कार्यान्वित होने पर ऐसा ही होगा।

मेरा उन व्यक्तियों से मतभेद है जो यह कहते हैं कि जनता का एक बड़ा भाग इस विधेयक के विरुद्ध है। संविलियन के बाद से दक्षिण त्रावणकोर की जनता को, न्याय प्राप्त करने के लिये एरणाकुलम् जाना पड़ता है जिसके कारण उन्हें बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है क्योंकि दक्षिण त्रावनकोर तथा एरणाकुलम के मध्य कोई रेल मार्ग नहीं है। मैं बीस वर्ष के अनुभव से कह सकती हूं कि त्रावणकोर की कांग्रेस हाई कमान ने दक्षिण के तामिलों के साथ अन्याय किया है, इसीलिए वे भाषावार प्रान्तों की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आरम्भ से ही उनके साथ अन्याय किया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। त्रावनकोर के कांग्रेसियों में उन्हें तनिक भी विश्वास नहीं है। उन्होंने त्रावनकोर के दक्षिणी निवासियों की ओर यही विचार करके कि वे तामिल हैं कोई स्थान नहीं दिया है। तामिल मलयालम प्रश्न को उठाने वाले भी त्रावनकोर के प्रधान कांग्रेस जन ही हैं।

मैं इस विधेयक को पुर: स्थापित करने के लिये माननीय गृहकार्य मंत्री को धन्यवाद देती हूं।

श्री एन० सी० चटर्जी : सभापति महोदय, श्रीमान्, त्रावनकोर के अनेक व्यक्तियों के पश्चात् अब मैं इस विधेयक के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। मैं माननीय गृह-कार्य मंत्री से इस बात का आश्वासन प्राप्त करना चाहता हूं, कि त्रावनकोर-कोचीन उच्च न्यायालय के विधान जीवी संघ के सभापति द्वारा भारत के प्रधान मंत्री को दिये गये ज्ञापन में जो आशंकायें प्रकट की गई हैं, वे असत्य तथा निराधार हैं।

मेरे माननीय मित्रों का कहना ठीक है कि कोचीन उच्च न्यायालय का आज बड़ा मान है। ऐसा उच्च न्यायालय जिसके पास दो वर्ष से पुराना कोई मुकद्दमा नहीं है। वास्तव में प्रशंसा के योग्य है। संविलियन के पश्चात् भी त्रावनकोर-कोचीन उच्च न्यायालय ने अपनी प्रशंसा को कम नहीं होने दिया है। भाग 'ख' में के राज्यों के किसी भी उच्च-न्यायालय से, त्रावनकोर-कोचीन का यह उच्च न्यायालय किसी प्रकार कम प्रशंसा का अधिकारी नहीं है।

त्रावनकोर-कोचीन के एक बहुत बड़े पुनर्वाद के सम्बन्ध में, त्रावनकोर के बहुत से वकीलों से मुझे सर्वोच्च न्यायालय में इस विषय पर बात करने का अवसर मिला था। उन लोगों का विचार था कि इस विधेयक के पीछे कोई राजनीतिक रहस्य है। माननीय गृह-कार्य मंत्री से मैं इस सम्बन्ध में आश्वासन चाहता हूं कि इस विधेयक के पीछे कोई राजनीतिक चाल नहीं है। त्रावनकोर-कोचीन उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश भी इसके विरुद्ध हैं। मैं माननीय गृह-कार्य मंत्री से पूछना चाहता हूं कि उनके विरोध के क्या कारण हैं?

संविलियन के समय बहुत सोच विचार के पश्चात् यह निर्णय किया गया था कि राजनीतिक राजधानी त्रिवेन्द्रम में रहेगी परन्तु न्यायिक राजधानी, अर्थात् उच्च न्यायालय, एरणाकुलम् में रहेगा। अब इसके विपरीत कार्य करने के लिये ठोस तर्क होने चाहियें। मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि उस उच्च न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश इसलिये उसका विरोध करते हैं कि इस प्रकार उनके स्तर में कोई कमी हो रही है। उच्च न्यायालय ने इसका विरोध करने के जो कारण बताये हों, मैं चाहता हूं कि वह सदन

[श्री एन० सी० चटर्जी]

को भी बताये जावें। एरणाकुलम् में एक व्याख्यान देते हुए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश, पातञ्जलि शास्त्री ने, इस प्रकार के विभाजन का, विरोध किया है।

हम सभी, जिन्हें न्यायालय के कार्य का अनुभव प्राप्त है, जानते हैं। कि एक छोटे से न्यायालय के कार्य का विभाजन उचित नहीं है। बम्बई तथा कलकत्ता के जैसे उच्च न्यायालय यदि अपनी एक डिवीजन बेंच अण्डमान जैसे स्थान में भेज दें तो उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

अभी भारत के प्रधान न्यायाधीशों का एक सम्मेलन हुआ था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस सम्मेलन में इस प्रश्न पर विचार किया गया था ? यदि हां, तो उन्होंने क्या निर्णय किया ? यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है। क्या भारत के प्रधान न्यायाधीश से इस विषय पर परामर्श किया गया था ? अभी अभी उन्होंने त्रावनकोर-कोचीन का दौरा किया है। उन्होंने हर प्रकार के व्यक्तियों से भेंट की हैं। इस लिये उनका भी मत जानना आवश्यक है।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह तथ्य है कि यदि यह विधेयक पारित हो जायगा तो इससे केवल २७ लाख व्यक्तियों को लाभ होगा तथा एरणाकुलम् में उच्च न्यायालय होने से ४७,०६,८६८ व्यक्तियों को लाभ होगा ?

एरणाकुलम् विधान जीवी संघ के सभी सदस्य कोचीन के नहीं हैं। उनका कहना है कि जिसे अभी तक त्रावनकोर कहते थे उसके सात 'ज़िला न्यायालयों' में से चार त्रिवेन्द्रम की अपेक्षा एरणाकुलम से अधिक निकट हैं। यदि यह सत्य है तो फिर ऐसे परिवर्तन करने का क्या कारण है ? क्या उच्च न्यायालय ने इस विधेयक का विरोध करते समय, एरणाकुलम् की औद्योगिक स्थिति तथा अन्य आवश्यक बातों पर विचार किया है ? मैं यह सब बातें इसलिये जानना चाहता हूं क्योंकि मेरा विचार है कि इस विधेयक पर दलगत भावना से विचार नहीं किया जाना चाहिये और न किसी राजनीतिक चाल के लिये इस विधेयक का प्रयोग किया जाना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि माननीय गृह-कार्य मंत्री हमें कुछ ठोस तथ्य तथा तर्क देंगे जिन के बल पर हम इस विधेयक को पास करें।

श्री वैलायुधन : त्रावनकोर की विधान सभा में तथा त्रावनकोर की जनता में इस विषय पर दो वर्ष से चर्चा हो रही है और मैं आशा करता था कि यह विधेयक बहुत पहले आयेगा। मैं इस विधेयक का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं।

न्यायाधीशों या वकीलों का मत कुछ भी हो, त्रावनकोर-कोचीन राज्य में इस विधेयक के बहुत से समर्थक हैं। न्यायाधीशों का कार्य विधि बनाना नहीं है वरन् विधि के अनुसार न्याय करना है। न्यायालय कहां पर स्थित हो यह निर्णय करना कार्यपालिका का कार्य है। इस सम्बन्ध में न्यायाधीशों का मत लेने का मैं विरोधी हूं।

मेरा विचार है कि यदि त्रिवेन्द्रम में, जो सदियों से त्रावनकोर की राजधानी रहा है; उच्च न्यायालय की एक बेंच बना दी जाय तो कोचीन की जनता द्वारा इस का बड़ा सत्कार किया जायगा। उच्च न्यायालय फिर भी कोचीन में ही रहेगा। त्रिवेन्द्रम में दो तीन न्यायाधीश बैठेंगे। उन का अधिकार केवल उसी क्षेत्र के मामलों तक सीमित रहेगा। जनता इस विधेयक को पसन्द करेगी। हो सकता है कि वकील इस का विरोध करें। सच बात तो यह है कि मैं स्वयं वकीलों को अच्छा नहीं समझता हूं। प्रवर समिति की एक बैठक में एक बार हमें कुछ खण्डों पर

वाद विवाद करना था उसमें इन वकीलों के कारण एक महीने से भी अधिक का समय लग गया ।

जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है इस पर जनता की सुविधा के दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिये । इसलिये मैं ऐसा विधेयक पुरःस्थापित करने के लिये माननीय गृहकार्य मंत्री तथा त्रावनकोर-कोचीन सरकार को बधाई देता हूं । मेरा विचार है कि इस बेंच की अधिकार-सीमा में क्विलोन ज़िला भी सम्मिलित कर दिया जाना चाहिये क्योंकि हमारे पास कितने ही अभ्यावेदन इस आशय के आये हैं । त्रिवेन्द्रम से क्विलोन की दूरी ४२ मील है परन्तु क्विलोन से एरणाकुलम की दूरी बहुत अधिक है । यात्रा के कोई साधन भी नहीं हैं । मेरा विचार है कि क्विलोन ज़िले के कुछ ताल्लुके इस बेंच की अधिकार सीमा में सम्मिलित कर लिये जायें ।

श्री अच्युतन : गृह-कार्य मंत्री के पास सदन के समक्ष ऐसा विधेयक रखने के पर्याप्त कारण होने चाहियें । उच्च न्यायालय किन स्थानों में स्थापित किये जायें, यदि इस सम्बन्ध में, सरकार ने यह नीति ग्रहण की है, कि जो न्याय कराना चाहता है, न्यायालय उस के घर से निकटतम स्थान पर हो, तो मैं इससे सहमत हूं । पिछली बार जब यही बात मैंने सर्वोच्च न्यायालय की बेंचों के सम्बन्ध में कही थी तो मुझे उत्तर मिला था कि जब ऐसा कोई आवेदन प्राप्त होगा तो इस प्रश्न पर विचार किया जायगा । संविधान के अनुच्छेद १३० में इसका उपबन्ध किया गया है । परन्तु अन्तर यह है कि उसमें इस बात का कोई उपबन्ध नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय की बेंचें अन्य स्थानों में स्थापित की जा सकें । सर्वोच्च न्यायालय स्वयं दिल्ली, बम्बई, मद्रास या अन्य किसी स्थान में बैठ सकता है । इसलिये यदि सरकार ने इस नीति को स्वीकार कर लिया है तो माननीय गृह-कार्य मंत्री को आज ही उसकी घोषणा कर देनी चाहिये ।

इस विधेयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि जब त्रावनकोर-कोचीन विधान सभा में यह प्रश्न उठ चुका था तो सरकार द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि वह जहां तक सम्भव हो सकेगा इस मामले में अगुवाई करेगी । इस के अस्तित्व के विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है । यदि सरकार इस के अस्तित्व को बनाये रखना चाहती तो विधान सभा को भंग न करती ।

कोचीन तथा त्रावनकोर के विलीनीकरण के समय इस विषय पर विस्तारपूर्वक विचार किया गया था । उस समय वहां की जनता को सन्तुष्ट करने के लिये यह निश्चय किया गया था कि फिलहाल राजनीतिक राजधानी त्रिवेन्द्रम में होगी तथा न्यायिक राजधानी एरणाकुलम में क्योंकि एरणाकुलम उस समय एक प्रगति शील नगर था । लोगों ने कहा था कि यदि राजधानी एरणाकुलम से हटा कर त्रिवेन्द्रम ले जांयी जायेगी, तो उस नगर का सारा महत्व जाता रहेगा । अतः हम लोगों ने कहा था कि न्यायिक राजधानी एरणाकुलम् को हस्तान्तरित कर दी जाये और यही कारण था कि वहां की विधान सभा में आवश्यक नियम बनाये गये थे ।

अभी चार वर्ष भी पूरे नहीं हुए हैं कि लोग हम से पूछते हैं कि क्या आप का यह कहना है कि त्रिवेन्द्रम में एक डिवीज़न बेंच होनी चाहिये । इस में हमारा क्या दोष है ? त्रावनकोर एक बड़ा राज्य है जो कोचीन जैसे छोटे राज्य को निगल सकता है । ऐसी तुच्छ भावनायें उत्पन्न हो रही हैं यही कठिनाई है ।

मुझे केवल यह कहना है कि प्रत्येक अवस्था में उचित निर्णय होना चाहिये । न्यायाधीशों के ऊपर राजनीतिक अथवा अन्य प्रभावों

[श्री अच्युतन]

का कोई भी महत्व नहीं होना चाहिये । यदि उन में अनुशासन नहीं पाया जाता है, तो वे उस स्थान के योग्य नहीं समझे जा सकते हैं लोगों का कहना है कि चूंकि त्रावनकोर का बहुमत ह, अतः यह चीज़ संसद् में लाई गई है । किन्तु बात ऐसी नहीं है ।

सब से आवश्यक बात जो सरकार को करनी चाहिये वह है उच्च न्यायालयों अथवा डिवीजन बेंचों की कई केन्द्रों में नियमित स्थापना जिस से कि जन साधारण को न्याय के लिये सैंकड़ों मील की यात्रा तथा व्यर्थ का व्यय न करना पड़े । सरकार अंग्रेज़ों की नीति में यह सुधार कर सकती है कि जनता को कई कई अदालतों में चक्कर न काटना पड़े, जिस का परिणाम यह होगा कि लोगों में अदालत न जाने की भावना उत्पन्न होगी । कई देशों में इसी प्रकार की न्याय व्यवस्था है भी । इस के अतिरिक्त दो दो जगह बेंचें होने से दोहरा व्यय होता है । इस में भी सुधार करने की आवश्यकता है । दक्षिण त्रावनकोर के लोगों को इसी में सुविधा रहेगी यदि त्रिवेन्द्रम में एक बेंच हो जाय तथा आस पास का क्षेत्र भी उसी के अधीन कर दिया जाये । अतः यह प्रस्ताव स्वीकार किया ही जाना चाहिये कि जनता को सुविधापूर्वक तथा यथा सम्भव कम से कम व्यय में उचित न्याय व्यवस्था प्राप्त हो सके । ऐसी व्यवस्था सारे ही देश में की जानी चाहिये केवल किसी एक राज्य विशेष में नहीं । यदि इस बात का ध्यान रख कर कार्य किया जायेगा तो किसी भी राज्य को किसी प्रकार की शिकायत करने का अवसर नहीं मिलेगा ।

कोचीन के लोगों को यह शिकायत न रहे कि उन की महत्ता कम हो गई है अथवा त्रावनकोर के साथ पक्षपात किया जा रहा है, इस कारण सरकार को यह चाहिये कि एरणाकुलम में भी उतने ही मामलों का निबटारा किया जाय:जितनों का त्रिवेन्द्रम में हो। कभी कभी उच्च न्यायालयों में बहुत समय लगता है । सरकार को चाहिये कि वह मामलों के यथा सम्भव शीघ्र निबटारे की व्यवस्था कर दे । जहां तक मुकदमेबाज़ का सम्बन्ध है उसे इस से कोई मलतब नहों कि डिवीजन बेंच आदि कहां पर स्थित हैं वरन् वह तो केवल कम से कम व्यय, विलम्ब तथा कठिनाई के न्याय चाहता है । मैं इस से सहमत नहीं किन्तु विस्तृत नीति के प्रश्न पर मैं सरकार के इस प्रस्ताव से सहमत हूं कि मामलों का निर्णय इन दो स्थानों पर हुआ करे ।

श्री दामोदर मेनन : मैं इस विधेयक के विरोध में हूं । यदि हम ९२,८१,००० लोगों के लिये दो उच्च न्यायालय चाहते हैं तो सारे देश को ध्यान में रखते हुए न जाने कितने उच्च न्यायालयों की आवश्यकता होगी तथा क्या सरकार इतना व्यय सहन कर सकेगी ? यदि प्रत्येक सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय चाहता है तो क्या हम पांच सौ उच्च न्यायालयों की व्यवस्था कर सकते हैं ?

एक माननीय सदस्य : हम इस का स्वागत करते हैं ।

श्री दामोदर मेनन : मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री तर्क के लिये भला ही ऐसा कह दें किन्तु वास्तव में उन का तात्पर्य यह नहीं होगा । **(अन्तर्बाधा)**

डा० काटजू : मैं सदन में सदा गम्भीर रहता हूं ।

श्री दामोदर मेनन : यदि ऐसा है तो मैं उन से सहमत हूं । हमें तो जनता के लिये न्याय को सुलभ एवं सस्ता बनाना है तथा उस का विकेन्द्रीकरण करना है । हमें यथा-

सम्भव प्रशासनिक व्यय भी घटाना है। इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री ने वचन भी दिया था कि शीघ्र ही इस प्रकार का एक विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा।

अब हमें देखना यह है कि इस प्रकार का कार्य कहां तक किया गया है तथा उन में क्या सुधार किये गये हैं? मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसे विधेयक की अवविलम्बनीयता क्या है ?

श्री एस० एस० मोरे : चुनाव निकट आते जा रहे हैं।

श्री दामोदर मेनन : जी हां, सम्भवतः अगले चुनाव जीतने के लिये ही ऐसे सुधारों की ओर कुछ ध्यान दिया जाये किन्तु माननीय गृह-कार्य मंत्री जैसे व्यक्ति से मैं इस प्रकार की आशा नहीं करता था। इसी कारण मैं ऐसे विधेयक का विरोधी हूं। और ऐसे विधेयक की जिस से न्याय सम्बन्धी सुधारों में संकुचित राजनीतिक विचारधारा पनपे, मैं देश में कोई आवश्यकता भी नहीं समझता।

आप कोचीन के निवासियों के साथ अन्याय कर रहे हैं। उन्हों ने राजनैतिक कार्य क्षेत्र को त्रिवेन्द्रम में रखने के लिये जिस त्याग का परिचय दिया था, तो उस के लिये आप क्या कर रहे हैं? यदि आप न्यायिक राजधानी का विभाजन करने जा रहे हैं, तो त्रावनकोर-कोचीन की राजनैतिक राजधानी का भी विभाजन आप को करना चाहिये। मुझे आश्चर्य है कि माननीय गृह-कार्य मंत्री जैसे योग्य व्यक्ति ऐसा हास्यास्पद कार्य किस प्रकार कर रहे हैं ?

श्री सी० आर० इय्यूनी : मुझे खेद है कि कोचीन निवासी होने के कारण मुझे इस विधेयक का विरोध करना पड़ रहा है।

श्री एस०एस० मोरे : कांग्रेसी नहीं ?

श्री सी० आर० इय्यूनी : उस से विधेयक का सम्बन्ध नहीं है। कई घंटों के विवाद के पश्चात् यह निश्चय हुआ था कि राजधानी त्रिवेन्द्रम में रहे तथा उच्च न्यायालय एरणाकुलम में हो। वास्तव में हजारों लाखों व्यक्तियों को अनेक कार्यों के लिये राजधानी तक जाना होगा किन्तु उच्च न्यायालय कितने व्यक्तियों को जाना पड़ेगा? सम्भवतः हजार या दस हजार लोगों में एक व्यक्ति को। वह भी स्वयं जाये बिना ऐडवोकेट के द्वारा कभी कभी कार्य करवा सकता है। किन्तु दूसरी ओर कोचीन अथवा कोचीन के सुदूर उत्तरी भाग से यदि कोई त्रिवेन्द्रम जायेगा तो उस को कितना धन व्यय करना पड़ेगा? इस प्रकार छोटे से छोटे कार्य के लिये भी त्रिवेन्द्रम जाये बिना काम नहीं चल सकता।

मुझे कहना यह है कि जो भी निर्णय हो उस को स्वीकार करना ही पड़ेगा। जब राजप्रमुखों को समाप्त कर देने तथा निजी थैली के सम्बन्ध में प्रश्न उठा था तो माननीय मंत्री ने कहा था कि हम ने उन से एक प्रसंविदा कर लिया है, जिस से हम पीछे नहीं हट सकते।

दूसरी बात यह है कि व्यवहारिक रूप से दो उच्च न्यायालय हो जायेंगे। यदि त्रिवेन्द्रम में डिवीजन बेंच स्थापित की जाती है तो वहां एक रजिस्ट्रार होना चाहिये तथा उस के नीचे के सभी अफसर भी वहां रहने चाहियें। त्रावनकोर-कोचीन का कुल राजस्व १६ करोड़ रुपये से कुछ अधिक है। इस के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने २½ करोड़ रुपये से अधिक सहायता दी है। यह तो दशा है और राज्य की आय में से केवल एक जिले की जनता को सहायता देने के लिये त्रिवेन्द्रम में दूसरा उच्च न्यायालय स्थापित किया जाने वाला है।

श्री पुन्नूस : एक नहीं।

श्री सी० आर० इय्यूनी : उस ज़िले के अधिकतर निवासी तामिल हैं। उन का कहना

[श्री सी० आर० इय्यूनी]

है कि हम त्रावनकोर-कोचीन राज्य में नहीं आना चाहते हैं। वे मद्रास में जाना चाहते हैं। माननीय प्रधान मंत्री ने बताया कि वह राज्यों के पुनर्संगठन तथा पुर्नवितरण के लिये एक आयोग की नियुक्ति करने जा रहे हैं। यदि ऐसा है तो वह भाग मद्रास में चला जायगा। तो फिर उच्च न्यायालय की आवश्यकता ही क्या रह गई ?

चाहे जो कुछ हो किन्तु सरकार को इस विधेयक को यहां प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं थी। यह निश्चय है। यदि त्रावनकोर-कोचीन की ओर से जोर डाला जाता तब तो भले ही यहां यह विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता था वैसे नहीं। उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण से भी यही ज्ञात होता है। यदि यह पारित भी हो जाता है तो भी आयोग के प्रतिवेदन तक प्रतीक्षा करनी ही पड़ेगी। दूसरे सदन में हो सकता है कि कोई एसा विधेयक प्रस्तुत किया जाय, जिसे विवशता के कारण इस सदन को भी पारित करना पड़े। यदि केवल यही कमी है, तो मैं पूर्णतया सन्तुष्ट हूं। मैं ने प्रधान मंत्री के पास अनेकों अपीलें आवेदनपत्रों के उत्तर न प्राप्त होने तथा विलम्ब होने के सम्बन्ध में की हैं जो राजधानी के परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों के परिणामस्वरूप हुई हैं।

अतः दोनों राज्यों के बीच वैमनस्य उत्पन्न होने के अतिरिक्त एकता एवं भिन्नता की भावना स्थापित करने की आवश्यकता है। हां मैं यह अवश्य कहूंगा कि त्रावनकोर तथा कोचीन के एकीकरण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कोचीन नगर अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। उस के पास यथेष्ट भू-भाग तथा जनसंख्या है। राजस्व भी ४ करोड़ रुपये से अधिक उस समय ही था। १७½ लाख लोगों के लिये ४ करोड़ रुपये में समुचित व्यवस्था की जा सकती है। प्रशासन के लिये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वह सर्वोत्तम था। यह सरदार पटेल ही थे जिन के शब्द कानून थे इसीलिये विलीनीकरण हुआ था और जिस का परिणाम आज हमारे समक्ष है। मैं माननीय गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि यदि यह विधेयक पारित हो जाता है तो उस अधिसूचना का इन उपबन्धों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चित्तौड़): श्रीमान्, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। साधारणतः मैं उच्च न्यायालयों का विकेन्द्रीकरण करने की नीति से सहमत होता परन्तु दुर्भाग्य यह है कि जहां तक राज्यों का सम्बन्ध ह उन का दृष्टिकोण संकुचित तथा पक्षपातपूर्ण ह और हमारी सरकार इस दृष्टिकोण को बनाये रखना चाहती है। उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में जो कारण बताये गये हैं वह त्रावणकोर-कोचीन के प्रति बम्बई राज्य के बारे में ज्यादा सच हैं? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि में केवल एक उच्च न्यायालय है। परन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि मध्य भारत अथवा राजस्थान जैसे दूसरे राज्यों में कुछ और ही हो रहा है। मध्य भारत में ग्वालियर तथा इन्दौर में दो उच्च न्यायालय हैं परन्तु संघ सरकार ने इस बात को दूर करने के लिये कुछ नहीं किया है। राजस्थान में १९५१ में बीकानेर, जोधपुर, जयपुर तथा उदयपुर में चार उच्च न्यायालय थे। क्या यह सरकार उस समय सोयी पड़ी थी जबकि राजस्थान सरकार ने राजनैतिक कारणों वश अकस्मात ही उदयपुर का उच्च न्यायालय बन्द करने का विनिश्चय किया। उस समय जब कि राजस्थान के राजप्रमुख ने एक संघ विषय में हस्तक्षेप किया तो यह संघ सरकार कहां थी।

मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि समानरूपक कानूनी संरक्षण दिया जाना है तो यह संरक्षण त्रावनकोर-कोचीन तथा राजस्थान दोनों को समान रूप से दिया जाना चाहिये। यदि आप त्रिवेन्द्रम में एक उच्च न्यायालय रहने देना चाहते हैं तो आप ने उदयपुर की जनता को क्यों यह सुविधा प्राप्त करने से वंचित किया। मेरे कथन का अभिप्राय यह है कि आप के इस कर्त्तव्य का कोई उचित अथवा ईमानदारी का आधार नहीं है, केवल राजनैतिक दलबन्दी का जोर है। इसी कारण त्रिवेन्द्रम में एक पृथक् उच्च न्यायालय का आप उपबन्ध करना चाहते हैं और इसी कारण आप ने इन्दौर तथा ग्वालियर में उच्च न्यायालय के पृथक् पृथक् बेंच रखने की अनुमति दी है।

श्रीमान्, मैं कहना चाहता हूं कि इस मामले में संघ सरकार सद्भावना से काम नहीं कर रही है। त्रिवेन्द्रम एरणाकुलम् से केवल १३० मील दूर है। मैं नहीं समझता कि दो उच्च न्यायालय रखने की कोई आवश्यकता है। इस प्रकार जनता का परिश्रम से कमाया हुआ धन भी व्यय होगा। भाग 'ख' राज्यों में क्यों अन्तर रखा जाये? संघ सरकार का कर्त्तव्य है कि देश की जनता में एकता उत्पन्न करे परन्तु आप त्रावणकोर-कोचीन की जनता की एकता भंग कर रहे हैं। इस प्रकार जनता का विभाजन करके अपने अधिकार में रखने की नीति उचित नहीं।

डा० काटजू : सभापति महोदय, मैं मानता हूं कि इतनी उत्तेजना की आवश्यकता नहीं है। माननीय सदस्यों ने इस विधेयक के प्रस्तुत किये जाने के लिये सरकार पर सब प्रकार के राजनीतिक स्वार्थों का आरोप लगाया है। मेरा इतना ही निवेदन है कि विरोधी दल ने एसे राजनैतिक मामले रखे हैं, जो वास्तव में उत्पन्न नहीं होते हैं।

श्री पुन्नूस : विरोधी दल नहीं, अपितु आप के दल के सदस्यों ने ही।

डा० काटजू : आप बोलें या मैं बोलूं, परन्तु हमें यह बात स्पष्ट करनी चाहिये, क्योंकि पहले ही बहुत समय लिया जा चुका है। मैं महाराष्ट्र के अपने मित्र से अधिक सज्जनता के व्यवहार की आशा करता हूं, क्योंकि वे वयोवृद्ध हैं।

श्री एस० एस० मोरे : यह मेरी आयु के प्रति अपमान है,

सभापति महोदय : उनको इन्हें क्यों वृद्ध न कह कर शिशु समान कहना चाहिए था?

श्री एस० एस० मोरे : तब तो मैं इस सदन का सदस्य बनने से भी अनर्ह हो जाऊंगा।

डा० काटजू : विवाद से सम्बन्ध न रखने वाली बहुत सी बातें कही गई हैं। कलकत्ता वाले मेरे मित्र ने बड़े शांत भाव से बहुत से प्रश्न रखे, और बहुत सी बातों के सम्बन्ध में जानकारी पूछी तथा इस विधेयक से वास्तव में क्या आशय है यह भी पूछा। एक वकील के नाते मैं कहता हूं कि "चक्रपी न्यायालय में क्या दोष हैं"? आप न्यायिक सुधार की मांग करते हैं और समस्त सदन कहेगा कि न्याय सस्ता और कम खर्च वाला होना चाहिए और माननीय सदस्या के शब्दों में, न्याय को मुकद्दमे बाज के द्वार पर पहुंचना चाहिए। श्री चटर्जी ने पूछा कि उच्च न्यायलय का इसके सम्बन्ध में क्या मत था। उच्च न्यायालय ने कहा था, कि उसके मतानुसार विभेद नहीं होना चाहिए। यह मानने योग्य बात है।

श्री पुन्नस : क्या मैं स्पष्टीकरण पूछ सकता हूं।

सभापति महोदय : इस समय नहीं ।

डा० काटजू : कठिनाई यह है कि जब हम उच्च न्यायालय के मान और पद की बात करते हैं, तो ऐसा दिखाई देता है कि हम ऐसी कल्पना करते हैं कि यदि एक भवन में २० न्यायाधीश पृथक् २ कक्षों में बैठे हैं तब वे सभी न्यायाधीश एक विवाद विशेष निर्णय के लिये अपने न्यायिक मत प्रस्तुत करते हैं—यह अमरीका की पद्धति है । हमारी पद्धति बिल्कुल भिन्न है । यदि कलकत्ता में २० और प्रयाग में १६ न्यायाधीश हैं, और मेरा मामला वहां जाता है, तो उसे एक अथवा दो न्यायाधीश ही सुनेंगे । मेरे लिये यह बात कोई महत्व नहीं रखती कि उस भवन में १० अन्य न्यायालय हैं, और बीस अन्य न्यायाधीश बीस अन्य मामलों की सुनवाई कर रहे हैं । यदि मेरे मामले को वे सब सुनें, तो मैं कहूंगा कि उनकी संख्या न घटाओ । एक सदस्य ने कहा कि न्यायाधीशों की संख्या कम करने से उच्च न्यायालय का मान और प्रतिष्ठा कम हो जायेगी। त्रावनकोर उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और सात न्यायाधीश थे और यदि उन में से एक या दो को उस स्थान की अपेक्षा त्रिविन्द्रम में बैठाया जाय, तो उच्च न्यायालय का मान कम हो जायेगा, मेरे मित्र ऐसा कहते हैं । उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने केवल पांच न्यायाधीशों वाले किसी उच्च न्यायलय का होना सुना तक नहीं । मैं कहता हूं कि उड़ीसा में केवल चार न्यायधीश हैं, असाम में केवल तीन, और पेप्सू में चार न्यायधीश हैं, और मैं समझता हूं कि और कई स्थानों पर भी ऐसी ही बात है । भाग ग में के राज्यों में केवल एक न्यायिक आयुक्त होता है, जो अपने राज्य के मुकद्दमों के विषय में समस्त कलकत्ता उच्च न्यायालय के समान होता है । अतः मेरा कहना यही है कि विभाजन का यह प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है । वकील होने के नाते मैं कहता हूं कि यदि मेरे लिये भारत भर में सर्किट (चक्रमी) न्यायालय स्थापित करना संभव होता, तो मैं प्रसन्नता से ऐसा करता, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुकद्दमेबाज को इससे कितना लाभ होता है । मेरठ में रहने वाले के लिये प्रयाग जाना, और गोहाटी में रहने वाले के लिये कलकत्ता जाना, कितना कठिन है । कलकत्ता के वकीलों के दृष्टिकोण का और न्यायाधीशों के दृष्टिकोण का प्रश्न महत्वपूर्ण है, परन्तु बेचारे मुकदमेबाज के लिये यह बहुत मंहगा है । पहले जिसे ब्रिटिश भारत कहा जाता था उस के कुछ विभागों में कोई भवन नहीं थे । मैं श्री चटर्जी को उदाहरण दूंगा । मान लीजिये कि कोई कहे कि नदिया जिले में कृष्ण नगर में सर्किट न्यायालय होना चाहिये, परन्तु प्रश्न उठता है कि वहां अपेक्षित भवन नहीं हैं । न्यायाधीश कहां रहें और कहां बैठें । इसलिये आप को पहले भौतिक बातों का विचार करना होगा और दूसरा प्रश्न यह है कि न्यायाधीश वहां कितनी देर रहेगा और नदिया जिले में कितने मामलों का निर्णय करना है । यही बात सब स्थानों पर लागू होती है । दूसरी ओर भाग 'ख' में के राज्यों में हो रही चर्चा में मैं ने श्री त्रिवेदी के भाषण में अन्तरायण किया था जब उन्हों ने यह कहा कि जावरा में एक उच्च न्यायालय था । उस नगर की जनसंख्या २५ हजार है और समस्त राज्य की एक लाख दस हज़ार । परन्तु वहां नवाब ने एक उच्च न्यायालय स्थापित कर रखा था और उस के लिये एक भवन तक बनाया गया था जहां कि उच्चतम न्यायालय का डिवीजन बैंच भी बड़ी सुविधा के साथ बैठ सकता है । जोधपुर जैसा उच्च न्यायालय का भवन मैं ने कहीं नहीं देखा । यही बात बीकानेर और जयपुर की है ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : जयपुर में नहीं है ।

डा० काटजू : तो मैं इसे वापिस लेता हूं। त्रिवेन्द्रम और कोचीन में उच्च न्यायालय हैं । त्रिवेन्द्रम का भवन कोचीन के भवन से थोड़ा अधिक सुन्दर है । जब वहां भवन पहले से ही है, तो जिस खर्च की बात कही जा रही है, वह नहीं होगा । न्यायाधीशों के रहने के लिये बहुत स्थान हैं । दिल्ली में यह भावना बड़े ज़ोरों पर थी कि वे पंजाब [illegible] क्यों जायें। पहले वहां उच्च न्यायालय शिमला में था, अब चंडीगढ़ में है । यहां अधिक अन्तर की बात इतनी बड़ी नहीं है । मेरे मित्र इस बात पर जोर दे रहे थे अर्थात् त्रिवेन्द्रम से एरणाकुलम का अन्तर १३३ मील है और एरणाकुलम से नागरकोहल का अन्तर १७५ मील है, और परिणाम यह हुआ कि त्रावनकोर जिला न्यायालयों के हटान से २७ लाख व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ा । क्विलोन के विषय में भी कुछ संशोधन आ रहे हैं । अब हम त्रिवेन्द्रम ज़िले की बात लेते हैं । उस जिले से सम्बन्धित ताल्लुकों के लोग एरणाकुलम जाने के लिये त्रिवेन्द्रम हो कर जाते हैं । मैं नहीं समझता कि क्या न्यायाधीशों को विश्राम भत्ता मिलेगा या नहीं, परन्तु उन को वेतन तो वही मिलेगा । आप स्मरण रखिये कि विधेयक में न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या का कोई निर्देश नहीं है । यह बात उच्चतम न्यायाधीश पर छोड़ दी गई है कि वे इस बात का निर्णय करें कि अभी कितने न्यायाधीश भेजे जाने चाहियें । यदि काम अधिक न हो तो वे एक न्यायाधीश को भेज सकते हैं, और यदि काम अधिक है, तो दो को ।

अब मान और प्रतिष्ठा और खर्च के प्रश्न के सम्बन्ध में यदि कोई ऐसा मामला जिस का निर्णय चार या पांच न्यायाधीशों की पूर्ण बेंच द्वारा किया जाना है, तो उस मामले की सुनवाई एरणाकुलम स्थित न्यायालय द्वारा की जायेगी । मैं दलबन्दी के मामले से ऊपर उठ कर इतना निवेदन करता हूं कि मुझे उच्च न्यायालय का मान और प्रतिष्ठा इतनी ही प्यारी है जितना कि अपना जीवन। इस के साथ ही मैं यह भी कहूंगा कि यदि किसी राज्य सरकार के पास खर्च करने की सामर्थ्य है तो यह एक आदर्श व्यवस्था होगी कि दो या तीन न्यायाधीश स्थान स्थान पर जा कर मामलों को सुनें । यदि काम अधिक न हो, और भवन न हो तो ऐसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि तब यह बहुत ही असुविधाजनक कार्य होगा । अतः इस में कोई राजनैतिक दल बन्दी नहीं है । श्री चटर्जी के कथनानुसार त्रिवेन्द्रम जिले की स्थायी जनसंख्या २७ लाख है ।

श्री ए० एम० टामस : तो इस में क्विलोन भी सम्मिलित होगा । अकेला त्रिवेन्द्रम जिला उस से कहीं छोटा है ।

डा० काटजू : यह सब दक्षिणी छोर पर हैं । यदि वहां न्यायाधीश नियुक्त किये जायें और यदि वहां पर्याप्त काम हो, तो उच्च न्यायालय का मान कम नहीं होता है । उच्च न्यायालय अपने स्थान पर रहेगा । उच्च न्यायालय का मान तब कम होगा जब चार उच्च न्यायालय हों, और प्रत्येक उच्च न्यायालय विभिन्न मार्ग का अनुसरण करे। उदयपुर उच्च न्यायालय विधि के सम्बन्ध में एक दृष्टिकोण विशेष को अपना कर अपने ढंग से एक निर्णय दे, जैसा कि बम्बई उच्च न्यायालय करता, वह प्रयाग उच्च न्यायालय के निर्णयों को सुनता ह, परन्तु इस से सहमत नहीं होता । यदि वहां दो उच्च न्यायालय हों, एक त्रावनकोर में और दूसरा कोचीन में, और दोनों पृथक् पृथक् मार्गों पर चलें, तो समझना चाहिये कि उच्च न्यायालय टूट गया है और इस का मान घट गया है । परन्तु यहां उच्च न्यायालय एक ही है, और न्याया-

[डा० काटजू]

धीश बारी बारी से आयेंगे, और कोई भी स्थायी रूप से इस न्यायालय में नियुक्त नहीं किया जायेगा। श्री चटर्जी को याद होगा कि जब विभिन्न न्यायाधीश बारी बारी से पटना से कटक आया करते थे, तो लोग उड़ीसा जाया करते थे, यहां निर्णय त्रावनकोर-कोचीन उच्च न्यायालय का निर्णय होगा, और मुकद्दमे का निर्णय भी उसी के नाम से दिया जायगा। एक मुख्य न्यायाधीश होगा और एक प्रशासन कार्यालय। इस लिये अधीनस्थ सेवाओं के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय के मान का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

श्री मात्तन : क्या राज्य के उच्च न्यायालय से परामर्श लिया गया था ?

डा० काटजू : मेरा उन के मत से विभेद नहीं है । उस ने कहा था कि वह उच्च न्यायालय के विभाजन के पक्ष में नहीं था। वह न त्रिवेन्द्रम के और न एरणाकुलम के पक्ष में था परन्तु उस ने केवल एक मत ही अभिव्यक्त किया है। मुझे यह कहने का अधिकार है कि उच्च न्यायालय वहीं रहेगा और न्यायाधीश बारी बारी से जायेंगे। इंगलड में भी लगभग ५०० वर्षों से न्यायाधीश सर्किट में जा रहे हैं ।

श्री मात्तन : क्या माननीय मंत्री ने त्रावनकोर-कोचीन उच्च न्यायालय की सम्मति को पढ़ा है ?

डा० काटजू : मैं ने इस का एक उद्धरण देखा है, जिस से मैं समझता हूं कि वह उच्च न्यायालय के विभाजन के विरुद्ध है । मैं एक क्षण के लिये भी यह नहीं कहता कि विद्वान न्यायाधीशों को अपना मत बनान और उसे अभिव्यक्त करन का अधिकार नहीं है । मैं विनयपूर्वक कहना चाहता हूं कि सम्भवत: न्यायाधीश यह समझते थे कि दोनों उच्च न्यायालय एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होने वाले थे ।

श्री मात्तन : ऐसा कहना न्यायाधीशों के प्रति न्याय करना नहीं है कि उन का यह मत था कि दोनों उच्च न्यायालय पृथक हो जायेंगे ।

डा० काटजू : माननीय मित्र ने अभी उच्चतम न्यायालय के विषय में पूछा था। उच्चतम न्यायालय अपना कार्य करता है । प्रशासन सम्बन्धा मामलों में, मैं ऐसा नियम निर्धारित नहीं कर सकता कि राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार को उच्चतम न्यायालय के महान न्यायाधीशों के मत के आगे झुकना चाहिये । इस मामले में भारत के मुख्य न्यायाधिपति का मत नहीं पूछा गया था । यह पूर्णतया प्रशासनिक मामला है ।

श्री ए० एम० टामस : यदि यह प्रशासनिक मामला है, तो यह राज्य विधान के अन्तर्गत आयेगा ।

डा० काटजू : यह भी एक विधि सम्बंधी प्रश्न है । यह उच्च न्यायालय का पुनर्संगठन है । उच्च न्यायालय की परीक्षण नहीं की जायेगी। केवल उच्चन्यायालय के पुनर्संगठन के प्रश्न का लोक हित, और मुकदमे बाजों के हित आदि का विचार करते हुए परीक्षण किया जायेगा। यह ऐसा मामला नहीं है कि इस के लिये भारत के मुख्य न्यायाधिपति की सम्मति ज्ञात की जाये । निस्सन्देह मुख्य न्यायाधिपति का मत बहुत महत्वपूर्ण है, परन्तु आप उसे व्यक्त क्यों करते हैं। यहां विस्तृत विवाद हो रहा है और स्वार्थ तथा दल नीति का आरोप लगाया जा रहा है। क्या मेरे लिये भारत के मुख्य न्यायाधिपति का नाम बीच में लाना उचित है। मान लीजिये मैं ने भारत के मुख्य न्यायाधिपति के साथ परामर्श किया और वह मुझ से सहमत हुए। तब संभवतः माननीय

सदस्य कहेंगे कि भारत के मुख्य न्यायाधिपति को इस मामले में कुछ कहने का अधिकार नहीं है, अथवा वह गलती पर है, अथवा उन से परामर्श क्यों किया गया ।

श्री मात्तन : वे पहले ही अपनी राय दे चुके हैं ।

डा० काटजू : हमेशा अन्तर्बाधा नहीं करनी चाहिये ।

श्री मात्तन : जब माननीय मंत्री गलत बातें कहते हैं तब मुझे उन को सुधारना पड़ता है ।

डा० काटजू : मैं श्री चटर्जी की बात का उत्तर देने का प्रयत्न कर रहा था ।

श्री एन० सी० चटर्जी : वहां जब मुख्य न्यायाधिपति गये थे तब उन्हों ने कहा था कि यह वांछनीय नहीं है । क्या मंत्री जी ने यह राय जानने का प्रयत्न किया है ?

डा० काटजू : मुझे नहीं मालूम और मैं मुख्य न्यायाधिपति की राय पर अपनी राय नहीं दूंगा । यह विचार हम संसद् में करेंगे । यह प्रशासनीय बात है और यह मुख्य न्यायाधिपति के क्षेत्र के परे है ।

श्री एन० सी० चटर्जी : यह प्रशासनीय न्याय का प्रश्न है ।

सभापति महोदय : शायद मुख्य न्यायाधिपति को उस विषय में दखल डालना उचित नहीं है जो कि पूर्णतया भारत सरकार के क्षेत्राधिकार में है । सरकार ने उन की राय नहीं मांगी है इसलिये यह आवश्यक नहीं कि वे अपनी राय दें ।

डा० काटजू : हमें यह रूढ़ि बना लेनी चाहिये कि अपने वाद विवादों में मुख्य न्यायाधिपति को न लायें । वे न्याय करते हैं तथा उन का स्थान उच्च है ।

श्री यू० एम० त्रिवदी : इसीलिये हमें उन की राय का आदर करना चाहिये ।

डा० काटजू : उच्च न्यायालय का न्याय गलती होने पर भी हम वैसा वहां नहीं कह सकते । बाहर आ कर वैसा कह सकते हैं तथा सर्वोच्च न्यायालय को जाते हैं । बात यह है कि यहां आठ न्यायाधीश थे । जब एकीकरण हुआ था तब इस बात पर विवाद हुआ था कि सरकार की राजधानी कहां होगी तथा हाईकोर्ट किस स्थान पर स्थापित किया जायेगा । इस बात पर कोई समझौता हो गया था । त्रिवेन्द्रम के लोगों ने हाई कोर्ट के एरणाकुलम हटाये जाने पर आन्दोलन किया । मुख्य मंत्री ने कहा था कि त्रिवेन्द्रम जिले में एक भवन में मुख्य न्यायालय बनाया जाये । भारत सरकार ने ध्यान रखा है कि न्यायाधीशों की संख्या ३ से अधिक न हो । न्यायालय के मान का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । श्री त्रिवेदी ने व्यर्थ में ही राजस्थान और मध्य भारत की बात की ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : आप समझे नहीं । मैं ने कहा था कि राजस्थान उच्च न्यायालय की एक बैंच उदयपुर में भी है । २६ जनवरी १९५० के बाद राजप्रमुख के आदेश से वहां से उच्च न्यायालय हटा लिया गया ।

डा० काटजू : मानता हूं पर यह सब असंगत है । मैं तो अभी त्रावनकोर-कोचीन उच्च न्यायालय की बात कर रहा हूं । अभी इस विधेयक पर ३ घंटे बहस हो चुकी है और ऐसी कोई बात नहीं बची है जिस के लिये यह प्रवर समिति को सौंपा जाये । मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पर विचार किया जाये ।

इस के पश्चात् श्री मात्तन ने सदन की अनुमति से अपना संशोधन वापस ले लिया ।

सभापति महोदय : उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा वह स्वीकृत हुआ ।

[सभापति महोदय]

खंड २ (धारा ६ का संशोधन)

श्री पुन्नूस : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ १, पंक्ति १२ में,

"Trivandrum" (त्रिवेन्द्रम) के स्थान पर "in the talukas of Quilon, Kottarakara, Kunnathur, Pathanamthitta, Pathanapuram, Shencottah, Karungappally, Mavelikkara & Thiruvella." ["क्विलोन, कोटारकारा, कुन्नाथुर पथानम थिट्टा, पथानपुरम, शेनकोट्टा, करुनागापल्ली, मावेलिक्कारा और थिरुवेल्ला, तालुकों में ।"] यह रख दीजिये ।

ये जिले क्विलोन जिले में हैं। दो ताल्लुकों को छोड़ कर त्रिवेन्द्रम जिले के सब ताल्लुके त्रिवेन्द्रम के दक्षिण में हैं । क्विलोन, त्रिवेन्द्रम से ४५ मील दूर है । इस विधेयक के अनुसार जो लोग त्रिवेन्द्रम से ४० मील दूर रहते हैं उन्हें एरणाकुलम जाना पड़ता है जो कि त्रिवेन्द्रम से १३० मील दूर है । क्विलोन से एरणाकुलम केवल ८० मील है । यदि आप त्रिवेन्द्रम के लोगों के लिये न्याय सस्ता बनाना चाहते हैं तो क्विलोन के लोगों के लिये भी सस्ता क्यों नहीं बनाते। अतएव यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाये । क्विलोन जिले के लोग समझते हैं कि त्रिवेन्द्रम में वकील हैं और त्रिवेन्द्रम में कोर्ट होना लोगों के लिये सुविधाजनक होगा ।

डा० काटजू : मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता । हम ने इस विषय पर सावधानी से विचार किया है और हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दक्षिण में एक जिला ऐसा होना चाहिये जहां पर सर्किट बेंच स्थापित की जा सके। त्रिवेन्द्रम में अच्छे वकील ह । मुझे नहीं मालूम कि क्विलोन में भी अच्छे वकील हैं अथवा नहीं। पर लोगों को कोर्ट के लिये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही पड़ेगा । मैं ने उस स्थान की स्थिति का अध्ययन किया है । कुछ गांव १०-२० मील पास हैं । त्रिवेन्द्रम में डिवीजन बैंच स्थापित करना ठीक रहेगा । मैं संशोधन स्वीकार नहीं करता ।

श्री पुन्नूस: मैं आग्रह करता हूं ।

सभापति महोदय ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

खंड २ विधेयक का अंग बना लिया गया।

खंड १ विधेयक का अंग बना लिया गया।

नाम, तथा अधिनियम सूत्र विधेयक का अंग बना लिये गये ।

डा० काटजू : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : विधेयक में कोई संशोधन नहीं हुआ । तीसरा वाचन उन संशोधनों पर विचार करने के लिये होता है जो पारित किये जाते हैं । मेरे विचार में सब प्रकार के लोगों को अपनी राय व्यक्त करने का मौका मिल गया है । माननीय सदस्य, आशा है अधिक समय न लेंगे ।

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना) : हम विधेयक का विरोध कर सकते हैं ।

सभापति महोदय : तृतीय वाचन में वाद-विवाद का क्षेत्र सीमित होता है ।

कुछ माननीय सदस्य : हम विधेयक का विरोध करेंगे ।

सभापति महोदय : इस प्रकार सदन का समय लेने से कोई लाभ न होगा ।

कुछ माननीय सदस्य : अच्छा ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इसके पश्चात् सदन की बैठक बुधवार ९ दिसम्बर १९५३ के डेढ़ बजे तक के लिये स्थगित हो गई ।